37 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

(एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

www.hsccltd.co.in

एचएससीसी (इंडिया लिमिटेड)

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6(ए), सेक्टर–1, नोएडा – उत्तर प्रदेश – 201301
दूरभाष – 91–120–2542436–40
फैक्स – 91–120–2542447
ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
सीआईएन संख्याः U74140DL1983GOI015459
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन और कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

दृष्टि

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा के संवर्द्धन के लिए मूल्य–वर्द्धित, नवीनतम एवं समन्वित सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाली, अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अपनी मुख्य क्षमता का लाभ उठाने वाली और अपने पेशेवर कर्मचारियों को मजबूत तथा सक्षम बनने वाला कार्य वातावरण प्रदान करने वाली अग्रणी परामर्श कंपनी के रूप में जाना जाये।"

लक्ष्य

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा और अन्य उद्देश्यों से भवनों तथा अवसंरचना विकसित करने के लिए व्यापक, संकल्पना से कमीशन किए जाने तक, परियोजना की आयोजना, वास्तु संबंधी, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण और संबंधित परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराना।"

कॉरपोरेट मूल्यांकन

- ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना।
- संगठन के अंदर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना।
- लगातार सीखने वाले संगठन का सृजन करना।
- टीम–भावना के साथ अपने समस्त कार्यकलाप करने में समर्थ होना।

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर उन्नत गुणवत्तापारक परामर्शी सेवाएँ प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहक के विश्वास को बनाए रखना।

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा,
प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेंटर–II,
वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110096
ई–मेलः hsccltd@hsccltd.co.in
सीआईएन संख्याः U74140DL1983GOI015459
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in

कॉरपोरेट कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6(ए), सेक्टर–1, नोएडा – उत्तर प्रदेश – 201301
संपर्कः 91–120–2542436–40
फैक्सः 91–120–2542447
ईमेलः hsccltd@hsccltd.co.in
सीआईएन संख्याः U74140DL1983GOI015459
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स दत्ता सिंगला एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
409, चौथा तल, सेठी भवन,
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स हरमीत सिंह एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
दुकान नं. 154, प्रथम तल,
डीडीए मार्केट, जे ब्लॉक सेंटर,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली – 110027

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी,
कंपनी सेक्रेट्रीज़,
2382, सेक्टर–16, प्रथम तल,
फरीदाबाद – 121002

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनेरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
सिंडीकेट बैंक
यूको बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
ओरिएंटल बैंक
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

विषय–सूची

1.	निदेशकों के प्रोफाइल	6
2.	प्रदर्शन एक नजर में	8
3.	सेवा वर्णक्रम	10
4.	अध्यक्ष का भाषण	11
5.	प्रबंध निदेशक की ओर से पत्र	13
6.	नोटिस	15
7.	निदेशक की रिपोर्ट और अनुलग्नक	23
	– प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	
	– कॉरपोरेट प्रबंधन रिपोर्ट	
	– अन्य अनुलग्नक	
8.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	69
9.	वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	71
10.	वित्तीय विवरण	85

निदेशकों के प्रोफाइल

श्री पवन कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

श्री पवन कुमार गुप्ता ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

वे एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं जो कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी भी है। एनबीसीसी के सीएमडी का कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे रेल मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई आरआईटीईएस लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स) थे। श्री गुप्ता के पास एनआईआईटी, कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी, दिल्ली से मास्टर्स की डिग्री है। उन्होंने 1986 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में पदभार ग्रहण किया और अब उनके पास इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और व्यवसाय प्रचालन में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

श्री ज्ञानेश पाण्डेय
प्रबंध निदेशक

श्री ज्ञानेश पाण्डेय के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है और वे 01 जून, 1995 से एचएससीसी के साथ कार्यरत हैं। उनके पास परियोजना आयोजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में लगभग 37 वर्ष का अनुभव है। वे 01 जून, 2011 से एचएससीसी के बोर्ड के सदस्य हैं और कंपनी के प्रचालनों के समग्र प्रबंधन के प्रभारी हैं।

सुश्री डी. थारा
सरकार की ओर से नामित निदेशक

सुश्री डी. थारा 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वे 01/01/2020 से कंपनी में सरकार की ओर से नामित निदेशक के तौर पर एचएससीसी के बोर्ड में शामिल हुई हैं।

उनके पास भू राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन विभागों में कलेक्टर के तौर पर खेड़ा शहर में 1 वर्ष का और अहमदाबाद शहर में 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी है। सुश्री थारा ने लगभग 2 वर्ष के लिए अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर निगम आयुक्त के तौर पर भी कार्य किया है।

वे 24/06/2016 से गुजरात इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, गांधीनगर की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य कर रही थीं। उसके बाद उन्होंने 29/07/2019 से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था।

डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 27/04/2020 से एचएससीसी के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए. (अर्थशास्त्र), पीएचडी (प्रबंधन एवं अर्थशास्त्र) की डिग्री है।

उनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन एवं इकोनोमैट्रिक्स में पीएचडी की है। उनकी शिक्षाविद और पेशेवर के रूप में उत्कृष्ट ख्याति है, उनके पास शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन में व्यापक अनुभव है, उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण कार्य किया है और प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में निदेशक के रूप में कार्य किया है और उनके पास ग्रामीण वित्त व्यवस्था और ग्रामीण विकास में व्यापक विशेषज्ञता है।

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 01 अगस्त, 2019 से एचएससीसी के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना एमबीबीएस जे.एल. एन. मेडिकल कॉलेज से किया है। डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी के पास प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग और चिकित्सा के क्षेत्रों में 23 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे वर्तमान में निजी तौर पर प्रेक्टिस करती हैं।

श्री सुरेश चंद्र गर्ग
निदेशक (इंजीनियरिंग)

श्री सुरेश चंद्र गर्ग ने 15.01.2020 से एचएससीसी में निदेशक (इंजीनियरिंग) का पदभार ग्रहण किया है। श्री सुरेश चंद्र गर्ग के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। श्री सुरेश चंद्र गर्ग 23.07.1990 से एचएससीसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास परियोजना आयोजना एवं प्रबंधन में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है।

प्रदर्शन एक नजर में

कंपनी ने एक बार फिर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में बेहतरीन परिणाम दिए हैं और 2,12,509 लाख रुपये का अधिकतम कारोबार तथा 3,763 लाख रुपये का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया है।

कंपनी को 1983 में 40 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ निगमित किया गया था और बाद में 200 लाख रुपये के बोनस शेयर जारी किए जिसके परिणामस्वरूप प्रदत्त पूंजी बढ़ कर 240 लाख रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कंपनी ने पूर्णतया प्रदत्त शेयर पूंजी के 25% हिस्से को वापस खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जिसके परिणामस्वरूप प्रदत्त शेयर पूंजी घाट कर 180 लाख रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी का 100% रणनीतिक विनिवेश किया गया और इस प्रकार एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ कंपनी की मौजूदा 100% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी अधिग्रहित कर ली।

एचएससीसी के उद्देश्य और कार्यनीतियाँ व्यवसाय में वृद्धि के माध्यम से निवल मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने के लिए डिजाइन की गई हैं जिसके माध्यम से अधिक राजस्व और लाभ प्राप्त किए जा सकें और मजबूत एवं दबाव मुक्त नकद प्रवाह भी सृजित किया जा सके। इस प्रकार हम कंपनी के मूल्य का संवर्द्धन करेंगे और साथ ही एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रख सकेंगे और शेयरधारकों को आकर्षक लाभांश दे सकेंगे।

हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हमारे ग्राहकों को संतुष्ट करने वाली विशिष्ट और नवीनतम सेवाएँ प्रदान करके गुणवत्ता और समय दोनों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के तौर पर अपना विकास जारी रखेंगे।

(रुपये लाख में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आय	11,06,98	1,61,925	1,61,220	2,07,104	2,13,176
कर–पूर्व लाभ	8,687	5,616	5,822	7,949	6,424
निवल लाभ	5,462	3,761	3,747	4,981	3,763
निवल मूल्य	17,422	19,825	17,203	13,870	10,978
लाभांश	1,638	1,128	1,124	2,989	2,500
एमओयू के अनुरूप रेटिंग	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा (अनुमानित)

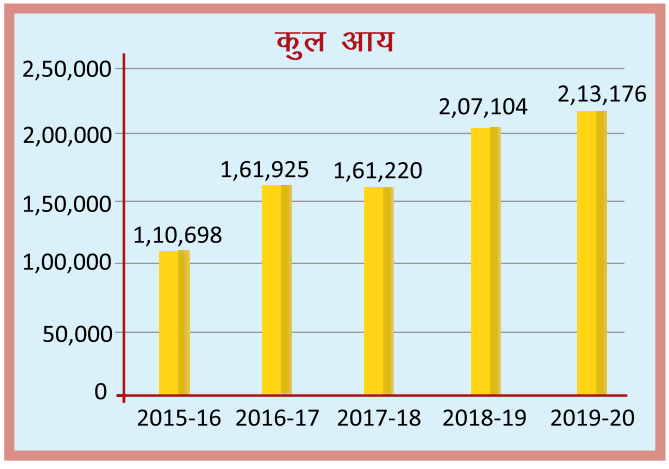

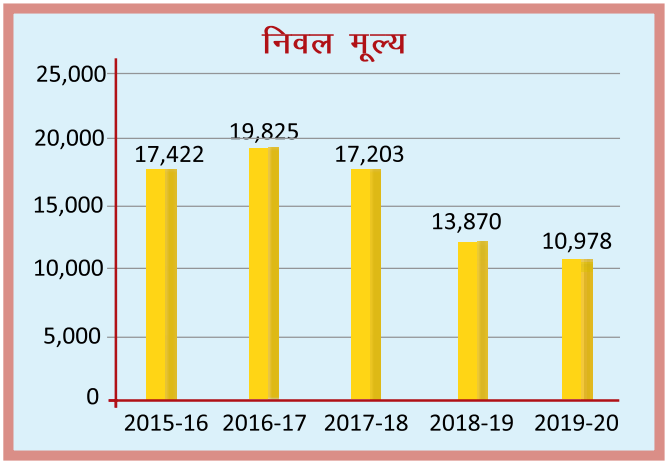

दशकीय वित्तीय परिणाम एक नजर में

(रुपये लाख में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	240	240	240	240	240	240	240	180	180	180
आरक्षित और अधिशेष निधि	7,632	8,708	10,347	11,841	13,693	17,182	19,585	17,023	13,690	1,10,798
निवल मूल्य	7,872	8,948	10,587	12,081	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870	10,978
निवल निर्धारित परिसंपत्तियाँ	615	600	685	693	649	635	707	706	7,496	7,366
कार्यकारी पूंजी*	7,117	8,568	10,200	12,053	14,165	17,519	24,083	17,188	3,339	(-) 3,779
लगाई गई पूंजी	7,731	9,168	10,885	12,746	14,814	18,154	24,790	17,895	13,870	10,978
प्रचालन आंकड़े										
परामर्श शुल्क**	2,311	2,929	3,380	3,919	49,004	1,02,180	1,51,116	1,51,311	2,04,946	2,12,509
ब्याज और अन्य आय	1,034	1,529	2,455	2,126	8,572	8,518	10,809	9,910	2,158	667
कुल आय	3,346	4,458	5,835	6,045	57,576	1,10,698	1,61,925	1,61,220	2,07,104	2,13,176
व्यय	1,993	2,048	2,203	2,287	53,782	1,01,948	1,56,236	1,55,320	1,99,111	2,06,590
सकल मार्जिन	1,353	2,409	3,632	3,758	3,794	8,750	5,689	5,900	7,993	6,586
मूल्यह्रास	36	58	32	44	69	63	73	78	44	162
कर–पूर्व लाभ	1,317	2,352	3,600	3,714	3,725	8,687	5,616	5,822	7,949	6,424
कराधान का प्रावधान	487	880	1,343	1,316	1,341	3,225	1,855	2,075	2,968	2,661
कर–पश्चात लाभ	830	1,472	2,257	2,398	2,384	5,462	3,761	3,747	4,981	3,763
लाभांश	173	300	468	492	492	1,638	1,128	1,124	2,989	2,500
मानव शक्ति										
कर्मचारी (संख्या)	132	124	123	143	153	162	176	184	177	187
(नियमित वेतनमान में)										
अनुपात										
पीबीटी / कुल आय (%)	39%	53%	62%	61%	6%	8%	3%	4%	4%	3%
निवल लाभ / कुल आय (%)	25%	33%	39%	40%	4%	5%	2%	2%	2%	2%
निवल लाभ / निवल मूल्य (%)	11%	16%	21%	20%	17%	31%	19%	22%	36%	34%
प्रति कर्मचारी कुल आय	25	36	47	42	376	683	920	876	1,248	1140
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	346	613	940	999	993	2,276	1,567	2,081	2,767	2,090
प्रति शेयर बुक मूल्य (₹)	3,280	3,728	4,411	5,034	5,805	7,259	8,260	9,555	7,705	6,099

*वित्तीय वर्ष 2019–20 का वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। आवश्यक आंकड़ों के पुनःआकलन, पुनःवर्गीकरण और पुनःसमूहन के कारण मूल्य में बदलाव।

**वर्ष 2019–20 के लिए किए गए कार्य के परामर्श शुल्क के रूप में 200972.73 लाख रुपये और 11563.46 लाख रुपये का परामर्श शुल्क शामिल है।

सेवा वर्णक्रम

संकल्पनात्मक अध्ययन एवं प्रबंधन

परामर्श

- आधारभूत सर्वेक्षण एवं आर्थिक अध्ययन
- महामारी विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण
- प्रणाली आयोजना
- व्यवहार्यता अध्ययन
- पुनर्संरचना/पुनर्गठन अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

खरीद

- दवाइयाँ और औषधियाँ
- चिकित्सा उपकरण
- अन्य उपकरण
- संचार प्रणालियाँ
- उपकरण
- फर्नीचर एवं फिक्सचर

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन और कार्य सौंपे जाने सहित
- परियोजना की आयोजना
- परियोजना की निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- संविदा प्रबंधन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी

- स्वास्थ्य एमआईएस
- प्रणाली एकीकरण

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- मूलभूत डिजाइन
- वास्तु संबंधी डिजाइन/योजनाएँ
- इंजीनियरिंग डिजाइन
- उपस्कर आयोजना
- अपशिष्ट प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

इंजीनियरिंग अध्ययन

- पुनरुद्धार/पुनर्वास
- आधुनिकीकरण/उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता/कार्यक्षमता सुधार

लॉजिस्टिक्स एवं संस्थापन

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेषण
- स्थल वितरण
- संस्थापन
- परीक्षण एवं कार्य कमीशन करना
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधीकरण)

- इंजीनियरिंग और सुविधा केन्द्रों का अनुरक्षण
- पशुओं के टीकों के उत्पादन की सुविधाएं
- दवाओं के उत्पादन की सुविधाएं
- विदेशी चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
- नए विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में परियोजनाएं

अध्यक्ष का भाषण

पवन कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

प्रिय शेयरधारकों

मैं एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की 37वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको कंपनी के प्रदर्शन के बारे में अपडेट करने और निकट भविष्य तथा मध्यावधि के लिए योजनाओं की रूपरेखा साझा करने में मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

पृष्ठभूमि

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, जिसे पूर्व में हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, की स्थापना भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में संकल्पना से कार्य सौंपे जाने तक परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने के मिशन के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के तत्वावधान में वर्ष 1983 में की गई थी। एचएससीसी ने निरंतर प्रगति की है और 37 वर्ष की अपनी यात्रा के दौरान विकास किया है। हमने 2015 में मिनी–रत्न–श्रेणी–I का दर्जा हासिल किया।

यह भी बड़े गर्व की बात है कि एचएससीसी ने अपनी स्थापना के समय से ही सरकार से और न ही किसी अन्य स्रोत से ऋण लिए बिना अपने व्यवसाय में वृद्धि तथा विस्तार किया है। कंपनी हमेशा ऋण से मुक्त रही है और लाभ अर्जित करती रही है, जो वास्तव में एक उत्कृष्ट उपलब्धि है और कंपनी की क्षमताओं और मजबूती का ठोस प्रमाण है।

अपने कार्य के वर्षों के दौरान एचएससीसी ने स्वास्थ्य सेवा परामर्श के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया है। इसकी व्यापक विशेषज्ञता में अस्पताल आयोजना, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और चिकित्सा उपकरण ों की खरीद, आपूर्ति, संस्थापन, और कमीशनिंग शामिल हैं। एचएससीसी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में शुरू से अंत तक बहुविषयक सहयोग प्रदान करने में सक्षम है: व्यवहार्यता अध्ययन और संविदा के प्रलेखन से ले कर सिविल, इलैक्ट्रिकल, आईटी, और सहायक क्षेत्रों में खरीद और परियोजना प्रबंधन तक।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 24 दिसंबर, 2018 को एचएससीसी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अधीन एक बहुविषयक पोर्टफोलियो के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहित कर लिया जो अस्पताल आयोजना, डिजाइन विवरण, इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन, एवं निगरानी और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, संस्थापन, और कमीशनिंग के क्षेत्र में व्यापक परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है। एनबीसीसी द्वारा एचएससीसी को अधिग्रहित किए जाने से समन्वय लाभ प्राप्त हुए हैं, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव वाले पेशेवरों की एक विशिष्ट टीम साथ होने से संगठन का महत्व बढ़ेगा।

प्रमुख परियोजनाएँ

एचएससीसी ने एम्स, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई), एम्स, नई दिल्ली में ओपीडी ब्लॉक, बर्न्स एंड प्लास्टिक अस्पताल, लातूर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, झाँसी, कोटा, बीकानेर और पटियाला आदि शहरों में सरकारी मेडिकल कॉलेज (कॉलेजों) में सुपर स्पेशयलिटी ब्लॉक; नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल, हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव–प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी); कोलकाता में सीएनसीआई, आईआईटी खड़गपुर में सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल आदि, डिकोया, श्रीलंका में 150 बिस्तर के अस्पताल; काठमाण्डू, भूटान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में बीआईआर अस्पताल के लिए ट्रोमा सेंटर, सितवे के सामान्य अस्पताल और यांगून के बच्चों के अस्पताल के आधुनिकीकरण, मॉरीशस में ईएनटी अस्पताल आदि विदेशी परियोजनाओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का निष्पादन किया है। वर्तमान में निष्पादन के अधीन परियोजनाओं में एम्स, नई दिल्ली, नागपूर, कल्याणी, गुंटूर, रायबरेली, चंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सिलीगुड़ी में ईएसआईसी के लिए 100 बिस्तर वाला अस्पताल, चंडीगढ़ में एडवांस्ड न्यूरोसाइन्स सेंटर, मॉरीशस गणराज्य में स्वास्थ्य एवं जीवन गुणवत्ता मंत्रालय के लिए कैंसर अस्पताल आदि के कार्य शामिल हैं।

प्रदर्शन

जहाँ तक वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन का संबंध है, कंपनी ने एक चुनौतीपूर्ण प्रचालन वातावरण के बावजूद अपनी प्रगति बनाए रखी। इस वर्ष के लिए कुल आय पिछले वर्ष के 2,071.04 करोड़ रुपये की तुलना में 2,131.76 करोड़ रही। इस वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ 37.63 करोड़ रुपये था।

चुनौतियाँ और अवसर

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में नई इकाइयों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहा है। यह कीमतों में गिरावट लाने का दबाव बना रहा है और लाभांश को प्रभावित कर रहा है। एक और दिलचस्प घटनाक्रम है अधिक संख्या में परियोजनाओं का पूर्वोत्तर की ओर जाना जिनके निर्माण तथा पूरा किए जाने अवधि सामान्यतः लंबी होती है।

हालांकि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए अवसर इससे भी अधिक हैं। भारत में अस्पतालों, बिस्तरों, डॉक्टरों, और अन्य चिकित्सा सुविधाओं तथा प्रतिभाओं की संख्या के मामले में पीछे है। सरकार संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार कि दिशा में बड़े स्तर पर प्रयास करके इस अंतर को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें नई परियोजनाएं और पूरे देश में मौजूदा अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन शामिल है। स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की ओर से माँग में भी फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि और अधिक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्यम इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक और नया अवसर सार्क क्षेत्र में विदेशों में है, जो कि स्वास्थ्य सेवा में बड़े सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

निष्कर्ष और आभार

कुल मिला कर मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों के लिए हमारे पास लगातार वृद्धि तथा विस्तार के लिए सही स्थान पर सही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम स्वास्थ्य सेवा में प्रमाणित विशेष स्थान के साथ एक विश्वस्तरीय परामर्श संगठन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर हैं। मुझे यकीन है कि आपके सहयोग और विश्वास के साथ हम सफलता प्राप्त करेंगे।

मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं हमारे प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), बोर्ड के सदस्यों, और विभिन्न राज्य तथा केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा सतत सहयोग करने के लिए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे सभी आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता भागीदारों का धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग के बिना कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाती और सबसे महत्वपूर्ण एचएससीसी के प्रत्येक कर्मचारी का उनकी प्रतिबद्धता तथा दृढ़ प्रयासों के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा – बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं हमारे सभी शेयरधारकों, दावाधारकों, और हमारे बैंकर्स को भी एचएससीसी में निरंतर विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

सादर,

हस्ताक्षर
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष

प्रबंध निदेशक की ओर से पत्र

ज्ञानेश पाण्डेय
प्रबंध निदेशक

सम्मानित शेयरधारकों

एचएससीसी के निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की इस 37वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस अवसर पर आज हमारे साथ जुडने और वर्ष के दौरान आपके द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए सतत समर्थन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वर्ष 2019–20 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे आपके पास हैं, और आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ लिया गया मानता हूँ।

प्रदर्शन की समीक्षा

जैसा कि आपने वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा। जब हम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में प्रदर्शन को देखते हैं तो यह विशेष रूप से शानदार है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुझे शेयरधारकों को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल आय पिछले वर्ष की 2,071.04 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2,131.76 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 106.28 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 115.36 करोड़ रुपये का परामर्श शुल्क अर्जित किया अर्थात इसमें 8.54% की वृद्धि हुई। कंपनी को पिछले वर्ष के 79.49 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 64.24 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ हुआ। कंपनी ने पिछले वर्ष के 49.81 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 37.63 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया। आपके सहयोग से आपकी कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने वर्ष 2019–20 के लिए चालू वर्ष के लाभ में से प्रदत्त पूंजी का 1389% लाभांश देने की सिफ़ारिश की है जो 25.00 करोड़ रुपये है। यह लगातार 35वां वर्ष है जब कंपनी ने लाभांश घोषित किया है।

मिनी रत्न का दर्जा

एचएससीसी ने सितंबर, 2002 में मिनी रत्न श्रेणी II पीएसयू का दर्जा प्राप्त करने के बाद 31 दिसंबर, 2015 से मिनी रत्न श्रेणी I सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

समझौता ज्ञापन

उच्च स्तर पर प्रबंधन लागत–नियंत्रण, संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग और प्रणाली में सुधारों जैसे रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से लगातार कारोबार और कर–पूर्व लाभ में सतत वृद्धि बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग

(डीपीई), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत वर्ष 2018–19 के लिए "बहुत अच्छी" रेटिंग प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 के लिए परिणामों के आधार पर कम्पनी समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के अनुसार "बहुत अच्छी" रेटिंग प्राप्त करने की अपेक्षा करती है।

कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी

कंपनी स्वास्थ्य सेवा में होने के नाते इसके सभी क्रियाकलाप और प्रचालन अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक ज़िम्मेदारी की ओर समर्पित हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान एचएससीसी ने कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के लिए 129.25 लाख रुपये का कुल अंशदान दिया। कंपनी ने कोविड–19 के लिए प्रधानमंत्री केयर्स कोष में भी अंशदान दिया।

वैश्विक व्यवसाय

आपकी कंपनी सार्क समूह में शामिल देशों में विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में व्यवसाय के अवसर भी तलाश रही है।

विकास का विजन

भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा के संवर्द्धन के लिए मूल्य–वर्द्धित, नवीनतम एवं समन्वित सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाली, अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अपनी मुख्य क्षमता का लाभ उठाने वाली और अपने पेशेवर कर्मचारियों को मजबूत तथा सक्षम बनने वाला कार्य वातावरण प्रदान करने वाली अग्रणी परामर्श कंपनी के रूप में जाना जाये।

एक विश्वस्तरीय परामर्श संगठन बनने के लिए अपने प्रचालनों में विविधता लाने तथा विस्तार करने पर ज़ोर दिया जा रहा है जैसे भवन इंजीनियरिंग और रखरखाव सेवाएँ और कंपनी के क्लाइंट आधार को भी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

कॉरपोरेट प्रबंधन

कंपनी का सिद्धान्त अपने व्यवसाय कार्यों में पारदर्शिता और नैतिक रूप से व्यवसाय करने, अर्थात पारदर्शिता, निष्ठा, पेशेवर व्यवहार, ज़िम्मेदारी और उचित प्रकटीकरण करने को बढ़ावा देने के लिए देश के क़ानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

आभार

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं निदेशक मंडल की ओर से और मेरी ओर से हमारी मूल कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और दावाधारकों द्वारा कंपनी को दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों के सतत समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ जिनका भरोसा और विश्वास हमारे सम्पूर्ण प्रयास में मजबूती के स्तंभ हैं।

मैं हमारे सभी महत्वपूर्ण क्लाइंट्स – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, मॉरीशस सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य व्यावसायिक सहयोगियों को भी लगातार हमारा समर्थन करने और हम पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कंपनी हमेशा की तरह ग्राहक की संतुष्टि पर अपना फोकस बनाए रखेगी।

मैं सीएजी, सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों को भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा।

मैं हमारी कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम, उनकी प्रतिबद्धता और सतत प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूँ। आपके सहयोग और समर्थन के बदले में मैं आपसे आपकी कंपनी को नई और शानदार ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता हूँ।

धन्यवाद,

हस्ताक्षर

(ज्ञानेश पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक

नोटिस

एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 08 दिसंबर, 2020 को दोपहर 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएएम) से आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्यवाही

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।

2. निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना।

विशेष कार्यवाही

3. **श्री पवन कुमार गुप्ता (डीआईएन 07698337) की कंपनी के अध्यक्ष (निदेशक) के तौर पर नियुक्ति का नियमतीकरण करना और निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित प्रतीत हो तो इसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उस समय लागू उसके पुनःअधिनियमन सहित) के अनुसरण में श्री पवन कुमार गुप्ता (डीआईएन 07698337), जिन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 1 फरवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–17034/97/2018–पीएस के अनुपालन में 07 अक्तूबर, 2019 (अपराहन) से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है, को एतदद्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी का अध्यक्ष (निदेशक) नियुक्त किया जाता है।"

4. **सुश्री डी. थारा (डीआईएन 01911714) की कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के तौर पर नियुक्ति का नियमतीकरण करना और निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित प्रतीत हो तो इसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उस समय लागू उसके पुनःअधिनियमन सहित) के अनुसरण में सुश्री डी. थारा (डीआईएन 01911714), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 1 जनवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–17034/37/2019–पीएस के माध्यम से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतदद्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाता है।"

5. **श्री सुरेश चंद्र गर्ग (डीआईएन 08684289) की कंपनी के निदेशक (इंजीनियरिंग) के तौर पर नियुक्ति का नियमतीकरण करना और निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित प्रतीत हो तो इसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री सुरेश चंद्र गर्ग जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 15 जनवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–17034/03/2019–पीएस के माध्यम से निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतदद्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के बोर्ड में निदेशक (इंजीनियरिंग) के तौर पर नियुक्त किया जाता है।"

6. **डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला (डीआईएनः 03492315) की कंपनी के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति का नियमतीकरण करना और निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित प्रतीत हो तो इसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः**

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद 149, 150, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उस समय लागू उसके पुनःअधिनियमन सहित) के अनुसरण में डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला (डीआईएनः 03492315), जिन्होंने एक घोषणापत्र प्रस्तुत किया है कि वे अधिनियम के अनुच्छेद 149(6) के तहत स्वतन्त्रता के लिए प्रदान किए गए मानदंडों को पूरा करती हैं, और उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–17034/39/2014–पीएस के अनुपालन में 27 अप्रैल, 2020 से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है, को एतदद्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी का गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर
कंपनी सचिव
सोनिया सिंह
एचएससीसी

स्थानः नोएडा
दिनांकः 13/11/2020

टिप्पणी

1. कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों साथ–साथ 5 मई, 2020 के परिपत्र (जिन्हें संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) द्वारा किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक मौजूदगी के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति दी है। तदनुसार कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त परिपत्रों के प्रावधानों के साथ–साथ एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का कॉरपोरेट कार्यालय होगा।

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम में भाग लेने और वोट देने के लिए पात्र कोई सदस्य बैठक में भाग लेने और उसकी और से वोट देने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होता है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए के परिपत्रों के अनुसरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही है इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता हटा दी गई है। तदनुसार एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है। तथापि अधिनियम के अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 113 के अनुसरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित बैठक में वोट करने या भाग लेने और वोट करने के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधि नियुक्त किए जा सकते हैं।

3. एमसीए के परिपत्रों के अनुसार 37वीं एजीएम के लिए नोटिस कंपनी की वेबसाइट http://www.hsccltd.co.in/ पर उपलब्ध होगा।

4. चूंकि एजीएम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से होगा इसलिए मार्ग मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही 37वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम के अनुच्छेद 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

6. जब बैठक में किसी संकल्प के लिए मतदान की आवश्यकता होगी तब सदस्य अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से cs_hscc@hsccltd.co.in पर ईमेल भेज कर अपना वोट दे सकते हैं।

7. जब बैठक में 50 से कम सदस्य उपस्थित हों तब अध्यक्ष हाथ ऊपर करके मतदान करवाने का निर्णय कर सकता है, यदि किसी सदस्य द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 109 के अनुसार मतदान करवाने की माँग नहीं की जाती है।

8. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस उन सदस्यों को केवल इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ईमेल पते कंपनी के पास रजिस्टर्ड हैं।

9. कसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति या पुनःनियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी होती है और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या उस पद्धति से निर्धारित किया जाना होता है जैसा कंपनी आम बैठक में तय करे। यह प्रस्ताव किया जाता है कि सदस्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथोचित रूप से नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए लागू करों और वास्तव में की गई यात्रा तथा अपने खर्च से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

10. जो सदस्य बैठक में वार्षिक लेखों की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले cs_hscc@hsccltd.co.in पर अनुरोध भेज कर सूचित करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य नीचे दिए गए लिंक पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से एजीएम में भाग ले पाएंगे: –

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a582ec4fece214b988d6ae722223e40e9%40thread.tacv2/1606995912383?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5b04c44-bc23-415f-8591-633eb11e4253%22%2c%22Oid%22%3a%22d77c61c9-07fa-4098-bb67-e80e6380010a%22%7d

   बैठक के लिए उपर्युक्त लिंक सदस्यों को अलग से एजीएम के समय से कम से कम 48 घंटे पहले उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा।

2. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से पहले 30 मिनट से शुरू की जाएगी और निर्धारित समय के 15 मिनट बाद समाप्त कर दी जाएगी।

3. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे 01 दिसंबर, 2020 (सुबह 9:30 बजे आईएसटी) से 02 दिसंबर, 2020 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) तक अपना नाम, पैन और मोबाइल नंबर बताते हुए अपने रजिस्टर्ड ईमेल पते से cs_hscc@hsccltd.co.in पर अनुरोध भेज कर स्वयं को वक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी के पास एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए
निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर
कंपनी सचिव
एचएससीसी

दिनांक: 13.11.2020
स्थान: नोएडा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 3

श्री पवन कुमार गुप्ता (डीआईएन–07698337) की एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 7 अक्तूबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–17034/97/2018–पीएस के अनुसरण में श्री पवन कुमार गुप्ता (डीआईएन 07698337) को 07 अक्तूबर, 2019 से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री पवन कुमार गुप्ता ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है।

वे एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं जो कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी भी है। एनबीसीसी के सीएमडी का कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री गुप्ता रेल मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई आरआईटीईएस लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स) थे, श्री गुप्ता के पास एनआईआईटी, कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी, दिल्ली से मास्टर्स की डिग्री है। उन्होंने 1986 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में पदभार ग्रहण किया और अब उनके पास इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और व्यवसाय प्रचालन में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

श्री पवन कुमार गुप्ता को छोड़ कर कंपनी का कोई निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके संबंधी किसी भी रूप में, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते। बोर्ड मद संख्या 3 में उल्लिखित सामान्य संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 4

सुश्री डी थारा (डीआईएन–01911714) की एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति

सुश्री डी. थारा 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वे 1997 से गुजरात राज्य में काम कर रही हैं और उनके पास गुजरात के विभिन्न शहरों जैसे अहमदाबाद, खेड़ा, राजकोट, वडोदरा और सुरेन्द्रनगर में विभिन्न विभागों में काम करने का बहुमुखी अनुभव है। उन्होंने वडोदरा और सुरेन्द्रनगर शहरों में भू राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन एवं विकास प्रशासन में 2 वर्ष की अवधि के लिए जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उनके पास भू राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन विभागों में कलेक्टर के तौर पर खेड़ा शहर में 1 वर्ष का और अहमदाबाद शहर में 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी है।

सुश्री थारा ने लगभग 2 वर्ष के लिए अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर निगम आयुक्त के तौर पर भी कार्य किया है। इस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं पर काम किया है। वे बीआरटीएस परियोजना पर काम करने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से हैं जो शहर की एक अनिवार्य परियोजना थी। उन्होंने 2008 में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) की मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के तौर पर द्वितीय संशोधित मसौदा विकास योजना 2021 पर भी काम शुरू किया है। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) की मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान द्वितीय संशोधित मसौदा विकास योजना 2021, अहमदाबाद को पूरा किया गया और सीईए, जीयूडीए के तौर पर गांधीनगर की प्रथम संशोधित मसौदा विकास योजना भी पूरी की गई थी। अपने केन्द्रित विजन और शानदार नेतृत्व गुणों के साथ उनके द्वारा द्वितीय संशोधित मसौदा विकास योजना 2021 में विभिन्न नई संकल्पनाएँ और विचार शामिल किए गए। इनमें से कुछ थे – केंद्रीय व्यवसाय जिला, ट्रांज़िट उन्मुख जोन और किफ़ायती आवासीय घर जोन और ऐसी परियोजनाओं के लिए स्थाननीय क्षेत्र योजनाएँ भी तैयार करना। वे एयूडीए की मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी और अहमदाबाद की नगर निगम आयुक्त रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य निष्पादित किया गया। वे 24/06/2016 से गुजरात इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, गांधीनगर की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य कर रही थीं। उसके बाद उन्होंने 29/07/2019 से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। सुश्री डी. थारा

का विवरण इस नोटिस के "अनुलग्नक–क" में दिया गया है।

सुश्री डी. थारा को छोड़ कर कंपनी का कोई निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके संबंधी किसी भी रूप में, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते। बोर्ड मद संख्या 4 में उल्लिखित सामान्य संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 5

श्री सुरेश चंद्र गर्ग की एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में नियुक्ति

श्री सुरेश चंद्र गर्ग ने 15.01.2020 से एचएससीसी में निदेशक (इंजीनियरिंग) का पदभार ग्रहण किया है। श्री गर्ग के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। श्री गर्ग 23.07.1990 से एचएससीसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास परियोजना आयोजना एवं प्रबंधन में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है। श्री सुरेश चंद्र गर्ग का विवरण इस नोटिस के "अनुलग्नक–क" में दिया गया है।

श्री सुरेश चंद्र गर्ग को छोड़ कर कंपनी का कोई निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके संबंधी किसी भी रूप में, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते। बोर्ड मद संख्या 5 में उल्लिखित सामान्य संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 6

डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला की एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–17034/39/2014–पीएस के अनुसरण में डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला (डीआईएनः 03492315) को 27 अप्रैल, 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन एवं इकोनोमैट्रिक्स में पीएचडी की है। डॉ. ज्योति वातमान में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और पैट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर हैं। उनकी शिक्षाविद और पेशेवर के रूप में उत्कृष्ट ख्याति है, उनके पास शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन में व्यापक अनुभव है, उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण कार्य किया है और प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में निदेशक के रूप में कार्य किया है। डॉ. ज्योति ने 2015–2018 के दौरान राजस्थान सरकार के राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं और उनके पास ग्रामीण वित्त व्यवस्था और ग्रामीण विकास में व्यापक विशेषज्ञता है। उनके पास लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव है। कंपनी के साथ उनका जुड़ाव कंपनी के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। डॉ. ज्योति किरण शुक्ला का विवरण इस नोटिस के "अनुलग्नक–क" में दिया गया है।

डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला को छोड़ कर कंपनी का कोई निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके संबंधी किसी भी रूप में, वित्तीय या अन्यथा, संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते। बोर्ड मद संख्या 6 में उल्लिखित सामान्य संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

37वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनःनियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री पवन कुमार गुप्ता (डीआईएन 07698337)	डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला (डीआईएन 03492315)	श्री सुरेश चंद्र गर्ग (डीआईएन 08684289)	सुश्री डी थारा (डीआईएन 01911714)
जन्म तारीख	12/09/1963	31/07/1962	01/03/1963	03/07/1971
अर्हता	एनआईआईटी, कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी, दिल्ली से एम. टेक की डिग्री।	राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए. (अर्थशास्त्र), पीएचडी (प्रबंधन एवं अर्थशास्त्र) की डिग्री।	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।	1995 बैच की गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी।
नियुक्ति की तारीख	07/10/2019	27/04/2020	15/01/2020	01/01/2020
अनुभव	33 वर्ष (लगभग)	33 वर्ष (लगभग)	30 वर्ष (लगभग)	30 वर्ष (लगभग)
नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें	भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार।
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तारीख	07/10/2019	27/04/2020	15/01/2020	01/01/2020
एचएससीसी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध	कंपनी के किसी निदेशक के साथ संबंधित नहीं है।	कंपनी के किसी निदेशक के साथ संबंधित नहीं है।	कंपनी के किसी निदेशक के साथ संबंधित नहीं है।	कंपनी के किसी निदेशक के साथ संबंधित नहीं है।
वर्ष के दौरान बोर्ड की जिन बैठकों में भाग लिया उनकी संख्या	वर्ष के दौरान जितनी बैठकों में भाग लिया उसका विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट प्रबंधन खंड में दिया गया है।	लागू नहीं क्योंकि उन्हें कंपनी के बोर्ड में 27 अप्रैल, 2020 को नियुक्त किया गया था।	वर्ष के दौरान जितनी बैठकों में भाग लिया उसका विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट प्रबंधन खंड में दिया गया है।	वर्ष के दौरान जितनी बैठकों में भाग लिया उसका विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट प्रबंधन खंड में दिया गया है।
विशिष्ट कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री पवन कुमार गुप्ता ने एक मिनी रत्न–श्रेणी–I सीपीएसई और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में 1 फरवरी, 2019 को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है, एचएससीसी के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे रेल मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई आरआईटीईएस लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स) थे। श्री पवन कुमार गुप्ता वर्तमान में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध	उनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन एवं इकोनोमैट्रिक्स में पीएचडी की है। डॉ. ज्योति वातमान में पैट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर हैं।	श्री सुरेश चंद्र गर्ग ने 15.01.2020 से एचएससीसी में निदेशक (इंजीनियरिंग) का पदभार ग्रहण किया है। श्री गर्ग के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है।	सुश्री डी. थारा 1995 बैच की गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीआईडीसी) की प्रबंध निदेशक हैं और उन्हें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है।

	निदेशक और हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में निदेशक के पद पर हैं। श्री पवन कुमार गुप्ता के पास एनआईआईटी, कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी, दिल्ली से एम. टेक की डिग्री है। उन्होंने 1986 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में पदभार ग्रहण किया और अब उनके पास रेलवे और इसके घटक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर काम करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में 33 वर्ष का अनुभव है।	उनकी शिक्षाविद और पेशेवर के रूप में उत्कृष्ट ख्याति है, उनके पास शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन में व्यापक अनुभव है, उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण कार्य किया है और प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में निदेशक के रूप में कार्य किया है। डॉ. ज्योति ने 2015–2018 के दौरान राजस्थान सरकार के राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं और उनके पास ग्रामीण वित्त व्यवस्था और ग्रामीण विकास में व्यापक विशेषज्ञता है।	श्री गर्ग 23.07.1990 से एचएससीसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास परियोजना आयोजना एवं प्रबंधन में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है।	गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान सुश्री थारा ने गुजरात के शहरों में लंबे कार्यकालों में काम किया। उन्होंने पूर्व में अहमदाबाद नगर निगम में नगर निगम आयुक्त और उप नगर निगम आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। सुश्री थारा को गुजरात शहरी विकास विभाग में भी पदस्थापित किया गया था।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक के पद*	• हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड • एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	• एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड • पैट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	कोई नहीं	• हेमीस्फ़ेयर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड • द दिल्ली गोल्फ क्लब • पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता*	कोई नहीं	तीन	कोई नहीं	कोई नहीं

*केवल अन्य सूचीबद्ध/गैर–सूचीबद्ध इकाइयों की लेखापरीक्षा समिति और दावाधारक संबंध समिति की सदस्यता पर विचार किया गया है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों

आपकी कंपनी के निदेशकों को निम्नानुसार एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के व्यवसाय और प्रचालनों के संबंध में 37वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है:

वित्तीय उपलब्धियाँ

भारतीय लेखा मानक के अनुसार 2018–19 के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की वित्तीय उपलब्धियाँ नीचे दर्शाई गई हैं: (रुपये करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
कुल आय	2,131.76	2,071.04
कुल व्यय	2,067.52	1,991.55
विशिष्ट एवं असाधारण मदों से पहले लाभ	64.24	79.49
विशिष्ट एवं असाधारण मदें	-	-
कर पूर्व लाभ	64.24	79.49
कुल व्यय (निवल)	26.61	29.68
कर पश्चात लाभ	37.63	49.81
लाभांश (डीडीटी को छोड़ कर)	25.00	29.89
निवल मूल्य	109.78	138.70
प्रति शेयर आय (रुपये में)	2,090.39	2,767.21

पूंजीगत ढाँचा

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5.00 करोड़ रुपये है। पूरे वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1.80 करोड़ रुपये थी।

लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने लाभांश वितरण कर का भुगतान करने के बाद 25 करोड़ रुपये की राशि के लाभांश का भुगतान किया है (100/– रुपये के एक प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 1,389/– रुपये)। 27 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई बोर्ड की 162वीं बैठक में प्रदत्त शेयर पूंजी पर 1,389 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया गया है।

मंत्रालय/क्लाइंट की ओर से निधि

मंत्रालय/क्लाइंट्स की ओर से निधि निम्नानुसार है: –

मंत्रालय/क्लाइंट की ओर से	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
विवरण	**रुपये करोड़ में**	**रुपये करोड़ में**
नकद और नकद समतुल्य	72.23	165.32
अन्य बैंक बैलेंस (सावधि और फ्लेक्सी जमा)	2,550.23	2,340.16

आरक्षित निधि

कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी सामान्य आरक्षित निधि में से कोई राशि अंतरित नहीं की।

कार्य निष्पादन संबंधी उपलब्धियाँ

आपकी कंपनी ने भौगोलिक और वित्तीय रूप से अपने प्रचालनों के क्षेत्र में विस्तार करने की गति बनाए रखी। प्रचालनों के क्षेत्रों में विस्तार करने, नवाचार करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरजोर प्रयास किए गए। कंपनी के विभिन्न क्रियाकलापों के निष्पादन में विशेषज्ञता तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाएँ ली जा रही हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठित तथा चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद आदि के लिए परामर्श सेवाओं का कार्य सौंपा गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 2,131.76 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया और 109.78 करोड़ रुपये का निवल मूल्य प्राप्त किया।

प्रमुख चालू परियोजनाओं की एक सूची अनुलग्नक–क में दी गई है।

समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी को डीपीई द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए 'बहुत अच्छा' की रेटिंग दी गई है और वर्ष 2019–20 के परिणामों के आधार पर कंपनी इस वर्ष भी 'बहुत अच्छा' की रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद करती है।

भारतीय लेखा मानक

कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करने और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ अपनाने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों का अनुसरण किया है।

आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी सिविल निर्माण परियोजना के निर्माण, प्रापण और प्रबंधन में एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी को अपनाना और विदेशी मुद्रा विनिमय से आय और खर्च

आपकी कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में जागरूक है और अपने क्लाइंट्स के साथ परामर्श में प्राकृतिक रोशनी, सौर ऊर्जा और एलईडी संस्थापनों का अधिकतम प्रयोग करने की सलाह दे कर इस संबंध में कार्य किया जाता है। आपकी कंपनी ने किसी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया है और समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय से आय या खर्च का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
क. व्यय		
यात्रा	0.26	0.25
सी.आई.एफ. + आधार (क्लाइंट्स की ओर से) पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात	38.63	42.57
ख. आय	शून्य	शून्य

मानव संसाधन

एचएससीसी एक ज्ञान आधारित कंपनी है और इसलिए इसकी ताकत इसके कार्मिकों में है। कंपनी सक्षम पेशेवरों की एक टीम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए अपने मानव संसाधन के विकास पर ध्यान देती है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों को उनकी जानकारी तथा कौशल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों की जानकारी और कौशल का लगातार उन्नयन हो। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास नियमित वेतनमान में 187 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 96 कर्मचारी थे जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 68 कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के 3 कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारी प्रबंधन संबंध पूरे वर्ष शानदार बने रहे। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार एनबीसीसी के विभिन्न क्षेत्रों के 21 कर्मचारी अन्यत्र अस्थायी सेवा आधार पर एचएससीसी में कार्य कर रहे थे।
कंपनी द्वारा कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में इसकी मानव पूंजी की भूमिका की सराहना की जाती है। वर्ष 2019–20 के लिए श्रेणी–वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	समूह	सामान्य	ओबीसी	एससी/एसटी				कुल
				एससी	%(एससी)	एसटी	%(एसटी)	
1.	समूह "क"	02	0	0	0	0	0	02
2.	समूह "ख"	16	7	1	3.85	2	7.69	26
3.	समूह "ग"	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**18**	**7**	**1**	**3.85**	**2**	**7.69**	**28**

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिकों के लिए रिक्ति भरने हेतु समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का कंपनी में पूरी तरह से पालन किया गया है।

वर्ष के समापन पर कर्मचारियों/एनएमआर/पीआरडब्ल्यू/डब्ल्यूई कर्मचारियों की संख्या:

वेतनमान पर नियुक्त कर्मचारी	187 (बोर्ड स्तर से नीचे)
निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त कर्मचारी	96

कंपनी–श्रेणीवार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दृष्टिबाधित विकलांग/शारीरिक विकलांग समूहवार महिला कर्मचारियों की कार्य करने की स्थिति।

(i) महिला कर्मचारियों की श्रेणीवार कार्य स्थिति:

क्र. सं.	पद की श्रेणी (समूह)	महिला कर्मचारियों की संख्या
1.	समूह "क"	4
2.	समूह "ख"	11
3.	समूह "ग"	1
4.	समूह "घ"	0
	कुल	**16**

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दृष्टिबाधित विकलांग/शारीरिक विकलांग समूहवार कुल संख्या:

क्र. सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	कर्मचारियों की संख्या						
		कुल कर्मचारी	एससी	एसटी	ओबीसी	वीएच	एचएच	पीएच (ओपीएच)
1.	समूह "क"	69	9	0	8	0	0	0
2.	समूह "ख"	107	15	4	25	0	0	1
3.	समूह "ग"	71	6	0	1	0	0	2
	कुल	**187**	**30**	**4**	**34**	**0**	**0**	**3**

31 मार्च, 2020 को मानव शक्ति की स्थिति

श्रेणी	इंजीनियर (सी–ई.एम. आईटी)	इंजीनियर (बीएमई– फार्मा– आर्क– डीमैन)	वित्त (एफ एंड ए – इको – सीएस)	एचआरएम (विधि)	अन्य	कुल
क	47	7	11	4	0	69
ख	81	10	7	3	6	107
ग	0	0	0	0	11	11
कुल	**128**	**17**	**18**	**7**	**17**	**187**

कल्याण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती है, विभिन्न अवसरों पर उत्सव मनाती है, पिकनिक आयोजित करती है और सामाजिक लाभ पहुंचाती है।

राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रचार

कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रचार के संबंध में राजभाषा अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यालयी कार्य में हिन्दी के उनके कार्यकारी ज्ञान का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी मानक प्रारूप, फाइलें आदि द्विभाषी हैं। हिन्दी में पत्राचार, टिप्पण एवं आलेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने 16 सितंबर, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसके दौरान राजभाषा की जानकारी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की भी सदस्य है और विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, सम्मेलनों आदि में भी कंपनी के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

सतर्कता

चूंकि कंपनी पीएसयू की समूह ग श्रेणी का एक परामर्श संगठन है इसलिए कंपनी में कोई पूर्णकालिक सतर्कता अधिकारी (वीओ) नहीं है। श्री रवि रंजन, जीएम (प्रोजेक्ट्स) 25.10.2019 से अंशकालिक सतर्कता अधिकारी (वीओ) हैं। इस वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ ने प्रबंधन के एक प्रभावी अंग के रूप में कार्य किया है। संबंधित एजेंसियों को निजी विदेशी दौरों, सीटीई उत्तर समय पर प्रस्तुत किए गए। समय–समय पर प्राप्त सीवीसी के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया और सतर्कता एवं निवारक उपाय के रूप में उनका अनुपालन किया गया और पूछताछ का उचित तरीके से एवं शीघ्रता से उत्तर दिया गया। मौजूदा पद्धतियों और कार्य विधियों में और सुधार के लिए उनकी समीक्षा की गई और कंपनी की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 08.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और कर्मचारियों में उच्च नैतिक स्तर को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। कंपनी के सभी कर्मचारियों को शपथ दिलवाई गई।

जमा राशि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था।

ऋण, गारंटियाँ और निवेश

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के प्रावधानों में उल्लिखित किसी प्रकार का ऋण, गारंटियाँ और निवेश प्रदान नहीं किए हैं।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियाँ:

कंपनी की कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई सहायक कंपनी, संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तथापि अब एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कंपनी के 100% शेयर अधिग्रहित किए जाने के बाद कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी बन गई है।

कर्मचारियों का विवरण

समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 और कंपनी कर्मचारी विवरण नियम, 1975 के तहत कर्मचारियों का विवरण प्रकट किया जाना होता है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी 1.02 करोड़ रुपये प्रति वर्ष या 8.50 लाख रुपये प्रति माह से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी अपनी स्वयं की जोखिम प्रबंधन नीति का प्रबंधन करती है और कंपनी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी करती है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ इसके व्यवसाय और प्रचालनों के आकार तथा जटिलता के अनुरूप है। कंपनी के पास वित्तीय विवरणों से संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

लेखापरीक्षा समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित की है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल या श्रमिकों के बीच असंतोष के कारण किसी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीए) और कॉरपोरेट प्रबंधन

आपकी कंपनी में कॉरपोरेट प्रबंधन पद्धतियों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, पेशेवर रवैये और ज़िम्मेदारी पर ध्यान दिया जाता है। तिमाही रिपोर्टें सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित प्रारूपों में, कॉरपोरेट प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, जिनमें कॉरपोरेट की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। कॉरपोरेट प्रबंधन रिपोर्टें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉरपोरेट प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" और "कॉरपोरेट प्रबंधन रिपोर्ट" क्रमशः अनुलग्नक । और ॥ पर संलग्न हैं।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 ने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरणों के कार्य प्रचालन में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी आई है। कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। वर्ष 2019–20 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनका निस्तारण कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारियों का प्रशिक्षण

क्र. सं.	कार्यक्रम का प्रशिक्षण	प्रशिक्षण का प्रकार	नामित किए जाने वाले अधिकारियों का स्तर	माह	दिन	प्रतिभागियों की संख्या	कुल कार्य दिवस
1.	कार्यकारी विकास कार्यक्रम	तकनीकी	एएम से कार्यकारी स्तर	जनवरी–फरवरी	6	4	24
2.	संवादात्मक सत्र और स्थल जानकारी	तकनीकी	जीएम से एई	फरवरी	3	45	135
कुल							**159**

संबंधित पक्षों के साथ करार और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ सभी करार/समझौते/ट्रांजेक्शन्स व्यवसाय के सामान्य प्रचालन में किए गए और सुरक्षित एवं सुविधाजनक आधार पर किए गए। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न एमजीटी–9 में दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 में उल्लिखित संबंधित पक्ष करार फॉर्म एओसी–2 में है और अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न है।

कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी

वर्ष के दौरान कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) पर व्यय की जाने वाली राशि के तहत 129.25 लाख रुपये की राशि व्यय की (पिछले वर्ष में यह 134.16 लाख रुपये थी) अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%। कंपनी के पास सीएसआर निधि खाते में कोई आरक्षित राशि नहीं है।

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार एक सीएसआर नीति है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर लिंक www.hsccltd.co.in पर और इस रिपोर्ट में अनुलग्नक–IV पर प्रारूप भाग में देखा जा सकता है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों और नीतियों का अनुपालने

कंपनी द्वारा डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों और नीतियों का यथोचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग

- कॉरपोरेट कार्यालय और यूनिट्स में इंटरनेट कनेक्शन इन्स्टॉल कर दिया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों को लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) के माध्यम से लिंक कर दिया गया है।
- ई–निविदा क्रियाकलाप।

एमएसएमई कार्यान्वयन

हमेशा से एचएससीसी का प्रयास रहा है सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का सहयोग करना। एचएससीसी ने एससी/एसटी वर्ग सहित एमएसएमई से निर्धारित मदें खरीदने के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं। सभी निविदाओं में एमएसएमई की पात्रता (एमएमएई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई) का उल्लेख करते हुए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। खरीद एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार की जाती है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड ने पाँच (5) बैठकें की और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 में बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बोर्ड की समितियां

क. लेखापरीक्षा समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 तथा 7 और कॉरपोरेट प्रबंधन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित शक्तियों और भूमिका के साथ बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति कार्यरत थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में श्रीमती (डॉ.) विनोद पंथी अध्यक्ष और सुश्री डी. थारा और श्री सुरेश चंद्र गर्ग सदस्य के रूप में शामिल थे।

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी अध्यक्ष और सुश्री डी. थारा और श्री सुरेश चंद्र गर्ग सदस्य के रूप में शामिल थे। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

ग. कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 और कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर समिति गठित की है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति में सुश्री डी. थारा अध्यक्ष और डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी और श्री सुरेश चंद्र गर्ग सदस्य के रूप में शामिल थे।

निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशकों की नियुक्ति आदि संबंधी नीतिः क्योंकि एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है इसलिए भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी की गई राजपत्रित अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) (पी) के प्रावधान लागू नहीं होते।

नियुक्ति/कार्यकाल समापन आदि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित नियुक्ति/कार्यकाल समापन कार्यान्वित किए गए।

क्र. सं.	निदेशक (निदेशकों) का नाम	पदनाम	विवरण	दिनांक
1.	श्री शिव दास मीणा	पूर्व–अध्यक्ष	नियुक्ति	05/04/2019
			कार्यकाल समापन	07/10/2019
2.	श्री पवन कुमार गुप्ता	अध्यक्ष	नियुक्ति	07/10/2019
			कार्यकाल समापन	-
3.	श्री सुरेश चंद्र गर्ग	निदेशक (इंजीनियरिंग)	नियुक्ति	15/01/2020
			कार्यकाल समापन	-
4.	श्रीमती डी. थारा	सरकार द्वारा नामित (निदेशक)	नियुक्ति	01/01/2020
			कार्यकाल समापन	-
5.	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	01/08/2019
			कार्यकाल समापन	-

6.	श्रीमती नंदिता गुप्ता	सरकार द्वारा नामित (निदेशक)	नियुक्ति	01/02/2019
			कार्यकाल समापन	01/01/2020
7.	श्री एम. सी. बंसल	सीएफओ	नियुक्ति	07/08/2019
			कार्यकाल समापन	-
8.	सुश्री सोनिया सिंह	कंपनी सचिव	नियुक्ति	18/11/2019
			कार्यकाल समापन	-

चूंकि कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने आवश्यकतानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(6) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अपेक्षित स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

निदेशकों की ज़िम्मेदारी संबंधी कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशक एतदद्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं: –

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू भारतीय लेखा मानकों और अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुसरण किया है और इनकी कोई उल्लेखनीय अवहेलना नहीं की गई है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियाँ चुनी हैं और सतत रूप से लागू की हैं और ऐसे निर्णय तथा अनुमान तैयार किए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों और इस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ की स्थिति का सही और उचित विवरण प्रस्तुत किया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी रखी है।
- निदेशकों ने कंपनी के पास प्रचालन हेतु पर्याप्त तरलता बनाए रखते हुए वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी में अपनाए जाने के लिए आंतरिक से वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ध्नग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं और
- निदेशकों ने सभी लागू क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित की जा रही हैं।

निदेशकों का प्रशिक्षण

चूंकि कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है इसलिए एनबीसीसी (नियंत्रक कंपनी) में निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए लागू नीति एचएससीसी में लागू है, जब तक कि यह निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में अपनी स्वयं की नीति नहीं अपनाती है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा। कंपनी राजभाषा विभाग, भारत सरकार और गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति और कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स हरमीत सिंह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1.28 लाख रुपये और परिवहन व्यय सहित लागू करों के शुल्क के साथ आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। ये उनकी नियुक्ति का पहला वर्ष है।

लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स दत्ता सिंगला एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

कंपनी ने कंपनी सचिव के रूप में कार्य करने वाले मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक V पर दी गई है।

लागत लेखापरीक्षा

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित किए गए अनुसार लागत लेखा रिकॉर्ड आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (ख) और अनुच्छेद 129 (4) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के बाद 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर "शून्य" टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखे इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिए जाएंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण

कंपनी बोर्ड की बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में एक नीति अनुमोदन के लिए प्रस्तावित की है।

हालांकि वर्ष 2019–20 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार फॉर्म संख्या एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का सार अनुलग्नक–VII के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सामान्य

निदेशक एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों के संबंध में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए गए :

1. इस वित्तीय विवरण के संबंध में वित्तीय वर्ष के समापन के बाद इस रिपोर्ट के जारी किए जाने की तारीख तक ऐसा कोई उल्लेखनीय परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई जिसने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया हो।
2. कर्मचारियों को ईएसओएस के तहत कोई शेयर जारी नहीं किए गए।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं की हैं।
4. कंपनी अधिनिय, 2013 के अनुच्छेद 197 के प्रावधान एचएससीसी पर लागू नहीं होते क्योंकि एचएससीसी कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधीसूचना के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।
5. कंपनी आईसीएसआई द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले सचिवालयी मानकों का अनुपालन करती है।

आभार

निदेशक मंडल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों से लगातार प्राप्त होने वाली सहायता, सहयोग, सक्रिय समर्थन और दिशानिर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद देता है। हम कंपनी के सामर्थ्य और पेशेवर क्षमता में विश्वास बनाए रखने के लिए हमारे सम्मानित क्लाइंट्स के भी आभारी हैं।

निदेशक मंडल सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के मूल्यवान सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल बैंकर्स, और विभिन्न अन्य संगठनों और व्यक्तियों के सतत सहयोग की भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल कंपनी की सतत वृद्धि तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और उनके योगदान के लिए उनकी भी सराहना करता है।

बोर्ड के आदेश से

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर

ज्ञानेश पाण्डेय

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 03555957

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 6 नवंबर, 2020

अनुलग्नक–I

आज की स्थिति के अनुसार जारी परामर्श परियोजनाओं का सार

क. वास्तुशिल्प आयोजना, डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन सेवाएँ।

एम्स, नागपुर

- स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापरक जीवन मंत्रालय, मॉरीशस गणराज्य के लिए कैंसर अस्पताल
- सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, चंद्रपुर – महाराष्ट्र।
- पीजीआई, चंडीगढ़ में उन्नत न्यूरो साइंस केंद्र।
- नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), गुंटूर (आंध्र प्रदेश), रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में नए एम्स।
- बंगलुरु में एनआईएमएचएएनएस के लिए मनोचिकित्सा विशिष्टता ब्लॉक और साझा प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स
- सिलीगुड़ी में ईएसआईसी के लिए 100 बिस्तरों का अस्पताल।

एम्स कल्याणी

एम्स रायबरेली – अस्पताल ब्लॉक

- एम्स – नई दिल्ली।
  - ➢ गेरिएट्रिक ब्लॉक।
  - ➢ नया पेड वार्ड।
  - ➢ माता एवं शिशु ब्लॉक।
  - ➢ नया ओपीडी ब्लॉक।

सीएनसीआई – कोलकाता

पीजीआई सेटेलाइट केंद्र संगरूर

- पीजीआईएमईआर, डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के रेजीडेंट डॉक्टरों के लिए हॉस्टल ब्लॉक।
- संगरूर में पीजीआई – चंडीगढ़ की सेटेलाइट यूनिट (ओपीडी और मुख्य कार्य)।
- आरआईएमएस, इम्फाल के लिए यूजी की सीटों की क्षमता 100 से बढ़ा कर 150 करने की योजना का कार्यान्वयन।
- निम्नलिखित स्थानों पर पीएमएसएसवाई उन्नयन चरण–III परियोजनाएं
  – बुरला – डिब्रूगढ़ – शिमला – पणजी (गोआ) – दार्जिलिंग
- मिजोरम चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान, फाल्कोन, मिजोरम।
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड होस्पिटल्स, नई दिल्ली में नया विकास कार्य।

आज की स्थिति के अनुसार जारी परामर्श परियोजनाओं का सार

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएँ

- सुपर स्पेशलिटी एंड एमर्जेंसी ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण।
- कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल, हरियाणा के लिए चिकित्सा उपकरण।
- एम्स, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा उपकरण।
- मॉरीशस गणराज्य के ईएनटी एंड कैंसर होस्पिटल्स के लिए चिकित्सा उपकरण।
- सीएनसीआई – कोलकाता के लिए चिकित्सा उपकरण।
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण।
- पाली के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा उपकरण।

ईएनटी मॉरीशस

एम्स, नई दिल्ली
बर्न्स एंड प्लास्टिक वार्ड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक भारत सरकार का उद्यम है और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना मार्च 1983 में की गई थी। अपने प्रचालन के शुरुआत से कंपनी का सम्पूर्ण व्यवसाय सरकारी या किसी अन्य स्रोत से किसी भी रूप में उधार लिए बिना प्रबंधित किया गया है। एचएससीसी को सितंबर 1999 में 'मिनी रत्न' कंपनी घोषित किया गया है और इसने दिसंबर, 2015 में 'मिनी रत्न–श्रेणी I' की कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

कंपनी अस्पताल आयोजना, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन और निगरानी के क्षेत्र में और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा इसे सौंपी गई परियोजनाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, संस्थापन और कमीशन करने के क्षेत्र में व्यापक परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है।

एचएससीसी ने क्लाइंट विशिष्ट, लागत प्रभावी तथा नवाचारी समाधान विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी विशेषज्ञता के पूल का प्रयोग करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। एचएससीसी ने न केवल भारत में बल्कि कई देशों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों, प्रयोगशालाओं आदि से संबंधित बड़ी स्वास्थ्य सेवा परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। कंपनी ने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल के कंप्यूटरीकरण, स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन अध्ययनों और प्रशिक्षण एवं भर्ती आदि के क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों को विविधीकृत भी किया है।

एचएससीसी ने इतने वर्षों में स्वास्थ्य सेवा परामर्श के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन खड़ा किया है। वर्तमान में कंपनी पूरे भारत में कार्यों का निष्पादन कर रही है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है।

मजबूती:

- शुरुआत से ही ऋण–मुक्त और लाभ अर्जित करने वाली कंपनी।
- भारत सरकार का समर्थन और सहयोग।
- एक ही स्थान पर विभिन्न श्रेणी की परामर्श सेवाएँ।
- बहुपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का प्रबंधन करने में व्यापक अनुभव।
- जटिल तथा बड़ी परियोजनाओं का प्रबंधन करने की क्षमता के साथ सुदृढ़ परियोजना अनुभव।
- गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करके कार्य निष्पादन करने वाला संगठन।
- योग्य तथा प्रतिबद्ध और कम संख्या में कार्यबल।

कमजोरी:

- निजी इकाइयों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल।
- संघर्षण उत्पन्न करने में अक्षमता।
- अधिकतर व्यवसाय निजी क्षेत्र के क्लाइंट्स से होता है।
- राजस्व मॉडल एक–बार की परियोजनाओं पर आधारित है न कि आवर्ती सेवाओं पर जो सतत राजस्व प्रवाह बनाए या सुनिश्चित व्यवसाय समर्थन दे।
- सीमित संख्या में विशेषीकृत विक्रेता/एजेंसियां।

अवसरः

- देश में अस्पतालों, बिस्तरों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा स्टाफ की संख्या बहुत कम है।
- मौजूदा अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन।
- सार्क देशों में व्यवसाय का विस्तार।
- अन्य भवन इंजीनियरिंग और अनुरक्षण सेवाओं से जुड़ कर विविधता लाने की संभावना।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में) की माँग बढ़ने जा रही है।
- अस्पतालों के लिए सहयोग के अवसर और सरकारी अस्पतालों में अस्पताल क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग।
- समान अवसंरचना विकास क्रियाकलापों में आधारभूत वास्तुशिल्प, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और प्रापण कौशल का लाभ लेना।

खतराः

- परियोजना पूरी होने की लंबी अवधि के कारण व्यवसाय परियोजनाएं पूर्वोत्तर की ओर जा रही हैं, समय पर निधि उपलब्ध न होने के कारण कारोबार लंबे समय में बंट जाता है।
- तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी कार्मिकों का संघर्षण।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहयोग करने से परामर्श सेवाओं के वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करते हुए नीति में बदलाव।
- बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों और अत्यधिक कम शुल्क के साथ बंटा हुआ बाजार।
- अवसंरचना में तेजी आने के कारण बड़ी संख्या में इकाइयां अनुभव प्राप्त कर रही हैं जिसके कारण आधारभूत डीएंडई कौशल का बढ़ता वस्तुकरण।
- भूमि उपलब्ध न होने के कारण परियोजनाएं रुक जाती हैं, ऐसे कारण जो नियंत्रण के बाहर हैं।
- परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके द्वारा गैर–संबद्ध विविधीकरण के कारण व्यवसाय में नुकसान होता है।
- खरीद परियोजनाओं के लिए शुल्क में कमी और बड़े असाइनमेंट्स की कमी के कारण सूक्ष्म तथा लघु असाइनमेंट्स में व्यवसाय की संभावनाओं में नुकसान हो रहा है।

दृष्टिकोणः

एचएससीसी स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक अवसंरचना विकास क्षेत्रों में एक बहु–आयामी प्रतिष्ठित परामर्श एवं खरीद प्रबंधन सेवा संगठन है। इसके सेवा के क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन इंजीनियरिंग, विस्तृत निविदा प्रलेखन, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, सिविल, इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों और सहायक चिकित्सा सेवा क्षेत्रों में खरीद सहयोग सेवाएँ शामिल हैं। इसके महत्वपूर्ण क्लाइंट्स में शामिल हैं :–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इसके अस्पताल/संस्थाएं
- विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकारें और उनके अस्पताल / संस्थाएं
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / अन्य संस्थाएं
- मॉरीशस सरकार

एक विश्वस्तरीय परामर्श संगठन बनने के लिए अपने प्रचालनों में विविधता लाने और विस्तार करने पर ज़ोर दिया जा रहा है जैसे भवन इंजीनिययरिंग और अनुरक्षण सेवाएँ और कंपनी के क्लाइंट आधार को भी बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

जोखिम और चिंताएँ

कंपनी के लिए प्रमुख जोखिम और चिंता का क्षेत्र है संबंधित मंत्रालय से खरीद कार्यों में कमी और वर्तमान परिदृश्य में कुछ सिविल कार्यों में एक समान/घटी हुआ परामर्श शुल्क।

आईटी संबंधी प्रयास

- कॉरपोरेट कार्यालय और यूनिट्स में इंटरनेट कनेक्शन इन्स्टॉल कर दिया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों को लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) के माध्यम से लिंक कर दिया गया है।
- ई–निविदा क्रियाकलाप।

प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन की तुलना में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा

कंपनी की कुल आय 2,131.76 करोड़ रुपये थी जिसमें 6.35 करोड़ रुपये का ब्याज तथा अन्य आय शामिल है जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़े क्रमशः 2,071.04 करोड़ रुपये और 7.76 करोड़ रुपये थे। कंपनी को पिछले वर्ष के 79.49 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 64.24 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ हुआ। लाभ में कमी मुख्य रूप से अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के प्रावधान में बदलाव के कारण हुई।

सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक एएस–108 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर कंपनी के व्यवसाय सेगमेंटों में निर्माण क्रियाकलाप, परामर्श, उपकरणों, दवाइयों की आपूर्ति आदि शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय लेखा मानक एएस–108 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" की परिभाषा के अनुसार सभी प्रचालन एक ही सेगमेंट में आते हैं।

चूंकि कंपनी के क्रियाकलाप प्रमुख रूप से देश के अंदर हैं और जिन उत्पादों/सेवाओं के क्षेत्र में कंपनी काम करती है उनकी प्रकृति को देखते हुए प्रचालन जोखिम और प्रतिफल समान हैं और इस प्रकार केवल एक ही सेगमेंट है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता शामिल हैं। प्रचालन की दक्षता, निर्धारित नीतियों तथा कार्य विधियों का अनुपालन और कानून तथा विनियमों का अनुपालन।

प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रण में पारदर्शिता पर ज़ोर देते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बाहरी कंपनी को सौंपा जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टें आवधिक रूप से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं।

मानव संसाधन विकास

एचएससीसी एक ज्ञान आधारित कंपनी है और इसलिए इसकी ताकत इसके कार्मिकों में है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास नियमित वेतनमान में 187 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 96 कर्मचारी थे जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 68 कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के 3 कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारी प्रबंधन संबंध पूरे वर्ष शानदार बने रहे। बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एचएससीसी के कर्मचारियों की जानकारी और कौशल में लगातार उन्नयन किया जाता है। कर्मचारियों की जानकारी और कौशल और विकसित करने के लिए वर्ष के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया। कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न सामाजिक लाभ प्रदान करके लगातार प्रोत्साहित करती है।

आचरण संहिता

कंपनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचरण संहिता निर्धारित की है, जो सभी संबंधित कार्यकारियों को ईमेल के माध्यम से और हार्ड–कॉपी के माध्यम से भी परिचालित कर दी गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और पदनामित वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कॉरपोरेट प्रबंधन के बारे में स्थिति की सूचना देते हुए कॉरपोरेट प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही है।

कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी और स्थायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 और अनुसूची VII के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोविड–19 के लिए प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम–केयर्स) कोष में 129.25 लाख रुपये (एक सौ उन्नतीस लाख पच्चीस पैसे) का अंशदान दिया है।

सावधानी कथन

कंपनी के उद्देश्य, अनुमानों, आकलनों, अपेक्षाओं को दर्शाते हुए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में उल्लिखित कथन कंपनी के प्रबंधन के विश्वास के आधार पर लागू क़ानूनों तथा विनियमों के अर्थ में दूरंदेशी कथन हो सकते हैं।

ऐसे कथन भविष्य की घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान विचारों को दर्शाते हैं और जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के अधीन हैं।

सामान्य आर्थिक तथा व्यवसाय स्थितियों में परिवर्तन के कारण कंपनी के प्रचालन का सेगमेंट प्रभावित होने की वजह से वास्तविक परिणाम अनुमानित परिणाम से काफी अलग हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त व्यवसाय रणनीति, ब्याज दरों, महंगाई, अपस्फीति, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन, उद्योग में प्रतिस्पर्धा, सरकारी विनियमों, कर क़ानूनों, संविधियों और अन्य प्रभावी घटकों में परिवर्तन के कारण भी कंपनी के वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

कंपनी किसी नए घटनाक्रम, भविष्य के घटनाक्रम के परिणामस्वरूप या अन्यथा किसी दूरंदेशी कथन को सार्वजनिक रूप से अपडेट करने की किसी बाध्यता को स्वीकार नहीं करती है।

कॉरपोरेट प्रबंधन रिपोर्ट

I. कंपनी का सिद्धान्त

एक अच्छी कॉरपोरेट प्रबंधन नीति वह होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एक विनियमित तरीके से नियंत्रित होती है जो प्रबंधन को पारदर्शी, नैतिक, जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाता है जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक के मूल्य में संवर्द्धन होता है।

II. निदेशक मंडल

1. श्रेणी और अन्य कंपनियों में निदेशक के पदों सहित निदेशक मंडल का संघटन

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशक का नाम	पूर्णकालिक/अंशकालिक	अन्य कंपनियों के बोर्ड सदस्य
श्री पवन कुमार गुप्ता	अध्यक्ष (निदेशक)	(क) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (ख) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	प्रबंध निदेशक (कार्यकारी निदेशक)	कोई नहीं
सुश्री डी. थारा**	सरकार द्वारा नामित निदेशक	(क) हेमीस्फ़ेयर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड (ख) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला*	स्वतंत्र निदेशक	(क) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (ख) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (ग) पेट्रोनेट एलएनजी फाउंडेशन
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	स्वतंत्र निदेशक	कोई नहीं
डॉ. सुरेश चंद्र गर्ग	निदेशक (इंजीनियरिंग), (कार्यकारी निदेशक)	कोई नहीं

**श्रीमती नंदिता गुप्ता 01 जनवरी, 2020 से पदासीन नहीं हैं और सुश्री डी. थारा को उनके स्थान पर एचएससीसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

*डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला ने 27 अप्रैल, 2020 से स्वतंत्र निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान श्री शिव दास मीणा ने 05 अप्रैल, 2019 से श्री अनूप कुमार मित्तल के स्थान पर एचएससीसी के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त श्री पवन कुमार गुप्ता ने 07 अक्तूबर, 2019 से श्री शिव दास मीणा के स्थान पर एचएससीसी के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं है।

इसके अतिरिक्त इनमें से कोई भी निदेशक ऐसी सभी सार्वजनिक कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, में दस से अधिक समितियों का सदस्य या पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति में धारित पदों के संदर्भ में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक–दूसरे से संबंधित नहीं थे।

2. कार्यकाल

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है। अंशकालिक, गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है।

3. निदेशकों का चयन

चूंकि एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है इसलिए इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एचएससीसी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक है।

4. बोर्ड के सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम

एचएससीसी के बोर्ड में शामिल किए गए सभी निदेशकों को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण ों के माध्यम से कंपनी से परिचित करवाया गया। परिचय कार्यक्रम के तहत उन्हें आवश्यक दस्तावेज़/विवरणिकाएँ, कंपनी की आंतरिक नीतियों संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त निदेशकों को कंपनी के प्रति उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियों को समझने में सहायता करने के लिए समय–समय पर विभिन्न सांविधिक निकायों की ओर से लागू कानून विकसित किए जाने के संबंध में भी अपडेट किया जाता है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बार कार्यकारी, सरकार द्वारा नामित निदेशकों या प्रबंधन के सदस्यों की अनुपस्थिति में कंपनी के कार्यों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। वे बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों का प्रभावी निष्पादन करने के लिए आवश्यक कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना की गुणवत्ता, मात्रा और प्रवाह की समयबद्धता का भी आकलन करते हैं। तथापि कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे।

6. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए श्री ज्ञानेश पाण्डेय (प्रबंध निदेशक), श्री एम.सी. बंसल (सीएफओ) और सुश्री सोनिया सिंह (कंपनी सचिव) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

7. बोर्ड की बैठकें

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान 25 मई, 01 अगस्त, 07 अगस्त, 07 नवंबर, 2019 और 06 फरवरी, 2020 को निदेशक मंडल की पाँच बैठकें (160वीं से 164वीं) आयोजित की गईं।

बैठकें और उपस्थिति

निदेशक का नाम	उनके संबंधित कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित	अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
श्री शिव दास मीणा (7/10/2019 तक)	3	3	हाँ
श्री पवन कुमार गुप्ता (7/10/2019 से)	2	2	लागू नहीं
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	5	5	हाँ
श्रीमती नंदिता गुप्ता (01/01/2020 तक)	4	3	नहीं
श्रीमती डी. थारा (01/01/2020 से)	1	1	लागू नहीं
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (01/08/2019 से)	4	4	हाँ
श्री सुरेश चंद्र गर्ग (15/01/2020 से)	1	1	लागू नहीं

टिप्पणी: डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला को 27 अप्रैल, 2020 से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त कुछ निर्णय परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित करके लिए गए और बाद में उन्हें बोर्ड द्वारा अगली बैठक में नोट किया गया, पुष्टि की गई और रिकॉर्ड में लिया गया।

8. निदेशकों का शेयरधारिता पैटर्न

31 मार्च, 2020 को 1,80,01,400 रुपये (प्रति शेयर 100/– रुपये के 1,80,014 इक्विटी शेयर) की कुल इक्विटी शेयर पूंजी में से धारित शेयर:

निदेशक	एचएससीसी के शेयरों की संख्या
श्री पवन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष	शून्य
श्री ज्ञानेश पाण्डेय, प्रबंध निदेशक	6*
श्रीमती डी. थारा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक	शून्य
श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग)	शून्य

*एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से

9. अनुपालन

कार्यसूची तैयार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 सहित लागू क़ानूनों, नियमों और विनियमों और उनके अंतर्गत जारी किए गए नियमों के अनुपालन में बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त के संबंध में टिप्पणी पढ़ी जाती है।

III. आम सभा की बैठक

1. वार्षिक आम बैठक

आम सभा की अंतिम तीन बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2019–20	17 सितंबर, 2019	दोपहर 12:30 बजे	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
2018–19	31 दिसंबर, 2018	दोपहर 03:00 बजे	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
2017–18	13 दिसंबर, 2017	शाम 05:00 बजे	समिति कक्ष सं. 249, ए विंग, द्वितीय तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

असाधारण आम बैठक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोई भी असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

डाक मतपत्र

आगामी वार्षिक आम बैठक में की जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही को डाक मतपत्र से पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

IV. निदेशकों की बोर्ड स्तरीय समितियाँ

क. लेखापरीक्षा समिति

05 अप्रैल, 2019 को श्री शिव दास मीणा को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 25 मई, 2019 को आयोजित बोर्ड की 160वीं बैठक में एचएससीसी की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में श्रीमती नंदिता गुप्ता अध्यक्ष थीं और श्री ज्ञानेश पाण्डेय और श्री शिव दास मीणा सदस्य थे।

इसके बाद 01 अगस्त, 2019 को डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 01 अगस्त, 2019 को आयोजित बोर्ड की 161वीं बैठक में एचएससीसी की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी अध्यक्ष थीं और श्रीमती नंदिता गुप्ता और श्री ज्ञानेश पाण्डेय सदस्य थे।

इसके बाद सुश्री डी. थारा, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग) को क्रमशः 01 जनवरी, 2020 और 15 जनवरी, 2020 को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 06 फरवरी, 2020 को आयोजित बोर्ड की 164वीं बैठक में एचएससीसी की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी अध्यक्ष हैं और सुश्री डी. थारा और श्री सुरेश चंद्र गर्ग सदस्य हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का संघटन निम्नानुसार है: –

- डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी – अध्यक्ष
- सुश्री डी. थारा – सदस्य
- श्री सुरेश चंद्र गर्ग – सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को आवश्यकता के आधार पर बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 25 मई, 2019, 07 अगस्त, 2019, 07 नवंबर, 2019 और 06 फरवरी, 2020 को लेखापरीक्षा समितियों की चार बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशक का नाम	पदनाम	उनके संबंधित कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	जिन बैठकों में उपस्थित रहे
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	अध्यक्ष	3	3
श्रीमती नंदिता गुप्ता	सदस्य	4	2
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	सदस्य	4	4
श्री शिव दास मीणा	सदस्य	1	1

ख. कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति

05 अप्रैल, 2019 को श्री शिव दास मीणा को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 25 मई, 2019 को आयोजित बोर्ड की 160वीं बैठक में एचएससीसी की कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में श्री शिव दास मीणा अध्यक्ष थे और श्रीमती नंदिता गुप्ता और श्री ज्ञानेश पाण्डेय सदस्य थे।

इसके बाद 01 अगस्त, 2019 को डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 01 अगस्त, 2019 को आयोजित बोर्ड की 161वीं बैठक में एचएससीसी की कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में श्रीमती नंदिता गुप्ता अध्यक्ष थीं और डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी और श्री ज्ञानेश पाण्डेय सदस्य थे।

इसके बाद सुश्री डी. थारा, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग) को क्रमशः 01 जनवरी, 2020 और 15 जनवरी, 2020 को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 06 फरवरी, 2020 को आयोजित बोर्ड की 164वीं बैठक में एचएससीसी की कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में सुश्री डी. थारा अध्यक्ष हैं और डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी और श्री सुरेश चंद्र गर्ग सदस्य हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति का संघटन निम्नानुसार है: –

- सुश्री डी. थारा – अध्यक्ष
- डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी – सदस्य
- श्री सुरेश चंद्र गर्ग – सदस्य

वर्ष के दौरान कंपनी सचिव कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति की 09 मार्च, 2020 को एक बैठक आयोजित की गई।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	उनके संबंधित कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	जिन बैठकों में उपस्थित रहे
1.	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	अध्यक्ष	1	1
2.	सुश्री डी. थारा	सदस्य	1	1
3.	श्री सुरेश चंद्र गर्ग	सदस्य	1	1

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर समिति ने कोविड–19 के लिए प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम–केयर्स) कोष में सीएसआर निधि के योगदान के संबंध में परिचालन के माध्यम से एक संकल्प पारित किया है और बोर्ड के विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु संस्तुत किया है।

ग. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

05 अप्रैल, 2019 को श्री शिव दास मीणा को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 25 मई, 2019 को आयोजित बोर्ड की 160वीं बैठक में एचएससीसी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में श्रीमती नंदिता गुप्ता अध्यक्ष थीं और श्री शिव दास मीणा और श्री ज्ञानेश पाण्डेय सदस्य थे।

इसके बाद 01 अगस्त, 2019 को डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 01 अगस्त, 2019 को आयोजित बोर्ड की 161वीं बैठक में एचएससीसी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी अध्यक्ष थीं और श्रीमती नंदिता गुप्ता और श्री ज्ञानेश पाण्डेय सदस्य थे।

इसके बाद सुश्री डी. थारा, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग) को क्रमशः 01 जनवरी, 2020 और 15 जनवरी, 2020 को एचएससीसी के बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर 06 फरवरी, 2020 को आयोजित बोर्ड की 164वीं बैठक में एचएससीसी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार समिति में डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी अध्यक्ष हैं और सुश्री डी. थारा और श्री सुरेश चंद्र गर्ग सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन निम्नानुसार है: –

- डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी – अध्यक्ष
- सुश्री डी. थारा – सदस्य
- श्री सुरेश चंद्र गर्ग – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

निदेशकों का पारिश्रमिक (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)

चूंकि एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए सीएमडी सहित कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और वे सरकार द्वारा पूर्व–निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार और सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति/करार के संबंध में जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक आहरित करते हैं। प्रदर्शन से संबंधित वेतन सहित भत्ते और अनुलाभ कंपनी नियमों के अनुसार दिए जा रहे हैं।

बोर्ड में शामिल अंशकालिक सरकारी निदेशक कंपनी से निदेशक की अपनी भूमिका के लिए कोई पारिश्रमिक आहरित नहीं करते बल्कि सरकार से सरकारी अधिकारी के तौर पर अपना पारिश्रमिक आहरित करते हैं।

कंपनी के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक भी कंपनी से कोई पारिश्रमिक आहरित नहीं करते, उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार अप्रैल, 2015 से प्रति बैठक और उप–समिति (समितियों) की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए केवल 5,000/– रुपये का सिटिंग शुल्क प्रदान किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है :–

क. कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिकः (राशि रुपये में)

विवरण	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (एमडी) (01–04–2019 से 31–03–2020)	श्री सुरेश चंद्र गर्ग (डब्ल्यूटीडी) (15–01–2020 से 31–03–2020)
सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	42,33,692	6,59,988
(ख) अनुच्छेद के अधीन अनुलाभों का मूल्य	1,90,518	22,850
(ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-
स्टॉक विकल्प	-	-
उद्यम इक्विटी	-	-
लाभ के % के रूप में कमीशन	-	-
ई.पी.एफ., नियोक्ता पेंशन, अंशदान	-	-
ईएल और एचपीएल अवकाश नकदीकरण, पीआरएमबी, ग्रेच्युटी और पीआरपी के प्रावधान	-	-
कुल	44,24,210	6,82,838

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

पारिश्रमिक का विवरण	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	कुल
बोर्ड की बैठक और समिति (समितियों) की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	40,000	40,000
कमीशन	-	
अन्य	-	
कुल	40,000	40,000

2. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य उल्लेखनीय वित्तीय व्यवहार/लेन–देन नहीं होता। गैर कार्यकारी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र) को बोर्ड और उप–समिति (समितियों) की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 5,000/– रुपये के सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

V. संचार के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वेबसाइट पर प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद करती है।

क. वार्षिक रिपोर्टः वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण होते हैं। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती है और कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाई जाती है।

ख. वेबसाइटः कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in एचएससीसी के प्रबंधन, विजन, मिशन, नीतियों, कॉरपोरेट प्रबंधन, कॉरपोरेट स्थायित्व, निवेशक संबंधों, अद्यतन जानकारी और सूचना का एक व्यापक संदर्भ स्रोत है।

ग. कनपाई जारी की गई सूचना को कार्यक्रम आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाती है।

VI. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचनाः –

क.	कंपनी रजिस्ट्रेशन का विवरण	सीआईएन–यू74140डीएल1983जीओआई1015459
ख.	37वीं वार्षिक आम बैठकः दिनांक, समय और स्थान	मंगलवार, दोपहर 03:00 बजे
ग.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020
घ.	2020–2021 के लिए वित्तीय कैलेंडर	
	30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के परिणाम 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के परिणाम 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के परिणाम 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के परिणाम	सितंबर, 2020 के प्रथम सप्ताह तक नवंबर, 2020 के प्रथम सप्ताह तक फरवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह तक मई, 2021 के प्रथम सप्ताह तक
ड.	बुक समापन तारीख	शून्य

VII. प्रकटीकरण

इस अवधि के दौरान अपने निदेशकों और प्रबंधन के साथ कोई बड़े उल्लेखनीय संबंधित पक्ष ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए जिनका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों से संभावित टकराव हुआ हो। इसके अतिरिक्त कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को पात्र सिटिंग शुल्क के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय या वित्तीय संबंध नहीं था जो उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सके।

विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट और सांविधिक देय राशि की स्थिति नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

कंपनी बोर्ड के संघटन को छोड़ कर डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

वर्ष के दौरान खाता बही में कोई ऐसा व्यय डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्यों से न हो और निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च स्तर पर प्रबंधन के लिए कोई ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

मैसर्स दत्ता सिंगला एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 006185N) को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर की गई, निस्तारित की गई और लंबित शिकायतों का विवरण कंपनी की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिया गया है।

इस अवधि के दौरान 1379.23 लाख रुपये का प्रशासनिक व्यय हुआ (जिसमें व्यापार प्राप्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए 569.87 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है) जबकि पिछले वर्ष यह व्यय 770.18 लाख रुपये था।

VIII. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सीईओ/सीएफओ द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र कॉरपोरेट प्रबंधन रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक–क)।

IX. अनुपालन

कंपनी पर किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना/प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

कॉरपोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाण–पत्र यहाँ संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

घोषणा

मैं, ज्ञानेश पाण्डेय, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, एतदद्वारा यह घोषित करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

हस्ताक्षर
ज्ञानेश पाण्डेय
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03555957

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 6 नवंबर, 2020

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड,
नोएडा।

हम, श्री ज्ञानेश पाण्डेय, प्रबंध निदेशक और महेश चंद बंसल, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि;

क. हमने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के आधार पर: –

(i) उपर्युक्त विवरणों में कोई उल्लेखनीय रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी उल्लेखनीय तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसा कोई कथन नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) उपर्युक्त विवरण कंपनी के कार्यों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू क़ानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए गए जो फर्जी, अवैध या कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले हों।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है। हमें इन आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या प्रचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य कमी नहीं दिखाई दी।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष निम्नलिखित बातें रखी हैं: –

(i) वर्ष 2019–20 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन।

(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा नीतियों में वे उल्लेखनीय परिवर्तन और वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण।

(iii) वर्ष के दौरान उल्लेखनीय धोखाधड़ी के कोई मामले जिनमें प्रबंधन शामिल हो या वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी कर्मचारी की उल्लेखनीय भूमिका।

हस्ताक्षर

प्रबंध निदेशक
(एचएससीसी)

हस्ताक्षर

मुख्य वित्तीय अधिकारी
(एचएससीसी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 6 नवंबर, 2020

कॉरपोरेट प्रबंधन के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

सेवा में,
सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

1. हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के बिन्दु संख्या 8.2.1 में दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वितती वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉरपोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

2. कॉरपोरेट प्रबंधन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होती है। हमारी जाँच कंपनी द्वारा कॉरपोरेट प्रबंधन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनाई गई कार्यविधियों और इनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 और 178 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियम 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के संबंध में बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के संघटन के संदर्भ में डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया है, और

4. सीएसआर समिति के संघटन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135(1) के प्रावधान के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 जुलाई, 2019 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

   हम आगे उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की क्षमताओं का और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को जिस दक्षता या प्रभावकारिता से निष्पादित किया गया है उसका आश्वासन देता है।

पी.सी. जैन एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
(एफआरएनः P2016HR051300)

हस्ताक्षर
(पी सी जैन)
प्रबंधन सहभागी
सदस्यता संख्याः F4103
सीओपी संख्याः 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

अनुलग्नक–III

एओसी–2

संबंधित पक्ष के साथ किए गए करारों/समझौतों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उपखंड (1) के संदर्भ में कंपनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए करारों/समझौतों के विवरण का प्रकटीकरण

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सामान्य व्यावसायिक कार्यवाही में, परंतु दूरी के संबंधों के आधार पर नहीं, किए गए करारों/समझौतों या ट्रांजेक्शन्स के विवरण का प्रकटीकरणः शून्य।
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सामान्य व्यावसायिक कार्यवाही में, परंतु दूरी के संबंधों के आधार पर नहीं, किए गए करारों/समझौतों या ट्रांजेक्शन्स का विवरणः विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों 2019–20 के संबंधित पक्षकार सौदे के शीर्ष के तहत नोट–39 में प्रदान किए गए हैं।

हस्ताक्षर
कंपनी सचिव
एचएससीसी

अनुलग्नक–IV

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं संधारणीयता के संबंध में नीति

पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया। कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद 135 कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) के विषय पर है। यह उन कंपनियों, जिन्हें सीएसआर कार्यकलाप करने होते हैं, के लिए निवल मूल्य, कारोबार और निवल लाभ के आधार पर अर्हता के मानदंड निर्धारित करता है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी की प्रमुख रीतियों को विनिर्दिष्ट करता है। कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों में जो कार्यकलाप शामिल किए जा सकते हैं वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किए गए हैं। अधिनियम के अनुच्छेद 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

सभी लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई के लिए अधिनियम और सीएसआर नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर कार्यकलाप करना अनिवार्य है। सीपीएसई को अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्धारित किए गए अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना होता है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीएसआर नियम बनाए हैं और इन्हें 27 फरवरी, 2014 को जारी किया है। सीएसआर नियम सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

हाल ही में डीपीई द्वारा सीएसआर और संधारणीयता की अनिवार्यता पर ज़ोर देने और सीपीएसई को व्यवसाय प्रचालन में और सीएसआर के एजेंडा के अनुसरण में संधारणीय विकास के व्यापक उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह देने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी तथा संधारणीयता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं।

सीएसआर नीति

एचएससीसी एक चिंताशील कॉरपोरेट इकाई है और समुदाय के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझती है और समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए काम करने में विश्वास करती है।

एचएससीसी सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय स्वेच्छिक व्यवसाय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

विजन

कार्यकलाप के स्थान या क्षेत्र, जिनमें कंपनी प्रचालन करती है, के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना। ऐसा करने में समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को दूर करना।

पहचान और कार्यान्वयन

(i) एचएससी निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं/कार्यकलापों की पहचान करेगी:

- स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता
- स्वच्छ पेयजल
- ग्रामीण विद्यालयों में शौचालयों का प्रावधान, विशेष रूप से लड़कियों के लिए
- छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- समय–समय पर चिह्नित अन्य कल्याण श्रेणियाँ

(ii) कंपनी के व्यवसाय के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े होने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर ज़ोर दिया जाएगा।

(iii) सीएसआर में निवेश सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विनिर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

(iv) सीएसआर कार्यकलाप समुदाय में अच्छी साख बनाने, सामाजिक प्रभाव डालने और दृश्यता के दृष्टिकोण से किए जाएंगे।

(v) सीएसआर कार्यकलापों से कंपनी की एक सकारात्मक छवि बनाने में सहायता मिलनी चाहिए।

(vi) प्रत्येक परियोजना/कार्यकलाप के लिए प्रारंभ में ही समय–सीमा और आवधिक उपलब्धियां निर्धारित की जाएंगी।

(vii) सीएसआर के अंतर्गत चिह्नित परियोजना कार्यकलाप विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

ऐसी विशेषीकृत एजेंसियों में निम्नलिखित शामिल होंगी:

- औपचारिक और अनौपचारिक समुदाय आधारित संगठन
- चुने हुए स्थानीय निकास जैसे पंचायतें
- स्वयंसेवी एजेंसियां (एनजीओ)
- संस्थान/शैक्षणिक संगठन
- स्वयं–सहायता समूह
- सरकारी, अर्द्ध–सरकारी और स्वायत्त संगठन
- एससीओपीई
- महिला मंडल/समितियां और समान संस्थाएं
- सिविल कार्यों के लिए अनुबंधित एजेंसियां
- व्यावसायिक परामर्श संगठन आदि

यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी रखी जाएगी कि एचएससीसी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर कार्यकलाप केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के समान न हों।

जहाँ भी विशेषीकृत एजेंसियों को सीएसआर परियोजनाएं सौंपी गई हैं वहाँ ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता और उनके साफ ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। एचएससीसी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, स्वायत्त संगठनों या राष्ट्रीय सीएसआर हब आदि द्वारा बनाए गए पैनलों में से भी किसी पैनल का चयन कर सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित सीएसआर कार्यकलापों संबंधी प्रावधान

उप–खंड (1) में उल्लिखित प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपनी कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति के अनुसरण में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे।

बशर्ते कि कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी कार्यकलापों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने के लिए उन स्थानीय क्षेत्रों और उनके आस–पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जिनमें वह प्रचालन करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII

वे कार्यकलाप जो कंपनियों द्वारा उनकी कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीतियों में शामिल किए जा सकते हैं।

निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलापः

(i)	अत्यधि भुखमरी और गरीबी का उन्मूलन;
(ii)	शिक्षा का प्रसार;
(iii)	लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना;
(iv)	बाल मृत्यु दर को कम करना और गर्भावस्था में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना;
(v)	मानव इम्यूनोडेफ़िसिएन्सी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफ़िसिएन्सी सिंड्रोम, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना;
(vi)	पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना;
(vii)	रोजगार में संवर्द्धन करने के लिए व्यावसायिक कौशल;
(viii)	सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएं;
(ix)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए राहत और कोष में योगदान; और
(x)	निर्धारित किए गए अन्य ऐसे विषय।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में नवीनतम संशोधन के अनुसार निम्नलिखित मद शामिल की गई हैः

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII *में संशोधन के अनुसार सीएसआर तथा संधारणीयता के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष और पीएमएनआरएफ में योगदान।*

सीएसआर एवं संधारणीयता के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों से संबंधित प्रावधान (दिसंबर 2012)

निम्नलिखित तरीके से निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में बोर्ड के संकल्प के माध्यम से सीएसआर बजट अनिवार्य रूप से बनाया जाएगाः

किसी वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए सीपीएसई व्यय का प्रकार

	निवल लाभ (पूर्ववर्ती वर्ष)	(लाभ का %)
(i)	100 करोड़ ₹ से कम	3% - 5%
(ii)	100 करोड़ ₹ से 500 करोड़ ₹	2% - 3%
(iii)	500 करोड़ ₹ और इससे अधिक	0.5% - 2%

सीएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों के संभावित क्षेत्र (यह सूची सांकेतिक है संपूर्ण नहीं)

i)	पेयजल सुविधा
ii)	शिक्षा
iii)	बिजली की सुविधा
iv)	सौर विद्युत की सुविधा
v)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
vi)	सिंचाई सुविधाएं
vii)	स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य
viii)	प्रदूषण नियंत्रण
ix)	पशुओं की देखभाल
x)	खेल और खेलों को बढ़ावा देना
xi)	कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना
xii)	पर्यावरण–हितैषी प्रौद्योगिकियाँ

xiii)	अग्रगामी तथा पश्चगामी संपर्कों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना
xiv)	देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवाती तूफान, सूखे और बाढ़ की स्थिति में पीड़ितों के लिए राहत
xv)	सरकार के विकास कार्यक्रमों में सहयोग करना
xvi)	गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत
xvii)	सामुदायिक केन्द्रों/रात्रि शरणस्थलों/वृद्धाश्रमों का निर्माण
xviii)	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना
xviii)	कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना
xix)	गाँवों को गोद लेना
xx)	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए कॉरपोरेट ज़िम्मेदारी पर चार्टर के संबंध में सुझाए गए बिन्दुओं पर कार्रवाई करना।
xxi)	एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग श्रेणियों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ
xxii)	हॉस्टलों को अपनाना/उनका निर्माण (विशेष रूप से एससी/एसटी के छात्रों और लड़कियों के लिए)
xxiii)	युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यम कौशल विकास और रोजगार सहायता कार्यक्रम।
xxiv)	सड़कों, मार्गों और पुलों का निर्माण।
xxv)	उद्यम कौशल विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
xxvi)	सुधार/नियंत्रण से संबंधित कार्यकलापों सहित आपदा प्रबंधन कार्यकलाप
xxvii)	पर्यावरण/पारिस्थितिकी के संरक्षण और संधारणीय विकास से संबंधित कार्यकलाप
xxviii)	सीएसआर तथा संधारणीयता के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, पीएमएनआरएफ में योगदान।

पुराने बजट का उपयोग करने के लिए परियोजनाएं

एक मौजूदा परियोजना स्थल के आस–पास खराब हालत वाले सरकारी स्कूल भवन की पहचान। वर्तमान भवन का पुनरुद्धार या नए भवन का निर्माण, और शौचालय ब्लॉक तथा पेयजल का प्रावधान।

- लड़कियों या कमजोर वर्ग के छात्रों को मासिक आधार पर सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेज कर छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए चिकित्सक की सेवाओं का प्रावधान। (केवल जाँच और दवाइयाँ लिखना)
- सीएसआर की शेष निधि का अलग से सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है और इससे अर्जित ब्याज का प्रयोग भी सीएसआर कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है।
- सीएसआर में पुरानी शेष राशि का उपयोग स्वच्छ गंगा कोष में किया जा सकता है।
- सीएसआर की शेष राशि सरकारी अस्पतालों में रात्रि शरणस्थल के निर्माण के लिए देने का प्रावधान।
- दिल्ली में और इसके आस–पास वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधारभूत अवसंरचना तैयार करने का प्रावधान।
- सरकारी विद्यालयों में महिला शौचालय ब्लॉक बनाने/उसके पुनरुद्धार का प्रावधान।

निगरानी

सीएसआर परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी सीएमडी द्वारा गठित एक सीएसआर समिति द्वारा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट सीएसआर बोर्ड समिति को प्रस्तुत की जाएगी। निगरानी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा:

i) किए जाने वाले कार्यकलाप; ii) आवंटित बजट;

iii) निर्धारित समय–सीमा; iv) निर्धारित जिम्मेदारियाँ और प्राधिकरण;

v) अपेक्षित प्रमुख परिणाम।

कंपनी की सीएसआर नीति की रूपरेखा का सार

एचएससीसी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है। सीएसआर नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं: –

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्धारित सभी परियोजनाओं को शामिल करना।

प्रस्तावों की सिफ़ारिश बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा की जाती है और इन्हें कार्यान्वयन के लिए एचएससीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सीएसआर समिति का संघटन निम्नानुसार है: –

नाम	पदनाम
सुश्री डी. थारा	अध्यक्ष
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	सदस्य
श्री सुरेश चंद्र गर्ग	सदस्य

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ: 6462.53 लाख रुपये

(ख) निर्धारित सीएसआर व्यय (ऊपर मद क में डी गई राशि का डॉ प्रतिशत): 129.25 लाख रुपये

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

- वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि: 129.25 लाख रुपये
- व्यय नहीं की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य
- कुल राशि व्यय नहीं करने का कारण: लागू नहीं
- जिस तरीके से वित्तीय वर्ष के दौरान राशि व्यय की गई उसका विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	परियोजना कार्यकलाप	जिस क्षेत्र में परियोजना शामिल है	स्थान	परियोजना/ कार्यक्रम के लिए कुल स्वीकृत बजट	चालू वर्ष 2019–20 में परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	चालू वर्ष 2019–20 के लिए परियोजना या कार्यक्रम–वार परिव्यय (बजट) की राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	कोविड–19 के लिए प्रधानमंत्री केयर्स कोष में योगदान	अनुसूची–VII (मद सं. (VIII)	नई दिल्ली	129.25	129.25	129.25	129.25	भारत सरकार

ज़िम्मेदारी कथन

हम एतदद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि एचएससीसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है और सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं और कार्यकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

हस्ताक्षर
डी. थारा
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

स्थान: नोएडा
दिनांक: 13.11.2020

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

;(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड,
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110096

हमने **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** (इसके बाद इसे "कंपनी" कहा गया है), जिसका सीआईएन: **U74140DL1983GOI015459** है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉरपोरेट प्रबंधन पद्धतियों के अनुसरण की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है, सचिवालयी लेखापरीक्षा उस पद्धति से की गई जो कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर मेरी राय व्यक्त करने का एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

कंपनी के खातों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त रिकॉर्ड, प्रारूपों और दाखिल की गई विवरणियों और कंपनी के पास मौजूद अन्य रिकॉर्ड्स और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना का हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने **31 मार्च, 2020** को समाप्त वित्तीय वर्ष सहित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कंपनी में यहाँ की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उस पद्धति में और उसके शर्ताधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएँ और अनुपालन प्रणालियाँ मौजूद हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च, 2020** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** ("कंपनी") के खातों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त रिकॉर्ड, प्रारूपों और दाखिल की गई विवरणियों और कंपनी के पास मौजूद अन्य रिकॉर्ड्स की जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(iii) जमाकर्ता अधिनियम, 1996 और विनियम 55 ए की सीमा तक इसके तहत बनाए गए विनियम और उप–विधि: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी व्यावसायिक उधार की सीमा तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(v) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(क) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों का उल्लेखनीय अधिग्रहण और नियंत्रण अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ख) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषिद्ध) विनियम, 2015; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ग) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूंजी तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं को जारी करना) विनियम, 2018: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(घ) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ङ) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करना और उनकी लिस्टिंग) विनियम, 2008; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(च) कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से डील करने के संबंध में भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (किसी मुद्दे पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(छ) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करना) विनियम, 2009 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं); और**

(ज) भारत का प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस खरीदना) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)।**

(vi) हम अन्य लागू क़ानूनों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा पद्धतियों के लिए कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर निर्भर रहे हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

आज की तारीख तक यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।

निदेशक मंडल आकी बैठकों और आम बैठकों के संबंध में भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक।

हमने कंपनी द्वारा लागू वित्तीय क़ानूनों, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर क़ानूनों, के अनुपालन की जाँच नहीं की है, क्योंकि ये सांविधिक लेखापरीक्षा और अन्य पदनामित पेशेवरों की समीक्षा का विषय रहे हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

प्रेक्षण 1:

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 और 178 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 के उप–खंड 4 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियम 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति नहीं करते हुए बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के संघटन के संदर्भ में डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया है, और

(ख) सीएसआर समिति के संघटन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135(1) के प्रावधान के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 जुलाई, 2019 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

31 मार्च, 2020 तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को छोड़ कर कंपनी का निदेशक मंडल यथोचित रूप से गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए। बोर्ड की बैठकें बुलाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची के संबंध में विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजी गईं, और बैठक के आयोजन से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

यथोचित रूप से रिकॉर्ड किए गए और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और कोई असहमत विचार रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया गया और कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया।

1. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्य नहीं किया गया जिसका उपर्युक्त क़ानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्य पर बड़ा प्रभाव रहा हो, सिवाय इसके कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–1, नोएडा में खाता सं. 1725020000000151 में 1.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पकड़ी गई। पूर्व के वर्षों में भारत के सीएजी की टिप्पणियों पर विचार करते हुए और अनसुलझे ट्रांजेक्शन्स की संख्या को देखते हुए नियंत्रक कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने कंपनी में फोरेंसिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। फोरेंसिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

पी.सी. जैन एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
(एफआरएनः 2016HR051300)

हस्ताक्षर
(पी सी जैन)
प्रबंधन सहभागी
सदस्यता सं.: F4103
सीओपी नंबरः 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

'अनुलग्नक क'

सेवा में,

सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड,
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110096

महोदय,

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी समसंख्यक तारीख की सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए

1. सचिवालयी रिकॉर्ड्स रखना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होती है। हमारी ज़िम्मेदारी हमारे समक्ष लेखापरीक्षा के लिए रखे गए रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्ड्स पर राय व्यक्त करने की होती है।
2. हमने सचिवालयी रिकॉर्ड्स में दी गई विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सचिवालयी रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाया जाना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रणालियों का अनुसरण किया वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड्स और खाता बहियों की सत्यता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले ही दर्शाए गए प्रेक्षण/टिप्पणियाँ/कमज़ोरियाँ शामिल नहीं की गई हैं।
4. जहाँ भी आवश्यक था हमने क़ानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटनाक्रम आदि के संबंध में अनुपालन के संदर्भ में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट और अन्य लागू क़ानूनों के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रियाएँ तथा अनुपाल्न प्रणाली होने या न होने के संबंध में हमारी राय देने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की क्षमताओं का और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को जिस दक्षता या प्रभावकारिता से निष्पादित किया गया है उसका आश्वासन देता है।

पी.सी. जैन एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
(एफआरएनः 2016HR051300)

(पी सी जैन)
प्रबंधन सहभागी
सदस्यता सं.: F4103
सीओपी नंबरः 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

कॉरपोरेट प्रबंधन रिपोर्टों (2019–20) पर सचिवालयी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का प्रबंधन द्वारा जवाब

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ (सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट)	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ (कॉरपोरेट प्रबंधन)	प्रबंधन का जवाब
कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 और 178 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 के उप–खंड 4 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियम 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति नहीं करते हुए बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के संघटन के संदर्भ में डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया है।	.–वही–	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और निदेशकों – – कार्यकारी, गैर–कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों – की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। – विभिन्न निदेशकों की भर्ती करने के लिए कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के साथ मामले को उठाया है। डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 01/08/2019 को की गई और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक और नियुक्ति डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला, स्वतंत्र निदेशक की 27/04/2020 को की गई।
सीएसआर समिति के संघटन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135(1) के प्रावधान के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 जुलाई, 2019 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।	–वही–	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक की 01/08/2019 को नियुक्ति के साथ बोर्ड ने सीएसआर समिति के संघटन का अनुपालन कर लिया है।

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) और कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. रजिस्ट्रेशन और अन्य विवरणः

1.	सीआईएन	U74140DL1983GOI015459
2.	रजिस्ट्रेशन की तारीख	30/03/1983
3.	कंपनी का नाम	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, एलएससी सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110096 ईमेलः cs_hscc@hsccltd.co.in संपर्कः 0120-2542436-40
6.	क्या लिस्टेड कंपनी है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण।	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यवसाय कार्यकलापः

कंपनी के कुल कारोबार के 10% या इससे अधिक का योगदान करने वाले सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगाः –

क्र. सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईएसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	परामर्श इंजीनियरिंग सेवाएँ	9983	100

III. नियंत्रक, सहायक और संबद्ध कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/ सहायक/ संबद्ध	धारित शेयरों का %	लागू अनुच्छेद
1	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	L74899DL1960GOI003335	नियंत्रक	100	2(46)

IV. शेयरधारिता पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2019 को)				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
प्रोमोटर									
भारतीय									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	36	6	42	0.01	36	6	42	0.01	शून्य
ख) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकार (सरकारें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) कॉरपोरेट निकाय	179972	शून्य	179972	99.99	179972	शून्य	179972	99.99	99.99
ड.) बैंक / एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (क)(1)	180008	6	180014	100	180008	6	180014	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) कॉरपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप जोड़ (क) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क)	180008	6	180014	100	180008	6	180014	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक / एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2019 को)				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ.) वेंचर केपिटल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) एफआईआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी वेंचर केपिटल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (विवरण दें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (ख)(1): –	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) कॉरपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पप) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प) 1 लाख ₹ तक की कम शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पप) 1 लाख ₹ से अधिक की कम शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2019 को)				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
ग) अन्य (विवरण दें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अप्रवासी भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी कॉरपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी नागरिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्लीयरिंग सदस्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
न्यास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी निकाय – डी आर		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (ख)(2)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक (ख)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (क+ख+ग)		180008	6	180014	100	180008	6	180014	100

(ii) प्रोमोटर की शेयरधारिता

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2019 को)			वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत के राष्ट्रपति की ओर से नामित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	179972	99.97	शून्य	179972	99.97	शून्य	99.97
ज्ञानेश पाण्डेय*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
राजेन्द्र चौधरी*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
योगेश शर्मा*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
बलदेव कौर शोखे*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
चंद्र शेखर गुप्ता*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
नीलेश शाह*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
राकेश गुप्ता*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0

*एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से

(iii) प्रोमोटर की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता
1.	वर्ष के आरंभ में	–	लागू नहीं		
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	–			
3.	वर्ष के अंत में	–			

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न

(निदेशकों, प्रोमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों को छोड़ कर)

क्र. सं.	विवरण	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता
1.	वर्ष के आरंभ में	1 अप्रैल, 2019	लागू नहीं		
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	31 मार्च, 2020			

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	विवरण	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1.	श्री पवन कुमार गुप्ता वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				
2.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	6 शून्य 6	0.00 शून्य 0.00	6 शून्य 6	0.00 शून्य 0.00
3.	श्री सुरेश चंद्र गर्ग वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				
4.	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				

5.	सुश्री डी. थारा वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य
6.	श्री एम.सी. बंसल वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य
7.	सुश्री सोनिया सिंह वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए शेष नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तताता

विवरण	जमा को छोड़ कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	शून्य			
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तनः शून्य				
*जोड़ शून्य				
*कमी शून्य				
निवल प्रभार				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	शून्य			
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य			
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)		शून्य		

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबन्धक का पारिश्रमिकः (राशि रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबन्धक का नाम	
1.	नाम	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (01–04–2019 से 31–03–2020)	श्री सुरेश चंद्र गर्ग (15–01–2020 से 31–03–2020)
	पदनाम	प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक

1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	80,59,959	9,56,071
2.	स्टॉक विकल्प	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–
4.	कमीशन	–	–
	लाभ के % के रूप में	–	–
	अन्य, स्पष्ट करें	–	–
	कुल (क)	80,59,959	9,56,071
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. निदेशकों का पारिश्रमिक (राशि रुपये में

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	
	बोर्ड समिति (समितियों) की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	40,000	40,000
	कमीशन	शून्य	शून्य
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य
	कुल (1)	40,000	40,000
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक		
	बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य
	कुल (ख)=(1+2)	40,000	40,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र ऊपरी सीमा	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	शून्य	शून्य

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबन्धक/डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिकः (राशि रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	
	नाम	श्री एम. सी. बंसल (07–08–2019 से 31–03–2020)	सुश्री सोनिया सिंह (18–11–2019 से 31–03–2020)
	पदनाम	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	20,17,945	3,52,216
2.	स्टॉक विकल्प	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–
4.	कमीशन	–	–
	लाभ के % के रूप में	–	–
	अन्य, स्पष्ट करें	–	–
	कुल (क)	20,17,945	3,52,216
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा		

vii) गलतियों के लिए जुर्माना/सजा/कंपाउंडिंगः

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/सजा/कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
कंपनी					
जुर्माना	लागू नहीं				
सजा					
कंपाउंडिंग					
निदेशक					
जुर्माना	लागू नहीं				
सजा					
कंपाउंडिंग					
ग. गलती करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	लागू नहीं				
सजा					
कंपाउंडिंग					

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर

कंपनी सचिव, एचएससीसी

दिनांकः 13.11.2020

स्थानः नोएडा

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के तहत वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह उनके द्वारा 24 जून, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य दस्तावेजों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखा रिकॉआरडीएस की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में कोई टिप्पणी दी जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

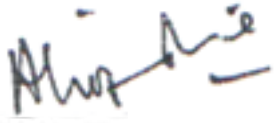

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (अवसंरचना)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 सितंबर, 2020

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
एचएससीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्य

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एचएससीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी') के साथ के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण, तत्कालीन समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों के नोट और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (बाद में 'एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार से अपेक्षित तरीके से देते हैं और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखाकरण नीतियों के अनुरूप 31 मार्च 2020 तक कंपनी के कामकाज तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से संबंद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत जिम्मेवारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

(i) नोट नं 19 – अन्य देय रु.7140.21 लाख रुपये में देय अंतर परियोजनाएं शामिल हैं। 3434.26 लाख जिसके विरुद्ध नोट नं 12 – दूसरों से प्राप्य, बकाया रु.2742.06 लाख है। देय और प्राप्य इन अंतर परियोजनाओं में से किसी का भी न तो मिलान किया गया है और न ही समायोजित किया गया है। मिलान के अभाव में वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का भी पता नहीं लगाया जा सका।

(ii) नोट संख्या 21 – अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान 3076.07 लाख रुपये में 2926 लाख रुपये शामिल है,जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में 01.04.2017 को रिजर्व से संदिग्ध वसूली के दृष्टांतों के रूप में ज्ञात संव्यवहारों के लिए निकाला गया था। हालाँकि इन लेनदेन के कारण वसूली योग्य / डेबिट राशि का मिलान नहीं किया जा सका। उचित और निर्णायक साक्ष्य के अभाव में, प्रावधान और वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव की न्यूनोक्ति अथवा अत्युक्ति का पता नहीं चल सका।

(iii) परियोजनाएँ जो पूरी हो चुकी हैं और मंत्रालय / ग्राहकों को सौंप दी गई हैं, उनका वित्तीय संपादन लंबित है। इसके अलावा कुछ परियोजनाएँ हैं जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन उन्हें सौंपने और अधिग्रहण का काम लंबित है। वित्तीय विवरणों पर परियोजनाओं के गैर–वित्तीय संपादन और गैर–अभ्यर्पण / अधिग्रहण का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका। यह पूर्ववर्ती वर्ष में पिछले लेखा परीक्षक द्वारा योग्यता का विषय भी था। (नोट संख्या 49 देखें)।

(iv) बैंकों से प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि, प्रतिधारण राशि, ग्राहक जमा निधि,व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ईएमडी, प्रतिभूति जमा (प्राप्य और देय दोनों), प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में मंत्रालयों, ग्राहकों और सरकारी बकायों की शेष राशि, राज्य कर अपुष्ट और असंगत हैं। उपर्युक्त खातों की गैर–पुष्टि और मिलान का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका। यह पूर्ववर्ती वर्ष में पिछले लेखा परीक्षक द्वारा योग्यता का विषय भी था। (नोट संख्या 50 देखें)

(v) निम्नलिखित बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया है:

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखा	खाता सं.	निम्नलिखित से संबंधित
1.	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर 1 नोएडा	1725020000000644	आयुष दिल्ली परियोजना
2.	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर 1 नोएडा	1725020000000151	एचएससीसी (इण्डिया) लिमिटेड

पिछले वर्षों में इन खातों में प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कपटपूर्ण लेन–देन की पहचान की गई थी। इस वर्ष के दौरान भी कंपनी द्वारा 1.89 करोड़ रुपये का क्रम सं.2 में उपर्युक्त बैंक खाते में पता लगाया गया था, हालांकि कंपनी द्वारा बैंक को इस राशि का भुगतान किया गया था। उपरोक्त खातों के लिए चालू वर्ष के लिए तैयार बैंक समाधान में पिछले वर्षों के बेमेल लेनदेन शामिल नहीं हैं। पूर्व के वर्षों में भारत के सीएजी की अभ्युक्तियों और बेमेल लेनदेन की संख्या को देखते हुए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किए गए थे। आज तक फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मिली है। वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त बैंक खातों के गैर–मिलान के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका। यह पूर्ववर्ती वर्ष में पिछले लेखा परीक्षक द्वारा योग्यता का विषय भी था। (नोट संख्या 48 और 51 देखें)

(vi) पिछले वर्षों में कपटपूर्ण लेन–देन के कारण प्राप्य डेबिट बैलेंस / राशि जिसकी वसूली पर संदेह है तथा बैलेंस शीट में उनकी प्रस्तुति के बारे में, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अभाव में परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति या अत्युक्ति और वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका।

जानकारी और विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर ऊपर पैराग्राफ में दी गई अपनी टिप्पणियों के प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

मामले का महत्व

हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते है:

पीपीई के हिस्से के रूप में दिखाई गई लीज़ होल्ड भूमि पर गैर निर्माण से संबंधित नोट सं. 3. गैर निर्माण के कारण न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लीज एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार भूखंडों को फिर से ग्रहण कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने गैर–निर्माण के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है।

उन मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, हम विचार करते है कि क्या अन्य जानकारी एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या क्या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त सूचना भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के प्रशासन का भार सौंपे गए व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो आइ एन डीएएस तथा भारत में सामान्य रूप में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्पन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण जो सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं, और सामग्रीगत गलत विवरण जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति से संबद्ध लेखाकरण रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे, शामिल हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चलते रहने की क्षमता का निर्धारण करने, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का यथा प्रयोज्य खुलासा करने तथा लेखाकरण के सुनाम प्रतिष्ठान आधार का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेवार है,जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने का इरादा नहीं करता है या संचालन रोकता नहीं हैं या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण समग्र रूप में सामग्रीगत अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद किसी सामग्रीगत गलत विवरण का सर्वदा पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे सामग्रीगत माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते है –

- एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले सामग्रीगत गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को बनाने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत हम इस बात कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता मौजूद है, पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की क्षमता पर अत्यधिक संदेह पैदा कर सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्रीगत अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि ,भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का सुनाम प्रतिष्ठान बना रहना समाप्त हो सकता है।
- हम खुलासे सहित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करतें हैं और यह पता लगाते है कि क्या एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति होती है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी प्रशासन के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को संप्रेषित करते है।

हम प्रशासन के जिम्मेवार लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, हम अनुलग्नक क में यथाप्रयोज्य सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक ख में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्दिष्ट मामलों के आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने योग्य राय के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों / प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर मांग की है और सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक था।

ख. योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखाबहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक यह उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त समुचित विवरणी प्राप्त हुई है।

ग. योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों/मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण जो इस रिपोर्ट से संबंधित है, लेखाबहियों के अनुरूप हैं ।

घ. योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों/मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) ए एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

ड. चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) जो निदेशक मंडल से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने से संबंधित है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 463 (अ) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में अनुलग्नक ग में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें और

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में,

(i) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों/मामलों के प्रभावों/ संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है।

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं जिनके कारण सामग्रीगत पूर्वाभासी घाटे हुए, सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं हैं,

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को कोई भी राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

कृते दत्ता सिंगला एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 006185N

ह0/–

संदीप दत्ता

भागीदार

सदस्यता संख्या; 092413

स्थानः नोएडा

तारीखः 24 जून, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक में हम रिपोर्ट करते हैं कि–

(i) (क) कंपनी ने परिमाणात्मक ब्योरे एवं नियत परिसंपत्ति की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) कंपनी के पास चरणबद्ध ढंग से नियत परिसंपत्ति की सभी मदों को कवर करने हेतु सत्यापन का एक कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्ति की प्रकृति के दृष्टिगत युक्तिसंगत है। इस कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान बाह्य फर्म द्वारा नियत परिसंपत्ति का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन के संबंध में कोई सामग्रीगत विसंगतियां देखने को नहीं मिली।

(ग) निम्नलिखित अचल संपत्ति के स्वत्वाधिकार विलेख कंपनी के नाम से धारित नहीं हैं:

भवन के मामले में:

ममलों की कुल संख्या	तुलन पत्र की तारीख के अनुसार		अभ्युक्ति, यदि कोई हो
	सकल ब्लॉक	नेट ब्लॉक	
1	6834.99 लाख	6275.29 लाख	भुगतान नियंत्रक कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को किया गया है। स्वत्वाधिकार विलेख का पंजीकरण लंबित है।

(ii) (क) चूंकि कंपनी उप संविदाकारों को सामग्री के साथ संविदाएं देती है, इसलिए कंपनी द्वारा कोई माल सूची धारित नहीं होती है। भौतिक सत्यापन, विसंगति और विसंगति बहियों में लेखाकरण लागू नहीं होता है।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों के फर्मों, एलएलपी या अन्य पक्षों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की संस्वीकृति नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 iii (क), 3 (iii) ख तथा 3 (iii) ग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 तथा/ या 186 के उल्लंघन में कोई ऋण नहीं दिया है, गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है या निवेश नहीं किया है।

(v) कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमा नहीं स्वीकार किया है।

(vi) कंपनी द्वारा संचालित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। आदेश के खंड 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vii) (क) हमें प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित निर्विवाद सांविधिक देयों के संबंध में लेखाबहियों में काटी गई/ उपार्जित धनराशि को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	धनराशि (रू लाख में)	अवधि जिससे धनराशि संबंधित है (ए. वाई)	धनराशि की नियत तारीख	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर सेस एक्ट 1996	बिल्डिंग सेस	0.05 2.65 16.64 12.08	2016–17 2018–19 2019–20 2020–21	ब्यौरा उपलब्ध नहीं	शून्य
जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	0.07	2018–19	तदैव	शून्य
आयकर अधिनियम,1961	टीडीएस–जीएसटी टीडीएस–आईटी	0.05 1.06 0.54	2020–21 2017–18 2016–17	.तदैव	शून्य

(ख) हमें प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, जो विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किए गए, निम्नवत हैं:–

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	धनराशि (रू लाख में)	अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	मंच जहां मामला लंबित है	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
ईएसआई अधिनियम, 1948	ईएसआई	1.83	प्रथम जनवरी 97 से 31 जुलाई 2004	ईएसआई कारपोरेशन कानपुर	शून्य
पीएफ अधिनियम 1925	पीएफ	6.86	2004–05 से 2008–09	पीएफ ट्रिब्यूनल दिल्ली	शून्य
आयकर अधिनियम,1961	आयकर	42.14	एवाई 204–15	आईटीएटी दिल्ली	शून्य

(viii) कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (अपपप) लागू नहीं होता है।

(ix) कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर या आगे की पब्लिक ऑफर (डेट इंस्ट्रूमेंट्स सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से कोई ऋण नहीं लिया। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) लागू नहीं होता है।

(x) वर्ष के दौरान पहले के वर्षों में बैंक के माध्यम से किए गए तथ्यात्मक भुगतान से संबंधित कंपनी द्वारा 189.07 लाख रू की धोखाधड़ी की सूचना दी गई थी। बैंक द्वारा कंपनी को इस राशि का भुगतान किया गया है।

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्ष के लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहां कहीं लागू हो, के अनुपालन में हैं, और ब्योरा का वित्तीय विवरणों के लिए नोट में खुलासा किया गया है।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

दत्ता सिंगला एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 006185N

ह0/–
संदीप दत्ता
भागीदार
सदस्यता संख्या: 092413

स्थान : नोएडा
तारीख : 24 जून, 2020

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

वर्ष 2019–20 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी निर्देश।

क्रम	निर्देश	लेखापरीक्षक की उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखाकरण लेन–देन को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए प्रणाली स्थापित है? यदि हां तो लेखा की सत्यनिष्ठा पर सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेन–देन को प्रक्रियाबद्ध करने के निहितार्थों तथा वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	कंपनी के पास केन्द्रीकृत ईआर पी सिस्टम है। हालांकि यह सिस्टम कंपनी की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। एमआईएस, एफएआर, बैंक समाधान, बीपी, इ–वॉयसिंग जीएस टी डेटा इत्यादि को इस सिस्टम के जरिए प्रक्रियाबद्ध नहीं किया जाता है।	वर्तमान में,वित्तीय विवरण पर विशिष्ट प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदत्त मौजूदा ऋण की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने या उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के परित्याग/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के परित्याग/बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3.	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा–जोखा दिया गया/ उपभोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई सूचना तथा अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय/राज्य की एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।	शून्य

दत्ता सिंगला एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 006185N

ह0/–
संदीप दत्ता
भागीदार
सदस्यता संख्याः 092413

स्थान : नोएडा
तारीख : 24 जून, 2020

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2020 तक उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के आईएनडीएएस वित्तीय विवरणों की एकल (स्टैंडअलोन) की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ('कपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

2. कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। इन जिम्मेवारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यवसाय का सुव्यवस्थित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, अभिकल्पन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण निहित हैं जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और इनका पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेवारी

3. हमारी जिम्मेवारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करनी है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानदण्ड के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की और इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत उस सीमा तक निर्धारित माना जाता है कि यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापीक्षा पर लागू हो, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी हो। उन मानदंडों तथा मार्गदर्शन में अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें. और लेखापरीक्षा के बारे में ऐसी योजना बनाएं तथा इस प्रकार इसका निष्पादन करें कि एक युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी सामग्रीगत प्रकार से प्रभावी ढंग से कार्य किया। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करना निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझबूझ हासिल करना, इस जोखिम का निर्धारण करना कि क्या कोई सामग्रीगत दुर्बलता मौजूद है, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत गलत विवरण चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश हो, के निर्धारण सहित लेखापरीक्षण के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थद्य

4. वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया हैद्य वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) समुचित विवरण सहित ऐसे रिकॉर्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं और कंपनी की आस्तियों के सौदों और निस्तारण को समुचित रूप से परिलक्षित करती हैं: (2) समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्दांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथाआवश्यक सौदों को दर्ज किया गया है और कंपनी की रसीदें और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुरूप ही तैयार की जा रही हैं: (3) कंपनी की उन आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, अथवा निस्तारण के समय पर पता करने अथवा उनकी रोकथाम के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव डाल सकते हों।

वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

5. मिली भगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारणवश नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारणवश तथ्यजनक गलत विवरण दिए जा सकते हैं जिनका पता नहीं चलेद्य इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के यदि कोई मूल्यांकन प्रक्षेपण हों तो उन पर यह जोखिम है कि वे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

योग्य रायः

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर यथादिनांक 31 मार्च, 2020 को निम्नलिखित सामग्रीजनक दुर्बलताओं की पहचान की गई है :
   - क. कंपनी के ईआरपी तंत्र में सुधार की आवश्यकता है ताकि पूर्ण क्षमता में उसका संचालन हो सके।
   - ख. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को प्रभावित करने वाले बैंक भुगतानों को छोड़कर सौदों के लिए किसी मेकर चेकर तंत्र का अस्तित्व नहीं है।
   - ग. बैंक समायोजन पर नियंत्रण अपर्याप्त है क्योंकि उसे आउटसोर्स किया गया है और पिछले वर्ष बैंक समायोजन में असमायोजित प्रविष्टियां नहीं दर्शाई गईं जिसके परिणामस्वरूप बैंक तुलनपत्रों के विवरण में वास्तविक त्रुटि हो सकती है।
   - घ. कंपनी के पास विविध देनदारों को छोड़कर वसूली योग्य राशियों, ऋणदाताओं और अन्य निजी बकाया राशियों की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं थीद्य देनदारों से प्राप्त पुष्टि का समायोजन नहीं करने और अन्य बकाया राशियों की पुष्टि नहीं होने से संभवतः कंपनी द्वारा विविध देनदारों, बकाया राशियों, ऋणदाताओं और देय राशियों का त्रुटिपूर्ण विवरण तैयार किए जाने की संभावना है।
   - ङ कंपनी का परियोजनाओं के वित्तीय समापन पर नियंत्रण नहीं था यद्यपि अधिग्रहण अथवा सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी जिसके परिणामस्वरूप वसूली जाने वाली राशि अथवा देय राशि का तथ्यजनक रूप से त्रुटियुक्त विवरण तैयार किए जाने की संभावना हो सकती थी।
   - च. कंपनी के पास परियोजनाओं के बीच देय राशियों अथवा वसूली जाने वाली राशियों की तुलना करने वाली कोई प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की आस्तियों और देयताओं के विवरण में तथ्यजनक त्रुटि हो सकती थी।

7. वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'तथ्यजनक कमी' एक ऐसी कमी अथवा कमियों का संयोजन है जिससे यह काफी संभावना हो जाती है कि कंपनी के वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों में होने वाली तथ्यजनक त्रुटि को ना तो रोका जा सकेगा ना ही समय पर उसका पता लग सकेगा।

8. हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की पूर्ति पर उपर्युक्त वर्णित तथ्यजनक कमी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी ने सभी तथ्यों की दृष्टि से, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण किया है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देशी नोट में निहित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथादिनांक 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

9. हमने 31 मार्च, 2020 की अपनी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा जांचों की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में उपर्युक्त निर्धारित और रिपोर्ट की गई तथ्यजनक कमियों, कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर विचार किया है और ये तथ्यजनक कमियां कंपनी के एकल (एकल (स्टैंडअलोन)) वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

दत्ता सिंगला एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 006185N

ह0/–
संदीप दत्ता
भागीदार
सदस्यता संख्याः 092413

स्थान : नोएडा
तारीख : 24 जून, 2020

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') के लेखों की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

दत्ता सिंगला एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 006185N

ह0/–
संदीप दत्ता
भागीदार
सदस्यता संख्याः 092413

स्थान : नोएडा
तारीख : 24 जून, 2020

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार (एचएससीसी) इंडिया लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय विवरण के संदर्भ में सांविधिक लेखापरीक्षक के मूल्यांकन पर प्रबंधन के उत्तर।

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1.	अन्य भुगतान योग्य राशि 7,140.21 लाख रुपये में अंतर परियोजनाओं के संबंध में भुगतान योग्य 3,434.26 लाख रुपये शामिल हैं जिसकी तुलना में नोट संख्या 12 – अन्य से प्राप्ति योग्य, बकाया 2,742.06 लाख रुपये है। इन अंतर परियोजना भुगतान योग्य और प्राप्ति योग्य राशि में से न किसी का मिलान किया गया है और न ही समायोजन किया गया है। मिलान न होने की स्थिति में वित्तीय विवरण पर इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सका।	अंतर परियोजना प्राप्ति योग्य/भुगतान योग्य राशि के लेजर नियमित रूप से मिलान की प्रक्रिया में हैं। अंतर परियोजना प्राप्ति योग्य और भुगतान योग्य राशि का मिलान जारी है, क्योंकि बैलेंस पुराने हैं और उनके लिए फोरेंसिक लेखापरीक्षा जारी है।
2.	अन्य आकस्मिकताओं के लिए 3,076.07 लाख रुपये के प्रावधान में 2,926 लाख रुपये की वह राशि शामिल है जिसका प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष में पूरा होने में संदेह वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए आरक्षित राशि में से 01.04.2017 को किया गया था। तथापि इन ट्रांजेक्शन्स के कारण रिकवर की जाने वाली/डेबिट राशि का मिलान नहीं किया जा सका। उचित एवं निर्णायक प्रमाण न होने के कारण प्रावधान को कम करके बताने या अधिक बताने और वित्तीय विवरण पर इसके परिणामी प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।	2,926 लाख रुपये का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017–18 की सीएजी लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसकी फोरेंसिक लेखापरीक्षा जारी है। इस प्रकार इन ट्रांजेक्शन्स के संबंध में रिकवर की जाने वाली/डेबिट राशि का अंतिम रूप से निर्धारण फोरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।
3.	जो परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और मंत्रालय/क्लाइंट को सौंपी जा चुकी हैं उनका वित्तीय क्लोज़र लंबित है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा किया जा चुका है परंतु इन्हें सौंपने और इनका कार्य नियंत्रण में लिए जाने की प्रक्रिया लंबित है। वित्तीय क्लोज़र न किए जाने और परियोजनाएं सौंपे नहीं जाने/कार्य नियंत्रण में नहीं लिए जाने के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सका। इस संबंध में पिछले वर्ष में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा भी मूल्यांकन किया जाना था।	वास्तविक रूप से क्लोज की जा चुकी परियोजनाओं के वित्तीय क्लोज़र को यथासंभव क्लाइंट के साथ परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। सभी क्लाइंट केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय और अन्य पीएसयू हैं। वास्तविक रूप से क्लोज की जा चुकी परियोजनाओं के वित्तीय क्लोज़र के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
4.	बैंकों से प्राप्ति योग्य ब्याज, प्रतिधारण राशि, क्लाइंट डिपॉजिट निधि, व्यापार प्राप्तियों, व्यापार में भुगतान योग्य राशि, ईएमडी, प्रतिभूति जमा (प्राप्ति योग्य और भुगतान योग्य दोनों), मंत्रालयों के बकाया, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के संबंध में क्लाइंट और सरकार को देय राशि, राज्य कर में मौजूद राशि की पुष्टि और मिलान नहीं किया जा सका है। वित्तीय विवरण में उपर्युक्त खातों की पुष्टि और मिलान नहीं किए जाने के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सका। इस संबंध में पिछले वर्ष में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा भी मूल्यांकन किया जाना था।	कंपनी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कार्य लिए हैं। कंपनी द्वारा क्लाइंट्स से बैलेंस की पुष्टि स्थापित लेखांकन पद्धतियों के अनुसार की जा रही है। कंपनी द्वारा बैलेंस की पुष्टि करने के प्रयास किए गए थे, तथापि कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण बैलेंस पुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए जा सके। प्रबंधन का मानना है कि यह आगामी वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय बैलेंस पुष्टि प्राप्त कर लेगा।

5.	निम्नलिखित बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया है: **क्र. सं. | बैंक का नाम | शाखा | खाता संख्या | संबंधित** 1 | इंडियन ओवरसीज बैंक | सेक्टर–1, नोएडा | 1725020000000644 | आयुष दिल्ली परियोजना 2 | इंडियन ओवरसीज बैंक | सेक्टर–1, नोएडा | 1725020000000151 | एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले वर्ष इन खातों में फर्जी ट्रांजेक्शन्स चिह्नित किए गए थे। इस वर्ष भी कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित बैंक खाते में 1.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी चिह्नित की गई, हालांकि इस राशि का भुगतान बैंक द्वारा कंपनी को किया गया था। चालू वर्ष के लिए तैयार किए गए बैंक मिलान में पिछले वर्ष के मिलान नहीं हुए ट्रांजेक्शन्स शामिल नहीं हैं। पूर्व के वर्षों में भारत के सीएजी की टिप्पणियों और मिलान नहीं किए गए ट्रांजेक्शन्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए फोरेंसिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए। अब तक फोरेंसिक लेखापरीक्षा कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बैंक खातों का मिलान न होने का वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सका। इस संबंध में पिछले वर्ष में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा भी मूल्यांकन किया जाना था। (नोट संख्या 48 और 51 देखें)	फोरेंसिक लेखापरीक्षा जारी है और अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कि गई है। तथापि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सभी ट्रांजेक्शन्स का मिलान कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन मिलान के लिए शेष नहीं है। फोरेंसिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ पास की जाएंगी।
6.	प्रबंधन द्वारा पिछले वर्ष में फर्जी ट्रांजेक्शन्स के कारण संदिग्ध रिकवरी वाले डेबिट बैलेंस/रिकवर की जाने वाली राशि के विवरण के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण संपत्तियों को कम करके बताने या अधिक बताने और वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सका।	फोरेंसिक लेखापरीक्षा जारी है और अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कि गई है। इसलिए इन ट्रांजेक्शन्स के कारण रिकवर की जाने वाली राशि/डेबिट की अंतिम रूप से पहचान फोरेंसिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट

(रुपये लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
I. परिसंपत्तियाँ			
1. गैर–मौजूदा परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	7,364.88	7,494.15
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	0.75	2.09
(ग) विकसित की जा रही अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	13.16	13.16
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	42.70	32.73
(ड.) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	7	2,311.26	3,950.02
(च) अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियाँ	8	5,919.64	550.03
		15,652.39	**12,042.17**
2. मौजूदा परिसंपत्तियाँ			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	9	8,120.94	8,534.19
(ii) नकद और नकद समतुल्य	10	8,057.49	19,663.88
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	11	276,497.92	258,419.63
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	14,298.72	24,923.94
(ख) मौजूदा कर परिसंपत्तियाँ	13	980.97	568.49
(ग) अन्य कर परिसंपत्तियाँ	14	19,558.84	22,196.19
		327,514.88	**334,306.33**
कुल परिसंपत्तियाँ		343,167.27	346,348.50
II. इक्विटी और देयताएँ			
1. इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	180.01	180.01
(ख) अन्य इक्विटी		10,798.07	13,690.19
कुल इक्विटी		**10,978.08**	**13,870.20**
2. देयताएँ			
गैर–मौजूदा देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	16	6.28	-
(ख) प्रावधान	17	888.63	962.05
		894.91	**962.05**
3. मौजूदा देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) व्यापार देय	18		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के बकाया देय		479.39	760.04
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाताओं के बकाया देय		73,116.29	68,019.65
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	19	36,264.09	43,570.74
(ख) अन्य मौजूदा देयताएँ	20	217,300.77	215,353.34
(ग) प्रावधान	21	4,133.74	3,812.49
		331,294.28	**331,516.25**
कुल इक्विटी और देयताएँ		343,167.27	346,348.50

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना नोट 1 से 53

संलग्न की गई समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दत्ता सिंगला एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि नं: 006185N)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03555957)

ह0/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 08684289)

ह0/–
(महेश चंद बंसल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
संदीप दत्ता
पार्टनर
सदस्यता सं. 092413

ह0/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. : एसीएस–24442)

ह0/–
(रवि कुमार जैन)
एजीएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(अजय सूरी)
डीजएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(तेजपाल गर्ग)
डीजीएम (एफ एंड ए)

स्थान : नोएडा
तारीख : 24.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**प्रचालनों से राजस्व**			
	सेवाओं का मूल्य	22	212,509.19	204,946.25
	अन्य प्रचालन राजस्व	23	32.29	1,381.18
II.	**अन्य आय**	24	634.87	776.35
III.	**कुल आय (I+II)**		**213,176.35**	**207,103.78**
IV.	**व्यय:**			
	कार्य और परामर्श व्यय	25	200,972.73	194,317.88
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	4,237.78	3,948.28
	वित्त लागतें	27	0.70	-
	मूल्यह्रास और बढ़ी हुई लागत के कारण व्यय	28	161.56	43.63
	अन्य व्यय	29	1,379.23	770.18
	बट्टे खाते में डाली गई राशि	30	-	74.59
	कुल व्यय (IV)		**206,752.00**	**199,154.56**
V.	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III+IV)**		**6,424.35**	**7,949.22**
VI.	असाधारण मदें		-	-
VII.	**कर से पहले लाभ (V - VI)**		**6,424.35**	**7,949.22**
VIII.	कर व्यय:	31		
	(1) मौजूदा कर		1,149.81	1,581.61
	(2) आस्थगित कर		1,638.77	1,183.37
	(3) पूर्व के वर्षों के संबंध में कराधान		(127.23)	202.87
IX.	**अवधि (VII&VIII) के लिए लाभ/हानि**		**3,763.00**	**4,981.37**
X.	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) आय/(व्यय) जिसे लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	32	(50.21)	-
	(ii) उन मदों के संबंध में आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		12.64	-
	ख (i) आय/(व्यय) जिसे लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों के संबंध में आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगो		-	-
XI.	**अवधि (IX+X) के लिए कुल व्यापक आय**		**3,725.43**	**4,981.37**
XII.	**प्रति शेयर आय (प्रति इक्विटी शेयर 100/– ₹ का अंकित मूल्य)**	33		
	(1) मूल (₹ में)		**2,090.39**	**2,767.21**
	(2) कम की गई (₹ में)		**2,090.39**	**2,767.21**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना नोट 1 से 53

संलग्न की गई समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दत्ता सिंगला एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि नं: 006185N)

ह0/–
संदीप दत्ता
पार्टनर
सदस्यता सं. 092413

स्थान : नोएडा
तारीख : 24.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03555957)

ह0/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 08684289)

ह0/–
(महेश चंद बंसल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. : एसीएस–24442)

ह0/–
(रवि कुमार जैन)
एजीएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(अजय सूरी)
डीजएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(तेजपाल गर्ग)
डीजीएम (एफ एंड ए)

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में शेष
31 मार्च, 2020 को शेष	180.01	-	180.01
31 मार्च, 2019 को शेष	180.01	-	180.01

ख अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन	
1 अप्रैल, 2018 को शेष	3,335.53	60.00	6,668.34	-	10,063.87
वर्ष में लाभ	-	-	4,981.37	-	4,981.37
अंतरिम लाभांश और लाभांश वितरण कर सहित भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(1,355.05)	-	(1,355.05)
31 मार्च, 2019 को शेष	**3,335.53**	**60.00**	**10,294.66**	**-**	**13,690.19**
वर्ष में लाभ	-	-	3,763.00	-	3,763.00
निर्धारित लाभ योजनाओं पर पुनःआकलन लाभ (हानि)	-	-	-	(50.21)	(50.21)
ओसीआई की मदों पर आय कर	-	-	-	12.64	12.64
अंतरिम लाभांश और लाभांश वितरण कर सहित भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(6,617.55)	-	(6,617.55)
31 मार्च, 2020 को शेष	**3,335.53**	**60.00**	**7,440.11**	**(37.57)**	**10,798.07**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना नोट 1 से 53

संलग्न की गई समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

दत्ता सिंगला एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि नं: 006185N)

संदीप दत्ता
पार्टनर
सदस्यता सं. 092413

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03555957)

ह0/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 08684289)

ह0/–
(महेश चंद बंसल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. : एसीएस–24442)

ह0/–
(रवि कुमार जैन)
एजीएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(अजय सूरी)
डीजीएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(तेजपाल गर्ग)
डीजीएम (एफ एंड ए)

स्थान : नोएडा
तारीख : 24.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पहले निवल लाभ	**6,424.35**	**7,949.22**
निम्न के लिए समायोजनः		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास	153.81	38.80
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	6.41	-
अमूर्त परिसंपत्तियों पर ऋणमुक्ति	1.33	4.83
वित्त लागत	0.70	-
ब्याज से आय	(632.93)	(776.35)
कार्य पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**5,953.67**	**7,216.50**
निम्न के लिए समायोजनः		
अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(5,369.61)	1,479.34
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर–मौजूदा) में कमी/(वृद्धि)	(9.97)	2.85
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	413.25	2,493.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (मौजूदा) में कमी/(वृद्धि)	10,625.22	18,520.00
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	2,637.35	(4,239.78)
प्रावधानों (गैर–मौजूदा) में (कमी)/वृद्धि	(73.42)	91.92
व्यापार भुगतानों में (कमी)/वृद्धि	4,815.99	29,707.26
अन्य वित्तीय देयताओं (मौजूदा) में (कमी)/वृद्धि	(7,307.91)	(15,016.87)
प्रावधानों (मौजूदा) में (कमी)/वृद्धि	271.04	(16.27)
अन्य मौजूदा देयताओं में (कमी)/वृद्धि	1,947.43	24,155.69
असाधारण मदों और कर से पहले प्रचालनों से सृजित नकद	**13,903.06**	**64,394.02**
भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर	(1,422.42)	(1,730.55)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद (क)	**12,480.64**	**62,663.47**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(22.36)	(6,851.09)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री	0.06	-
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	-	(0.67)
3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा	(107,199.13)	(13,124.80)
3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	88,708.66	(31,180.99)
प्राप्त हुआ ब्याज	1,045.12	(646.05)
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदः (ख)	**(17,467.62)**	**(51,803.60)**
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाहः		
लीज देयता का पुनर्भुगतान	(1.86)	-
भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	(6,617.55)	(1,355.06)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद (ग)	**(6,619.41)**	**(1,355.06)**
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**(11,606.39)**	**9,504.81**
नकद और नकद समतुल्य – प्रारंभिक	**19,663.88**	**10,159.06**
नकद और नकद समतुल्य – समापन	**8,057.49**	**19,663.88**

i) **नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं:**		
बैंकों में चालू खाते में शेष	834.98	3,131.72
उपलब्ध नकद	-	0.05
मंत्रालयों/क्लाइंट्स की ओर से		
बैंकों में बचत खातों में शेष	7,202.73	16,532.11
3 माह की मूल परिपक्वता वाले फ्लेक्सी जमा	19.78	-
	8,057.49	**19,663.88**

ii) ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े नकद खर्च को दर्शाते हैं

iii) वित्तपोषण क्रियाकलापों में देयताओं के स्थान परिवर्तन के लिए नोट 46 देखें

संलग्न की गई समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

दत्ता सिंगला एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि नं: 006185N)

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03555957)

ह0/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 08684289)

ह0/–
(महेश चंद बंसल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
संदीप दत्ता
पार्टनर
सदस्यता सं. 092413

ह0/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. : एसीएस–24442)

ह0/–
(रवि कुमार जैन)
एजीएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(अजय सूरी)
डीजएम (एफ एंड ए)

ह0/–
(तेजपाल गर्ग)
डीजीएम (एफ एंड ए)

स्थान : नोएडा
तारीख : 24.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणी

1. कॉर्पोरेट सूचना

1.1 मूल गतिविधियों की प्रकृति

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड मिनी रत्न (श्रेणी । कंपनी) भारत सरकार का एक उद्यम है जो भारत एवं विदेशों में स्वास्थ्य देखरेख एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्शदायी एवं निष्पादन एजेंसी के रूप में पेशेवर सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला प्रदान करने के लिए कार्यरत है, जिनमें संकलपनात्मक अध्ययन, प्रबंधन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, परिवहन एवं स्थापन, अधिप्रापण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं इंजीनियरी तथा स्वास्थ्य देखरेख सुविधा डिजाइन शामिल हैं।

1.2 सामान्य सूचना एवं भारतीय लेखाकरण प्रणाली के साथ अनुपालन विवरण

यह कंपनी निगमित और भारत में स्थित है जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।

इस कंपनी के वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015 जे अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि में लेखाकरण नीतियों को एक समान लागू किया है।

एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में कंपनी के रणनीतिक निवेश का निर्णय भारत सरकार ने दिनांक 13/09/2018 के पत्र संख्या 3/82016–डीआईपीएम–II ए(पार्ट) तथा दिनांक 13/09/2018 के अर्ध सरकारी पत्र संख्या 3/82016–डीआईपीएम–IIए(पार्ट) के द्वारा लिया है। प्रबंधन नियंत्रण के साथ कंपनी की 100 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी को 285 करोड़ रुपए की कीमत पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है।

जब तक कि अन्यथा रूप से न कहा जाए तब तक सभी राशियां लाख रुपए में दी गई है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा 24 जून, 2020 को जारी करने के लिए अधिकृत एवं अनुमोदित किए गए हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

लेखाकरण नीतियों और मापन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं जिनका सार नीचे दिया गया है:

2.1 विदेशी मुद्रा परिवर्तन

कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं शेष

विदेशी मुद्रा लेन–देन को लेन–देन की तारीख में विदेशी मुद्रा राशि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को लगाकर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

विदेशी की मौद्रिक मदों को सूचित तारीख में प्रचलित विनिमय दर को लेकर परिवर्तित किया जाता है। जिन गैर–मौद्रिक मदों का मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संबंध में किया जाता है उन्हें लेन–देन की तारीख में विनिमय दर को लेकर सूचित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतरों को या अथवा कंपनी की उन मौद्रिक मदों को जिन्हें वर्ष के दौरान प्रारम्भ में जिस दर पर रिकॉर्ड किया गया था उससे भिन्न दर पर सूचित करने पर अथवा पूर्व वित्तीय विवरणों में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष वे उत्पन्न हुई हैं। जहां पर ऐसे लेन–देन ग्राहक के पक्ष में किए गए हैं तब लाभ/हानि को संबंधित ग्राहक के खातों में इन्हें अंतरित कर दिया जाता है।

2.2 राजस्व मान्यता

कंपनी प्राथमिक रूप से राजस्व को परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य और अधिप्राप्ति सेवाओं से प्राप्त करती है। राजस्व का मापन ग्राहक के साथ की गई संविदा में उल्लिखित धनराशि के आधार पर किया जाता है जिसमें तृतीय पक्ष के पक्ष के ओर से संगृहीत राशि को हटा दिया जाता है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

क) परियोजना प्रबंध परामर्श कार्य

पीएमसी संविदाओं के मामले में कंपनी भू–तकनीकी जांचों, स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों, संसाधन–नियोजन, विस्तृत इंजीनियरी डिजाइन तैयार करने, और निर्माण कार्य आदि का पर्यवेक्षण करने आदि जैसे कार्यों को करती है। इस सेवाओं से संबंधित विभिन्न तत्वों के बीच अधिक मात्रा में पारस्परिक निर्भरता के कारण एकल निष्पादन दायित्व के रूप में कारण बनते हैं और कार्य की प्रगति के मापन इनपुट की पद्धति के आधार पर राजस्व को ओवरटाइम के रूप में मान्यता दी जाती है क्योंकि ग्राहक इसे प्राप्त करता है और साथ ही साथ इसके लाभों का उपभोग करता है।

डिजाइन, इंजीनियरी, अध्ययन, डीपीआर, एमओयू, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित राजस्व को की गई लागत की इनपुट पद्धति के आधार पर उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके लिए ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय फीस के लिए बिल प्रस्तुत किए जाते हैं।

ख) अधिप्राप्ति सेवा

कंपनी ग्राहक की ओर से सम्पत्ति खरीदती है और राजस्व को कार्य प्रगति की इनपुट पद्धति के आधार पर ओवरटाइम के निवल आधार पर मान्यता दी जाती है क्योंकि कंपनी के पास विश्वसनीय अनुमान तैयार करने की क्षमता है जो इसी प्रकार की प्रणाली पर अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुभव से मिलती है।

राजस्व में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. केवल प्राप्त आशय पत्र पर किया गया कार्य, लेकिन औपचारिक संविदा/अनुबंध निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।
2. ग्राहक के द्वारा प्रमाणन के अधीन कंपनी ने कार्य निष्पादित और मापन किया।
3. कार्य निष्पादित किया और उसको मापा गया/अंशतः निष्पादित किया जो इंजीनियरी अनुमान का आधार है।
4. अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदें और मूल्य पाने योग्य की सीमा तक ग्राहक के प्रति प्रस्तुत किए गए दावे।

2.3 अन्य आय

प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए उपार्जित आधार पर ब्याज आय दिखाई जाती है। ठेकेदारों को दिए गए वसूली योग्य संग्रहण अग्रिम पर ब्याज आय को साधारण ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए मान्यता दी जाती है जिसमें प्रभावी ब्याज दर लगाई जाती है। ठेकेदारों को दिए गए संग्रहण अग्रिमों पर ब्याज आय को प्राप्त संग्रहण अग्रिमों पर ग्राहकों को देय ब्याज से घटाया जाता है।

ग्राहकों की ओर से बैंक जमा राशियों पर ब्याज आय को ऐसी जमा राशियों पर ग्राहक को देय ब्याज में से घटा लिया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता

अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में उनके अधिग्रहण की लागत पर मापा जाता है। इस लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत शामिल रहती है यदि पूंजीकरण का मापदंड पूरा होता है और उसकी लागत सीधे ही आशयित उपयोग के लिए उसकी कार्य दशाओं में परिसम्पत्ति को लाने में आरोपित होती है। क्रय मूल्य निकालने में किसी भी छूट या घटौती की कटौती कर ली जाती है।

भारतीय लेखाकरण प्रणाली को अपनाते हुए कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 को अपनी सभी अमूर्त परिसम्पत्तियों को रखाव मूल्य के साथ रखना स्वीकार किया है जिसका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया जाता है और उस रखाव लागत को अमूर्त परिसम्पत्तियों की मानित लागत के रूप में उपयोग किया जाता है।

परवर्ती मापन (परिशोधन)

अमूर्त परिसम्पत्तियों पर परिशोधन को मूल्यांकित परिसम्पत्तियों के उपयोग अवधि के संदर्भ लगाई गई दरों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किए जाने पर सीधी लाइन पद्धति पर लगाया जाता है।

परिसम्पत्ति वर्ग	अनुमानित उपयोग अवधि(वर्षों में)
अमूर्त परिसम्पत्तियां	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

अमान्यकरण

निपटान किए जाने पर अमूर्त परिसम्पत्ति की कोई भी मद अथवा उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसे प्रारम्भ में मान्यता दी गई थी, अमान्य किया जाता है अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। किसी भी परिसम्पत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न लाभ या हानि (निपटान से प्राप्त शुद्ध धनराशि और परिसम्पत्ति की रखाव धनराशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ एवं हानि खाते में तब शामिल किया जाता है जब परिसम्पत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.5 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

मान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर को अधिग्रहण की लागत पर दिखाया जाता है। इस लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत शामिल रहती है यदि पूंजीकरण का मापदंड पूरा होता है और उसकी लागत सीधे ही आशयित उपयोग के लिए उसकी कार्य दशाओं में परिस्म्पत्ति को लाने में आरोपित होती है। क्रय मूल्य निकालने में किसी भी छूट या घटौती की कटौती कर ली जाती है।

भारतीय लेखाकरण प्रणाली को अपनाते हुए कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 को अपनी सभी अमूर्त परिसम्पत्तियों को रखाव मूल्य के साथ रखना स्वीकार किया है जिसका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया जाता है और उस रखाव लागत को अमूर्त परिसम्पत्तियों की मानित लागत के रूप में उपयोग किया जाता है।

परवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास या तो परिसम्पत्ति की उपयोग अवधि के संदर्भ में पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित निकाली गई दर के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोग अवधि के आधार पर निकाली गई दर पर लगाया जाता है। निम्नलिखित उपयोग अवधि को लागू किया जाता है:

परिसम्पत्ति वर्ग	अनुमानित उपयोग अवधि (वर्षों में)
भवन	
भवन (कारखाना भवन को छोड़कर)	60 वर्ष
अन्य (अस्थायी ढांचे, आदि सहित)	03 वर्ष
सिविल निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी फर्नीचर	12 वर्ष
एवं फिटिंग	10 वर्ष
मोटर वाहन	08 वर्ष
कार्यालय उपस्कर	05 वर्ष
कंप्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग इकाइयां	
सर्वर एवं नेटवर्क	06 वर्ष
उपयोग उपकरण जैसे डेस्कटोप, लेपटॉप आदि.	03 वर्ष

भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम जहां पर निर्दिष्ट अवधि के लिए पट्टा अनुबंध किया गया है और पट्टाअवधि के बाद आनुपातिक रूप में उसे बट्टे खाते डाला जाता है।

10,000 रु तक की लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अर्जन के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोग अवधि और सम्पत्ति, संयत्र तथा उपस्कर के मूल्यह्रास की पद्धति की हर वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और उपयुक्त होने पर उसे उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

अमान्यकरण

निपटान किए जाने पर अमूर्त परिसम्पत्ति की कोई भी मद अथवा उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसे प्रारम्भ में मान्यता दी गई थी, अमान्य किया जाता है अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। किसी भी परिसम्पत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न लाभ या हानि (निपटान से प्राप्त शुद्ध धनराशि और परिसम्पत्ति की रखाव धनराशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ एवं हानि खाते में तब शामिल किया जाता है जब परिसम्पत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.6 पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी

संविदा के प्रारम्भ में कंपनी यह आकलन करती है कि क्या संविदा पट्टा है या इसमे पट्टा शामिल है। यदि संविदा धनराशि के बदले में निर्धारित अवधि के लिए चिह्नित परिसम्पत्ति के लिए उपयोग के लिए नियंत्रण अधिकार मिलता है तब एक संविदा पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल होता है।

मान्यता:

1. "परिसम्पत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू) :
   प्रारम्भ होने की तारीख से कंपनी निम्नलिखित को छोड़कर परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता देती है:
   क. बारह महीने या कम की अवधि के लिए पट्टे हेतु (अल्प अवधि पट्टा) और,
   ख. पट्टा जिसके लिए आधारभूत परिसम्पत्ति कम मूल्य की है।

   अल्प अवधि के पट्टों और कम मूल्य की परिसम्पत्तियों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों को पट्टे की अधिक अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन खर्च के रूप में मान्यता देती है।

2. "पट्टा देयता"
   प्रारम्भ होने की तारीख में कंपनी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन करती है जिसका भुगतान उस तारीख में नहीं किया जाता है। पट्टा भुगतान में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है।

परवर्ती मापन

1. "परिसम्पत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू)"

   प्रारम्भ होने की तारीख के बाद, कंपनी लागत में से किसी भी संचित मूल्यह्रास को घटाकर परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मापन करती है जो हानि की कमी के अधीन होती है।

निम्नलिखित उपयोग अवधि को लागू किया जाता है:

परिसम्पत्ति वर्ग	पट्टा अवधि(विस्तार सहित)
पट्टाधारित भूमि	90 वर्ष
भवन	5 वर्ष

2. "पट्टा देयता"

   प्रारम्भ होने की तारीख के बाद, कंपनी पट्टा देयता में ब्याज दिखाने के लिए रखाव धनराशि को बढ़ाकर, किए गए भुगतान को दिखाने के लिए रखाव धनराशि को कम करके पट्टा देयता का मापन किया जाता है और किसी भी पुनःनिर्धारण या पट्टा आशोधन को दिखाने के लिए रखाव धनराशि का पुनःमापन किया जाता है।

   प्रारम्भ होने की तारीख के बाद, पट्टा भुगतान के ब्याज अंश को पट्टे की अवधि के लिए वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दिखाया जाता है।

   उपयुक्त होने पर अवशिष्ट मूल्य, उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास की पद्धति की हर वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है।

अमान्यकरण

शुरूआत में परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार की मान्यता को निपटान किए जाने पर में, अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। किसी भी परिसम्पत्ति के अमान्यकरण से लाभ या हानि (निपटान से प्राप्त शुद्ध धनराशि और परिसम्पत्ति की रखाव धनराशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ एवं हानि खाते में तब शामिल किया जाता है जब परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को अमान्य कर दिया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टा

कंपनी वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टे में निवल निवेश के बराबर की राशि पर प्राप्त योग्य के रूप में रखी गई परिसम्पत्ति को मान्यता देती है। कंपनी इसके अलावा सीधी रेखा पर आधारित पट्टे अवधि पर वित्तीय आय को मान्यता देती है, जिसमें पट्टे में निवल निवेश पर सतत आवधिक प्राप्ति दर को दर्शाया जाता है।

प्रचालन पट्टा

जिस पट्टे में कंपनी किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को वस्तुतः अंतरित नहीं करती है तब उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टे पर दी गई परिसम्पत्ति को पूंजीगत किया जाता है। किराया आय को पट्टे की अवधि के बाद सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है सिवाय उसके जहां पर संभावित मुद्रास्फीति लागत के साथ किराए में निर्धारित वृद्धि की क्षतिपूर्ति की जाती है।

2.7 गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

जहां पर आंतरिक/बाह्य संकेतकों पर आधारित हानि का पता चलता है वहां पर प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को परिसम्पत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा जाती है। खराब हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जहां पर रखाव धनराशि परिसम्पत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो जाती है। खराब हानि को तब उलट दिया जाता है जब वसूलीयोग्य राशि में परिवर्तन होता है और ऐसा घाटा अब नहीं रहा या कम हो गया है अथवा वह संकेत नहीं रहा जिस पर हानि को मान्यता दी गई थी।

2.8 वित्तीय लिखतें

वित्तीय परिसम्पत्तियां

प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों के प्रति पक्षकार बनती है और जिसका मापन शुरूआत में लेनदेन लागत के लिए समायोजित उचित मूल्य पर किया जाता है।

परवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखतें – निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाने 'ऋण लिखत' का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है:

- परिसम्पत्ति व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका प्रयोजन संविदात्मक नकदी प्रवाह को संगृहीत करने के लिए परिसम्पत्ति धारित करना होता है, और
- परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तारीखों में रोकड़ प्रवाह का कारण बनती हैं जो बकाया मूलधन पर पूर्णतया मूलधन एवं ब्याज (एसपीपीआई) होती हैं।
- प्रारम्भिक मापन के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का अमान्यकरण

एक वित्तीय परिसम्पत्ति का अमान्यकरण तब किया जाता है जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या कंपनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार अंतरित कर दिया हो।

वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक मान्यता एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय देयताओं के अर्जन पर अधिरोपित की जाती है और समायोजित भी की जाती है। वित्तीय देयताओं को परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

परवर्ती मापन

प्रारम्भिक मान्यता के बाद, इन देयताओं को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

वित्तीय देयता का अमान्यकरण तब किया जाता है जब देयता के अन्तर्गत दायित्व पूरा हो जाता है या रद्द अथवा समाप्त हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप अनिश्चित जमा शेषों का पुरांकन किया जाता है और संबंधित परियोजना के बंद या प्रबंधन के पूर्व अनुभव पर आधारित पहले बंद होने और प्रत्येक मामले के वास्तविक तथ्यों पर बैंक गारंटी वापस ले ली जाती है और इसे अन्य प्रचालन राजस्वों में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा जब मौजूदा वित्तीय देयता उसी ऋणदाता से पर्याप्त रूप से विभिन्न शर्तों पर अन्य देयता से प्रतिस्थापित की जाती है अथवा मौजूदा देयता को पर्याप्त रूप से आशोधित किया जाता है तब ऐसे विनिमय या आशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण के रूप में और नई देयता को मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशि के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय लिखतों का समायोजन

वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन पत्र में तभी दिखाया जाता है जब मान्य धनराशि को वर्तमान में समायोजित करने के लिए कानूनी अधिकार है निवल आधार पर उसका निबटारा करने और साथ ही साथ परिसम्पत्ति को वसूल करने तथा देयताओं का निबटारा करने की मंशा है।

2.9 वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों की खराब हानि के मापन और मान्यता के लिए संभावित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल का प्रयोग करती है।

ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है जो संविदा के अनुसार कंपनी को देय होता है और सभी नकदी प्रवाह जिन्हें कंपनी प्राप्त करने की आशा करती है। नकदी प्रवाह का आकलन करते समय कंपनी निम्नलिखित पर विचार करती है –

- परिसम्पत्तियों की संभावित उपयोग अवधि पर वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व भुगतान एवं विस्तार सहित)।
- धारित संपार्श्विक प्रतिभूतिकी बिक्री या अन्य ऋण वृद्धि से प्राप्त नकदी प्रवाह जो संविदात्मक शर्तों का अटूट हिस्सा हैं।

व्यापार प्राप्य धनराशि

व्यावहारिक प्रणाली के रूप में कंपनी ने व्यापर प्राप्य धनराशि पर संभावित हानि की मान्यता के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करते हुए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' को अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य धनराशि के संभावित जीवन पर देखी गई तीन वर्षीय रोलिंग औसत चूक दरों पर आधारित है और इसका समायोजन प्रगतिशील अनुमानों के लिए किया जाता है। इन औसत चूक दरों को व्यापार प्राप्य धनराशियों पर ऋण जोखिम प्रदर्शन और रिपोर्टिंग तारीख को एक वर्ष से अधिक बकाया राशियों पर जीवनपर्यंत संभावित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की खराब हानि और जोखिम प्रदर्शन की मान्यता के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यदि ऋण जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है तो खराब हानि का प्रावधान किया जाता है।

2.10 आयकर

कर खर्च को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें चालू कर और आस्थगित कर की राशि शामिल रहती है, जिन्हें अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता नहीं दी जाती है।

चालू कर की गणना उन कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होती है जिनका अधिनियमन किया जाता है अथवा सूचना अवधि के अंत में विशेष रूप से किया गया है। आस्थगित आयकर की गणना तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। चालू कर और आस्थगित कर की गणना को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कर प्राधिकारियों द्वारा कर कार्रवाई की अनिश्चितता के लिए समायोजित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं को सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए सामान्यतया पूरी तरह से मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां पर यह संभावना हो कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर जमा या कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का भावी करयोग्य आय के प्रति उपयोग किया जाएगा। इसका निर्धारण भावी प्रचालनात्मक परिणामों पर कंपनी के पूर्वानुमान पर आधारित होता है और इसका समायोजन महत्वपूर्ण गैर–करयोग्य आय और खर्चों तथा किसी भी अप्रयुक्त कर हानिया जमा के उपयोग पर निर्दिष्ट सीमाओं पर किया जाता है।

2.11 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी शेष, बैंक खातों में शेष, मार्गस्थ प्रेषण, हस्तगत चैक और मांग जमा राशि के साथ–साथ अन्य अल्प अवधि जमा, उच्च तरल निवेश (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम) शामिल होती हैं जो नकदी की ज्ञात धनराशि में परिवर्तन के लिए तैयार होती हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन होती हैं।

2.12 इक्विटी, आरक्षित धन तथा लाभांश भुगतान

शेयर पूंजी जारी किए गए शेयरों के सांकेतिक मूल्य को दर्शाती है। शेयरों को जारी करने से जुड़े किसी भी लेनदेन की लागत को धारित आमदनी से काट लिया जाता है जिसमें आय कर लाभों से संबंधित राशि शामिल नहीं रहती है।

इक्विटी के अन्य तत्वों में बीमांकक लाभ या परिभाषित लाभ देयता और नियोजित परिसम्पत्तियों पर धन प्राप्ति के पुनर्मापन पर हानि से उत्पन्न अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) शामिल होती है।

धारित आमदनी में सभी चालू और अवधि पूर्व धारित लाभ शामिल रहते हैं। शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें लाभांश का अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रदत्त अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल के अनुमोदन से मान्यता दी जाती है। देय लाभांश और लाभांश वितरण पर तदनुरूपी कर को सीधे ही इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.13 सेवा उपरांत लाभ एवं अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजनाएं सेवा उपरांत लाभ योजनाएं होती हैं जिनमें कंपनी एक अलग निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और इसमें आगे भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व नहीं होगा, और इसे उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित कर्मचारी की सेवाएं ली गई हैं।

(क) भविष्य निधि

भविष्य निधि अंशदान पीएफ ट्रस्ट द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में ट्रस्ट किया जाता है। ट्रस्ट के सदस्यों को दी जाने ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित सांविधिक ब्याज दर से कम नहीं होगी और यदि इसमें कोई कमी होती है तो उसका भरपाई कंपनी द्वारा की जाएगी।

(ख) पेंशन योजना

परिभाषित स्कीमों यथा अधिवर्षिता स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम आदि में अंशदान कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के लिए अपेक्षित अंशदान की राशि पर आधारित खर्च के रूप में किया जाता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम भविष्य निधि के हिस्से में से बनाई जाती है।

(ग) चिकित्सा सुविधा

कंपनी में चिकित्सा लाभ स्कीम है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम का वित्तपोषण कम्पनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट नामतः "एचएससीसी कर्मचारी चिकित्सा निधि ट्रस्ट" द्वारा किया जाता है। इस ट्रस्ट में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजना

(क) उपदानः

कंपनी उपदान के रूप में सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ प्रदान करती है। इस स्कीम का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है, और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट नामतः "एचएससीसी कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट" द्वारा किया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह उपदान–सह–जीवन बीमा पॉलिसी ली है। इसकी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना उनके द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते बीमांकक मूल्यांकन पर देय राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है। परिभाषित लाभ योजना के लिए सभी बीमांकक लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में उस वर्ष मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष वे उत्पन्न होती हैं।

अन्य दीर्घ अवधि लाभ

(क) प्रतिकारित अनुपस्थिति :

अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए कंपनी की देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है। यह स्कीम वित्तपोषणरहित है और देयता को वार्षिक आधार पर अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते बीमांकक मूल्यांकन मूल्यांकन के आधार लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है। बीमांकक लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

(ख) यात्रा भत्ता

यात्रा भत्ता के लिए कंपनी की देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है। यह स्कीम वित्तपोषणरहित है और देयता को वार्षिक आधार पर अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते बीमांकक मूल्यांकन मूल्यांकन के आधार लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है। बीमांकक लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

अन्य अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्प अवधि लाभों में कर्मचारी लागत यथा वेतन, बोनस, पीआरपी आदि को छूटरहित मूल्य पर मापा जाता है और ये उस वर्ष में उपार्जित होती हैं जिस वर्ष में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सहयोजित सेवाएं दी जाती हैं।

कर्मचारी पृथक्करण लागत

जिन कर्मचारियों ने कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति ली है, उन्हें दी गई अनुग्रह राशि को प्रबंधन द्वारा विकल्प के स्वीकार किए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और प्रासंगिक परिसम्पत्तियां

कंपनी द्वारा मान्य प्रावधानों में वारंटियों, अनुसंधान एवं विकास, संधारित विकास, आकस्मिकताएं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए प्रावधान शामिल रहते हैं। एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के समक्ष पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में देयता है, और इस बात की संभावना है कि देयताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों से निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और देयता की राशि का एक विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सकता है। सर्वोत्तम आकलन पर आधारित निर्धारित प्रावधान रिपोर्टिंग तारीख को देयता का निपटान करने के लिए अपेक्षित होते हैं। इन आकलनों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और इन्हें चालू सर्वोत्तम आकलनों को दिखाने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जहां पर धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन शामिल मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं का ध्यान से मूल्यांकन करने के बाद प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों का प्रकटन तब किया जाता है जब संभावित होती हैं और आय की वसूली निश्चित होने पर मान्यता दी जाती है।

2.15 माध्यस्थम पंचाट

माध्यस्थम/न्यायालय पंचाटों के साथ संबंधित प्राप्य/देय ब्याज को, शुरूआत के समय हिसाब में न लिए जाने की सीमा तक, डिक्री हो जाने बाद मान्यतादी जाती है। भारत सरकार की माध्यस्थम की स्थायी मशीनरी को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पंचाट निश्चित किए पर जवाब देना होता है। इन मामलों में ब्याज देने/लेने को तब हिसाब में लिया जाता है जब भुगतान संभावित होता है जिसमें यह बिंदु होता है कि कब प्रबंधन द्वारा मामले पर विचार करके निपटान किया जाता है।

2.16 निर्णीत हर्जाना

ग्राहकों/ठेकेदारों के संबंध में देरी के लिए, यदि कोई है तो, निर्णीत हर्जाना /क्षतिपूर्ति को तब हिसाब में लिया जाता है जब भुगतान संभावित होता है जिसमें यह बिंदु होता है कि कब प्रबंधन द्वारा मामले पर विचार करके निपटान किया जाता है।

2.17 पूर्व अवधि व्यय/आय

पूर्व अवधियों से संबंधित व्यय/आय को, जिसे महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, चालू वर्ष में संबंधित लेखा शीर्षों में हिसाब में लिया गया है।

2.18 लेखाककरण नीतियों और आकलन अनिश्चितता को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

भारत में जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं जिसमें प्रबंधन के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह आकलन और पूर्वानुमान तैयार करे जो परिसम्पत्तियों, देयताओं के सूचित शेष तथा वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण और अवधियों के दौरान आय एवं खर्चों का सूचित राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि वित्तीय विवरणों के साथ जुड़े में प्रयुक्त आकलन और पूर्वानुमान वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रबंधन के संगत तथ्यों और हालातों के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं जो प्रबंधन की राय में दूरदर्शी और युक्तियुक्त होते हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलनों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखाकरण आकलनों में किसी भी संशोधन को उस अवधि से उत्तरवर्ती रूप से मान्यता दी जाती है जिसमें लागू भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार परिणाम ज्ञात/पूरे होते हैं।

आकलनों और पूर्वनुमानों के बारे में सूचना, जिनका परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय और खर्चों की मान्यता और मापन पर होता है, नीचे दी गई है।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय हैं, जिनका कंपनी की लेखाकरण नीतियों में प्रयुक्त होने पर वित्तीय विवरणों पर अत्यधिक प्रभाव होता है।

आस्थगित परिसम्पत्तियों को मान्यता – उस सीमा तक आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता दी जाती है जो कंपनी की भावी करयोग्य आय की संभावना पर आधारित होती है, जिसके प्रति आस्थगित परिसम्पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसम्पत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसम्पत्तियों की हानि के संकेतकों के लागूकरण के मूल्यांकन में कई बाह्य और आंतरिक कारकों के निर्धारण में अपेक्षित होते हैं जो परिसम्पत्तियों के वसूलीयोग्य राशि को खराब कर सकते हैं।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर – प्रबंधन सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के शेष उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण करता है और इस बात में विश्वास करता है कि निर्दिष्ट उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्य उचित है।

आकलन अनिश्चितता

आकलनों और पूर्वनुमानों के बारे में सूचना, जिनका परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय और खर्चों की मान्यता और मापन पर होता है, नीचे दी गई है।

अग्रिमों/प्राप्तियोग्य धनराशि की वसूलनीयता – परियोजना प्रमुख, आंचलिक प्रमुख और क्षेत्रीय/रणनीतिक व्यवसाय समूह समय–समय पर अग्रिमों और प्राप्तियोग्य धनराशि की वसूलनीयता की समीक्षा करते हैं। यह वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जाती है और ऐसे आकलन में प्रतिपक्ष वित्तीय स्थिति, बाजार सूचना और अन्य संगत कारकों पर आधारित प्रबंधन का महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ पर प्रबंधन का आकलन कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित पूर्वानुमानों यथा मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत प्रवृति, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान पर आधरित होता है। ये पूर्वानुमान डीबीओ धनराशि और वार्षिक परिभाषित लाभ खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं।

आकस्मिकताएं – प्रबंधन का निर्णय कंपनी के विरूद्ध आकस्मिकताओं/दावों/मुकदमों के संबंध में संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह का आकलन करने के लिए अपेक्षित होता है, क्योंकि लम्बित मामलों की सटीकता के परिणाम को पहले बता पाना संभव नहीं होता है।

निर्णीत हर्जाना– प्राप्तयोग्य निर्णीत हर्जानों का आकलन किया जाता है और उनको संविदात्मक शर्तों के अनुसार दर्ज किया जाता है और अनुमान में वास्तविकता से अंतर हो सकता है जिसे ठेकेदार पर लगाया जाता है।

2.19 जारी मानक एवं प्रभावनीयता

क. भारतीय लेखाकरण मानक 116 पट्टा:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 116, कंपनी (इंड एएस) संशोधन नियम, 2019 के भाग के रूप में पट्टा अधिसूचित किया है। भारतीय लेखाकरण मानक 116 ने मौजूदा पट्टा मानक अर्थात भारतीय लेखाकरण मानक 17 का स्थान लिया है, अर्थात 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद से शुरू की अवधियों के लिए पट्टा। नए मानक का पट्टेदारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे भारतीय लेखाकरण मानक 17 में यथा अपेक्षित वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में पट्टों का वर्गीकरण समाप्त हो गया है। इसमें एकल ऑन बैलेंस शीट लेखाकरण मॉडल लागू किया गया है जो वर्तमान वित्त पट्टा लेखाकरण मॉडल जैसा ही है। पट्टेदारों से यह अपेक्षित होगा वे अंतर्निहित पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग के अधिकार को अभिव्यक्त करते हुए और पट्टा भुगतान करने के लिए अपने दायित्व को अभिव्यक्त करते हुए पट्टा दायित्व परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को मान्यता दें।

कंपनी ने यह मानक परिशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 को अंगीकार किया है। तदनुसार तुलनात्मक स्थिति को फिर से नहीं बताया गया है। मानक के द्वारा अधिदेशित विस्तृत प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है (नोट 46 देखें)।

ख. भारतीय लेखाकरण मानक 12 परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहार पर अनिश्चतता:

कॉर्पोरेट कार्यमंत्रालय ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखाकरण मानक 12 का आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता, परिशिष्ट ग, अधिसूचित किया है जिसका प्रयोग करयोग्य लाभ(अथवा हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर जमा और कर दरों को निर्धारित करते समय किया जाना है, जब भारतीय लेखाकरण मानक 12 के अन्तर्गत आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनियों को प्रत्येक कर व्यवहार, कर व्यवहार समूह को स्वीकार करने वाली संबंधित कर प्राधिकारी की संभाव्यता को निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनियों ने अपनी आयकर फाइल करने में इनका प्रयोग किया है या प्रयोग करने की योजना है, इसका प्रयोग करयोग्य लाभ (अथवा हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर जमा और कर दरों को निर्धारित करते समय कर व्यवहार की संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य की गणना करने पर विचार किया जाता है।

इस प्रकार चालू कर और आस्थगित कर की गई गणना को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को कर प्राधिकारियों द्वारा कर व्यवहार की अनिश्चितता के लिए समायोजित किया जाता है। भारतीय लेखाकरण मानक 12 का आयकर व्यवहार पर अनिश्चितता परिशिष्ट ग का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी भी प्रकार का संक्रमणकालीन प्रभाव नहीं होता है (नोट 31ख देखें)।

नोट–3

कंपनी की संपत्ती, संयंत्र और उपकरणों का और रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से अंत तक उनके रखाव मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

	विवरण	सकल रखाव राशि (लागत पर)					संचित मूल्यह्रास					निवल बुक मान
		31 मार्च, 2019 को	भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन करने के बाद	जोड़	निपटान	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन करने के बाद	वर्ष के लिए प्रभार	निपटान पर	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**											
	भवन*	7175.06	-	-	-	7,175.06	203.95	-	113.53	-	317.49	6,857.58
	फर्नीचर और फिक्सचर	221.21	-	0.88	-	222.09	137.38	-	9.87	-	147.25	74.84
	वाहन	11.48	-	-	-	11.48	9.85	-	0.28	-	10.13	1.35
	कार्यालय उपकरण	200.73	-	13.33	-	214.06	167.37	-	16.61	-	183.98	30.08
	कंप्यूटर और आंकड़ा संसाधन यूनिटें	227.92	-	8.15	1.23	234.84	197.32	-	13.52	1.17	209.66	25.18
	लीजहोल्ड भूमि	446.65	(446.65)	-	-	-	73.10	(73.10)	-	-	-	-
	कुल (i)	**8283.06**	**(446.65)**	**22.36**	**1.23**	**7,857.53**	**788.97**	**(73.10)**	**153.81**	**1.17**	**868.51**	**6,989.03**
ख	**उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ**											
	लीजहोल्ड भूमि**	-	446.65	-	-	446.65	-	73.10	4.96	-	78.06	368.59
	भवन	-	8.71	-	-	8.71	-	-	1.45	-	1.45	7.26
	कुल (ii)	**-**	**455.36**	**-**	**-**	**455.36**	**-**	**73.10**	**6.41**	**-**	**79.52**	**375.84**
	कुल (i+ii)	**8,283.06**	**8.71**	**22.36**	**1.23**	**8,312.89**	**788.97**	**-**	**160.23**	**1.17**	**948.03**	**7,364.88**

	विवरण	सकल रखाव राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				निवल बुक मान
		31 मार्च, 2018 को	जोड़	निपटान	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	वर्ष के लिए प्रभार	निपटान पर	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2019 को
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**									
	भवन*	340.07	6,834.99	-	7,175.06	198.22	5.74	-	203.96	6,971.10
	फर्नीचर और फिक्सचर	218.83	2.37	-	221.20	127.69	9.67	-	137.36	83.84
	वाहन	11.48	-	-	11.48	9.57	0.28	-	9.85	1.63
	कार्यालय उपकरण	196.71	4.02	-	200.73	161.52	5.70	-	167.22	33.51
	कंप्यूटर और आंकड़ा संसाधन यूनिटें	218.20	9.72	-	227.92	184.95	12.45	-	197.40	30.52
	कुल (i)	**985.29**	**6851.10**	**-**	**7836.39**	**681.95**	**33.83**	**-**	**715.79**	**7120.60**
ख	**मूर्त परिसंपत्तियाँ (लीज के अधीन)**									
	भूमि**	446.65	-	-	446.65	68.14	4.96	-	73.10	373.55
	कुल (ii)	**446.65**	**-**	**-**	**446.65**	**68.14**	**4.96**	**-**	**73.10**	**373.55**
	कुल (i+ii)	**1,431.94**	**6,851.10**	**-**	**8,283.04**	**750.09**	**38.80**	**-**	**788.89**	**7,494.15**

*कंपनी ने 6834.99 लाख रुपये के भवन में पूंजी लगाई है जिसका कंपनी के नाम पर पंजीकरण लंबित है।

**उपर्युक्त लीजहोल्ड भूमि में सेक्टर–1, नोएडा में प्लॉट संख्या ई–13 और ई–14 शामिल हैं, डीड के खंड संख्या 4 के अनुसार यदि लीजदाता समय–सीमा में छूट नहीं देता है तो लीजधारी एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को चार वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर पट्टान्तरित भूमि पर भवन का निर्माण पूरा करना होगा। लीज डीड के खंड के अनुसार निर्माण के लिए अनुमत्य समय 21–04–2017 को पूरा हो चुका है और कंपनी ने न तो समय में छूट देने के लिए आवेदन किया है और न ही भवन का निर्माण किया है। इसलिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लीज डीड की समय–सीमा में विस्तार के लिए विस्तार शुल्क के रूप में 11.30 लाख रुपये की देयता का उल्लेख किया है (वित्तीय वर्ष 2018–19: 21.95 लाख रुपये)।

नोट–4

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से अंत तक कंपनी की अमूर्त परिसंपत्तियों और उनकी रखाव राशि के मिलान का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ लाख में)

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सकल रखाव राशि (लागत पर)				संचित ऋणमुक्ति				निवल बुक मूल्य
		31 मार्च, 2019 को	जोड़	निपटान	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	वर्ष के लिए प्रभारित	निपटान पर	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को
क	सॉफ्टवेयर	26.51	-	-	26.51	24.43	1.33	-	25.76	0.75
	कुल	**26.51**	**-**	**-**	**26.51**	**24.43**	**1.33**	**-**	**25.76**	**0.75**

(₹ लाख में)

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सकल रखाव राशि (लागत पर)				संचित ऋणमुक्ति				निवल बुक मूल्य
		31 मार्च, 2018 को	जोड़	निपटान	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	वर्ष के लिए प्रभारित	निपटान पर	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2019 को
क	सॉफ्टवेयर	25.84	0.67		26.51	19.60	4.83	-	24.43	2.09
	कुल	**25.84**	**0.67**	**-**	**26.51**	**19.60**	**4.83**	**-**	**24.43**	**2.09**

नोट–5

विकसित की जा रही अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विकसित की जा रही कंपनी की अमूर्त संपत्तियों का विवरण और रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से अंत तक उनकी रखाव राशि का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
31 मार्च, 2018 को	**13.16**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए गए	-
31 मार्च, 2019 को	**13.16**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए गए	-
31 मार्च, 2020 को	**13.16**

नोट–6

(₹ लाख में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर–मौजूदा)	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
प्रतिभूति जमा				
– सही समझी जाती हैं	21.95		21.95	
– संदेहास्पद समझी जाती हैं	0.78		0.78	
	22.73		22.73	
घटाएँ: खराबी के लिए भत्ता	(0.78)	21.95	(0.78)	21.95
स्टाफ से रिकवर किए जाने वाला अग्रिम		20.75		10.78
कुल		**42.70**		**32.73**

नोट–7

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ लाख में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2019 को	लाभ एवं हानि में प्रभारित/क्रेडिट की गई	ओसीआई में प्रभारित/क्रेडिट की गई	31 मार्च, 2020 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
निम्नलिखित में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न:				
कर्मचारियों के लाभ के प्रावधान	372.70	(102.25)	-	270.45
अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	517.82	(1.44)	-	516.38
लाभ संबंधी वेतन (पीआरपीआईआई) प्रावधान	215.59	(6.93)	-	208.66
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1,074.90	(300.72)	-	774.19
आस्थगित राजस्व (बिल नहीं की गई प्राप्तियों का निवल)	1,875.75	(1,332.37)	-	543.38
अन्य	-	212.57	-	212.57
आस्थगित कर देयताएँ				
मूल्यह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न	106.74	107.63	-	214.37
कुल	**3,950.02**	**(1,638.77)**	**-**	**2,311.26**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ लाख में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2018 को	लाभ एवं हानि में प्रभारित/ क्रेडिट की गई	ओसीआई में प्रभारित/क्रेडिट की गई	31 मार्च, 2019 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
निम्नलिखित में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न:				
कर्मचारियों के लाभ के प्रावधान	324.38	48.32	-	372.70
अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	949.93	(432.11)	-	517.82
लाभ संबंधी वेतन (पीआरपीआईआई) प्रावधान	127.29	88.30	-	215.59
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1,064.57	10.33	-	1,074.90
आस्थगित राजस्व (बिल नहीं की गई प्राप्तियों का निवल)	2,664.72	(788.97)	-	1,875.75
आस्थगित कर देयताएँ				
मूल्यह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न	(2.51)	109.25	-	106.74
कुल	**5,133.40**	**(1,183.37)**	**-**	**3,950.02**

नोट–8

(₹ लाख में)

अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम:		
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	5,753.70	328.78
प्रीपेड व्यय	165.94	221.25
कुल	**5,919.64**	**550.03**

नोट–9

(₹ लाख में)

व्यापार प्राप्तियाँ	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
असुरक्षित:		
– सही समझी जाती हैं	9,633.76	9,460.44
– व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
– क्रेडिट बाधित	496.62	513.33
	10,130.38	9,973.77
क्षति भत्ता		
– असुरक्षित, सही समझी जाती है	(1,512.82)	(926.25)
– असुरक्षित, क्रेडिट बाधित	(496.62)	(513.33)
कुल	**8,120.94**	**8,534.19**

नोट–10

(₹ लाख में)

नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
बैंक में बैंक खातों में शेष*	834.98	3,131.72
उपलब्ध नकद	-	0.05
मंत्रालयों/क्लाइंट्स की ओर से		
बैंक में बैंक खातों में शेष	7,202.73	16,532.11
3 माह की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा	19.78	-
कुल	**8,057.49**	**19,663.88**
* इसमें निम्नलिखित में शेष राशि शामिल है:		
– अपरदत्त लाभांश खाता	-	1,124.01
– अनुसंधान एवं विकास निधि	16.77	16.77
– सतत विकास निधि	12.91	12.91

नोट–11

(₹ लाख में)

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक बैलेंस	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अन्य बैंक बैलेंसे		
3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा (नीचे नोट (i) और (ii) देखें)	1,128.53	-
3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा (नीचे नोट (i) और (ii) देखें)	20,346.65	24,403.39
मंत्रालयों/क्लाइंट्स की ओर से		
3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा (नीचे नोट (iii) देखें)	119,699.64	13,629.04
3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा (नीचे नोट (iii) देखें)	135,323.10	220,387.20
कुल	**276,497.92**	**258,419.63**
टिप्पणियाँ		
(i) इसमें जमा पर उपार्जित ब्याज शामिल है	240.84	653.03
(ii) इसमें बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी जमा शामिल है	1,606.82	1,835.50
(iii) इसमें जमा पर उपार्जित ब्याज शामिल है	3,767.95	4,367.65

नोट–12

(₹ लाख में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा				
– अच्छा माना जाता है	142.48		182.58	
– संदिग्ध माना जाता है	14.44		14.44	
	156.92		197.02	
घटाएँ: खराबी भत्ता	(14.44)	142.48	(14.44)	182.58
स्टाफ से रिकवर किए जाने वाला अग्रिम*		24.57		46.43
क्लाइंट्स से रिकवर किए जाने वाला दावा				
– संदिग्ध माना जाता है	13.01		13.01	
घटाएँ: खराबी भत्ता	(13.01)	-	(13.01)	-
क्लाइंट्स से रिकवर किए जाने वाला		1,602.38		1,477.76
अन्य रिकवर किए जाने योग्य राशि		14.12		14.12
बिल नहीं किया गया राजस्व**		9,415.82		17,471.05
रिकवर किए जाने वाला ब्याज		357.29		357.29
नियंत्रक कंपनी से रिकवर किए जाने वाला		-		11.58
अन्य से रिकवर किए जाने वाला		2,742.06		5,363.12
कुल		**14,298.72**		**24,923.94**

*इसमें अग्रिम पर उपार्जित ब्याज शामिल है	2.61	10.27

**बल नहीं किए गए राजस्व में किए गए निर्माण के संबंध में किए गए कार्य, जिसे अगले महीनों में बिल किया गया है, का मूल्य शामिल है।

नोट–13

(₹ लाख में)

मौजूदा कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अग्रिम आय कर	9,968.96	14,025.11
घटाएँ: कराधान का प्रावधान	8,987.99	13,456.62
कुल	**980.97**	**568.49**

नोट–14

(₹ लाख में)

अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	19,457.09	21,177.94
प्रीपेड व्यय	62.07	61.34
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	21.16	944.17
अन्य	18.52	12.75
कुल	**19,558.84**	**22,196.19**

नोट–15

(₹ लाख में)

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत:				
100/– ₹ प्रति शेयर के अनुसार इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 ₹)	500,000	500.00	500,000	500.00
जारी किया गया, सदस्यता ली गई और प्रदत्त:				
100/– ₹ प्रति शेयर के अनुसार पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 ₹)	180,014	180.01	180,014	180.01
कुल	**180,014**	**180.01**	**180,014**	**180.01**

नोट–15ए

इक्विटी शेयर पूंजी	इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2020 को		इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	180,014	180.01	180,014	180.01
जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान जारी किए गए/(वापस खरीदे गए) शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**180,014**	**180.01**	**180,014**	**180.01**

नोट–15बी

5% से अधिक पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक: (₹ लाख में)

नाम	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड*	180,014	100%	180,014	100%

*इसमें एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामितियों द्वारा धारित 42 (संख्या) शेयर शामिल हैं

नोट – 15सी

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सम मूल्य 100 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का पात्र है। अन्तरिम लाभांश को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के शर्ताधीन है। परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक संपूर्ण बकाया तरजीही राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियाँ अपनी शेयरधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट – 15डी

वर्ष 2003–04 के दौरान 100/– रुपये के एक शेयर के अनुसार 1,20,009 इक्विटी शेयर पूर्णतया भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए थे जिनमें मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान अधिकार दिए गए थे।

वर्ष 2008–09 के दौरान 100/– रुपये के एक शेयर के अनुसार 80006 इक्विटी शेयर पूर्णतया भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए थे जिनमें मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान अधिकार दिए गए थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान 100/– रुपये के एक शेयर के अनुसार 60,004 इक्विटी शेयर पूर्णतया भुगतान किए गए वापस खरीदे जाने वाले शेयरों के रूप में जारी किए गए थे जिनमें मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान अधिकार दिए गए थे।

नोट–15ई

अन्य इक्विटी	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सामान्य आरक्षित निधि	3,335.53	3,335.53
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	60.00	60.00
प्रतिधारित आय	7,440.11	10,294.66
अन्य व्यापक आय (निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन)	(37.57)	-
कुल	**10,798.07**	**13,690.19**

आरक्षित निधि और अधिशेष
अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और उद्देश्य
प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभों को दर्शाती है।

सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि को दर्शाती है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामान्य आरक्षित निधि में डाला जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किए जाने से पहले यह राशि अंतरित करना अनिवार्य था, हालांकि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सामान्य आरक्षित निधि में राशि अंतरित करना कंपनी के विवेक पर निर्भर है।

पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि

यह आरक्षित निधि इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने पर सृजित आरक्षित निधि को दर्शाती है। इस आरक्षित निधि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

नोट–16

अन्य गैर–मौजूदा वित्तीय देयताएँ	31 मार्च, 2020, को	31 मार्च, 2019 को
लीज देयताएँ (गैर–मौजूदा)	6.28	-
कुल	**6.28**	**-**

नोट–17

(₹ लाख में)

प्रावधान – गैर–मौजूदा	31 मार्च, 2020, को	31 मार्च, 2019 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधानः		
अवकाश नकदीकरण	887.23	960.94
अवकाश यात्रा भत्ता	1.40	1.11
कुल	**888.63**	**962.05**

प्रावधान और कर्मचारियों के लाभों की प्रत्येक श्रेणी में परिवर्तन के लिए क्रमशः नोट 36 और 38 देखें।

नोट–18

(₹ लाख में)

व्यापार देय	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कारण		
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	479.39	760.04
अन्य को देय		
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	35,113.15	38,440.48
रोकी गई राशि	38,003.14	29,579.16
कुल	**73,595.68**	**68,779.69**

नोट–19

(₹ लाख में)

अन्य मौजूदा वित्तीय देयताएँ	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
ओवरड्राफ्ट बुक करना	8,744.03	5,971.70
लीज देयताओं की मौजूदा परिपक्वता	1.26	-
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	20,336.96	17,728.11
लाभांश	-	1,124.01
नियंत्रक कंपनी को देय राशि	41.63	-
अन्य देय राशि	7,140.21	18,746.91
कुल	**36,264.09**	**43,570.74**

नोट–20

(₹ लाख में)

अन्य मौजूदा देयताएँ	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
देय कर	2,436.70	3,480.47
देय लाभांश वितरण कर	-	231.04
क्लाइंट्स से अग्रिम शुल्क	499.56	699.70
क्लाइंट्स से जमा	207,246.63	202,825.34
आस्थगित राजस्व	7,117.88	8,116.78
कुल	**217,300.77**	**215,353.34**

नोट–21

(₹ लाख में)

प्रावधान – मौजूदा	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधानः		
ग्रेच्युटी	52.41	36.20
अवकाश नकदीकरण	145.47	52.75
अवकाश यात्रा भत्ता	1.06	0.84
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए प्रावधान	829.05	616.95
अनुसंधान एवं विकास निधि	16.77	16.77
सतत विकास निधि	12.91	12.91
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	3,076.07	3,076.07
कुल	**4,133.74**	**3,812.49**

प्रावधान और कर्मचारियों के लाभों की प्रत्येक श्रेणी में परिवर्तन के लिए क्रमशः नोट 36 और 38 देखें।

नोट–22

(₹ लाख में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं का मूल्य		
किए गए कार्य का मूल्य	212,509.19	204,946.25
कुल	**212,509.19**	**204,946.25**

नोट–23

(₹ लाख में)

अन्य प्रचालन राजस्व	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा दस्तावेज़ की बिक्री	31.86	26.58
प्रतिलेखित प्रावधान	-	1,347.85
विविध रसीदें	0.43	6.75
कुल	**32.29**	**1,381.18**

नोट–24

(₹ लाख में)

अन्य आय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक का सकल ब्याज	632.93	773.03
क्लाइंट की ओर से प्राप्त किया गया ब्याज*	16,388.79	15,097.31
घटाएँः क्लाइंट्स को पास किया गया ब्याज*	(16,388.79)	(15,097.31)
	632.93	**773.03**
स्टाफ को दिए गए अग्रिम पर ब्याज	1.94	3.32
कुल	**634.87**	**776.35**

*इसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुमान/अनंतिम आधार पर परिकलित क्लाइंट की निधि पर अर्जित और उसे पास की गई 844.60 लाख रुपये की ब्याज आय शामिल है।

नोट–25

(₹ लाख में)

कार्य और परामर्श व्यय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य पर व्यय (सामग्री के साथ)	200,972.73	194,317.88
कुल	**200,972.73**	**194,317.88**

नोट–26

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और इन्सेंटिव	3,356.48	3,104.87
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	454.48	484.19
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान*	4.66	38.82
अवकाश नकदीकरण	339.58	205.31
यात्रा भत्ता	1.36	1.95
स्टाफ कल्याण व्यय	25.14	49.18
चिकित्सा लाभ के लिए अंशदान	56.08	63.96
कुल	**4,237.78**	**3,948.28**

*लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय के लिए नोट 38 और नोट 47 देखें

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान चिकित्सा और कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है (पिछला वर्षः शून्य) क्योंकि ट्रस्टी ने निर्णय किया है कि चिकित्सा और कल्याण दोनों ट्रस्ट में पर्याप्त राशि की निधि उपलब्ध है और इन निधियों में अतिरिक्त अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

नोट – 26क

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़ कर प्रबंध निदेशक, निदेशक (इंजीनियरिंग), मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक 122.15 लाख रुपये है (पिछले वर्ष में 64.97 लाख रुपये) जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और इन्सेंटिव*	104.48	56.54
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	8.54	6.95
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान**	0.19	-
अवकाश नकदीकरण	8.86	1.39
यात्रा भत्ता	0.01	-
चिकित्सा लाभ के लिए अंशदान	0.08	0.09
कुल	**122.15**	**64.97**

*लाभ संबंधी वेतन की गणना अनुमान आधार पर की जाती है।
**केएमपी के ग्रेच्युटी व्यय की गणना बीमांकिक अनुमानों को शामिल किए बिना की जाती है।

नोट–27

(₹ लाख में)

वित्त लागत	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लीज देयता पर ब्याज लागत	0.70	-
कुल	**0.70**	**-**

नोट–28

(₹ लाख में)

मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास*	160.23	38.80
अमूर्त परिसंपत्तियों पर ऋणमुक्ति	1.33	4.83
कुल	**161.56**	**43.63**

* 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास में 6.41 लाख रुपये की उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास शामिल है।

नोट–29

(₹ लाख में)

अन्य व्यय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन	13.03	23.77
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	21.00	25.00
बैंक शुल्क और गारंटी कमीशन	9.44	18.43
सीएसआर व्यय	129.25	134.16
निदेशक का सिटिंग शुल्क	0.15	-
विनिमय में हानि	(0.07)	0.07
बीमा	0.96	1.13
व्यापार प्राप्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	569.87	-
विधायी तथा व्यावसायिक शुल्क	153.53	126.63
विविध व्यय	52.86	69.03
पोस्टेज और टेलीफोन	10.45	11.53
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	33.77	35.50
दरें और कर	29.79	5.52
किराया**	24.37	36.54
मरम्मत और रखरखाव		
(i) संयंत्र और मशीनें/वाहन	22.37	13.66
(ii) भवन	62.35	12.14
(iii) अन्य	25.86	20.04
यातायात और साधन	181.14	196.84
पानी, बिजली और संबंधित शुल्क	39.11	40.19
कुल	**1,379.23**	**770.18**

**किराये में बारह माह से कम अवधि की सभी लीज पर भुगतान किया गया लीज किराया शामिल है और आधारभूत संपत्ति निम्न मूल्य की है।

नोट–29ए

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षकों को भुगतान	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क	12.00	12.00
कर लेखापरीक्षा	4.50	4.50
तिमाही सीमित समीक्षा	4.50	8.50
कुल	**21.00**	**25.00**

नोट–30

(₹ लाख में)

बट्टे खाते में डाली गई राशि:	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बट्टे खाते में डाला गया उपार्जित ब्याज	-	74.59
कुल	**-**	**74.59**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने 410.75 लाख रुपये की एफडीआर लेखा बही में रिकॉर्ड की और इन्हें 'अर्जित ब्याज' में अंतरित किया। अर्जित ब्याज में 74.59 लाख रुपये की शेष राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

नोट–31

(₹ लाख में)

कुल व्यय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल व्यय में शामिल है:		
वर्तमान आय कर	1,149.81	1,581.61
आस्थगित कर*	1,638.77	1,183.37
पूर्व के वर्ष से संबंधित कराधान	(127.23)	202.87
कुल	**2,661.35**	**2,967.85**

*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 की नई धारा 115बीएए जुडने के कारण प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर को 34.944% से कम करके 25.168% कर दिया गया। इस कर दर में कमी होने के कारण कंपनी को उपलब्ध निवल आस्थगित कर में कमी हुई है और संगत कर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ में 1082.60 लाख रुपये की कमी हुई है।

नोट – 31ए इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित आय कर व्यय

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान वितरित अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश के लिए सीधे अन्य इक्विटी में 1128.33 लाख रुपये का लाभांश वितरण कर चिह्नित किया है।

नोट – 31बी: आय कर निर्धारण में अनिश्चितता

क. मॉरीशस अधिकार–क्षेत्र के तहत आय कर देयता

कंपनी मॉरीशस में प्रचालित परियोजना से अर्जित आय पर आय कर की संभावना का मूल्यांकन कर रही है। तथापि यदि मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचने संबंधी समझौते के अनुसार कोई कर देयता होगी तो कंपनी दोहरे कराधान से बचने संबंधी समझौते के अनुसार भारतीय आय कर कानून में कर क्रेडिट का दावा करेगी। वर्तमान में कंपनी मॉरीशस में प्रचालित परियोजना से अर्जित आय पर भारतीय आय कर क़ानूनों के तहत आय कर का भुगतान कर रही है। परिणामस्वरूप कंपनी ने संभावित कर देयता के संबंध में कोई राशि चिह्नित नहीं की है और साथ–साथ कर क्रेडिट उपलब्ध होगा क्योंकि यह प्रभाव अप्रभावी हो जाएगा और संबंधित वर्षों में भारतीय आय कर का भुगतान किया जा चुका है।

ख. आय कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 (आकलन वर्ष 2014–15) की लंबित अपील

वित्तीय वर्ष 2013–14 (आकलन वर्ष 2014–15) की आय कर विवरणी आय कर अधिनयम, 1961 की धारा 143 के अनुसार जाँच आकलन के लिए प्रस्तुत की गई थी। कंपनी ने उपर्युक्त वर्ष की आय कर विवरणी में 232.60 लाख रुपये के निवल रिफ़ंड का दावा किया था। आकलनकर्ता अधिकारी ने तदर्थ आदेश पारित किया था और रिफ़ंड को कम करके शून्य कर दिया था। कंपनी ने आकलनकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील्स) के समक्ष आवेदन किया था। सीआईटी (अपील्स) ने आकलनकर्ता अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा और आकलनकर्ता अधिकारी के शून्य रिफ़ंड आदेश को स्वीकार किया। कंपनी ने सीआईटी (अपील्स) के आदेश के विरुद्ध आय कर अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की थी। इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तथापि कंपनी ने 42 लाख रुपये की आकस्मिक देयता बना ली है। कंपनी का मानना है कि सीआईटी (अपील्स) के आदेश उचित नहीं ठहराए जा सकते और यह संभावना है कि यह आय कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील के आधार का सफलतापूर्वक बचाव कर लेगी। इसलिए कंपनी ने ऐसी अनिश्चितता के संबंध में कोई राशि चिह्नित नहीं की है।

ग. वित्तीय वर्ष 2017–18 (आकलन वर्ष 2018–19) का जाँच आकलन

आय कर विभाग ने उपर्युक्त वर्ष की आय कर विवरणी में दर्शाई गई कर योग्य आय की तुलना में अतिरिक्त कर योग्य आय दर्शाते हुए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत सूचना भेजी थी। कंपनी ने इस सूचना के अनुसार आय कर विभाग को अतिरिक्त कर योग्य आय के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है। तथापि आय कर विभाग ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना है और आय कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान वित्तीय वर्ष 2017–18 (आकलन वर्ष 2018–19) से संबंधित 394.56 लाख रुपये की माँग की गई है। इस मामले का चयन जाँच आकलन के लिए किया गया है। कंपनी का मानना है कि

यह कर कानून की व्याख्या, मामले के तथ्यों और जाँच आकलन मामलों के पूर्व अनुभव के आधार पर क्षेत्राधिकार अधिकारी के समक्ष कंपनी के कर व्यवहार का सफलतापूर्वक बचाव कर लेगी। इसलिए कंपनी ने ऐसी अनिश्चितता के संबंध में कोई राशि चिह्नित नहीं की है।

घ. अनंतिम/अनुमान आधार पर दावा किया गया व्यय

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा क्लाइंट को उनकी निधि पर 844.60 लाख रुपये का ब्याज देय है (नोट 24 देखें)। उपर्युक्त देयता की गणना अनुमान/अनंतिम आधार पर की गई है जो आय कर विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती। भविष्य में जुर्माने/ब्याज से बचने के लिए कंपनी वर्तमान कर का भुगतान करेगी और साथ–साथ आस्थगित कर संपत्ति बनाएगी। अंतिम रूप से कटौती का दावा तब किया जाएगा जब क्लाइंट द्वारा वास्तविक ब्याज का दावा किया जाएगा। इसलिए 844.60 लाख रुपये के आय कर आधार और परिणामस्वरूप वर्तमान कर व्यय पर और इस पर आस्थगित कर व्यय पर भी हमेशा अनिश्चितता होगी।

नोट–31सीं: प्रभावी कर दर का मिलान

आय कर व्यय और कंपनी की घरेलू प्रभावी कर दर के आधार पर अनुमानित कर व्यय और लाभ एवं हानि में रिपोर्ट किए गए कर व्यय के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

कर का मिलान	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी प्रचालनों से कर से पहले लेखांकन लाभ	6,424.35	7,949.22
आय कर से पहले लेखांकन लाभ	**6,424.35**	**7,949.22**
भारत की सांविधिक आय कर दर पर	25.168%	34.944%
आय कर से पहले लेखांकन लाभ	1,616.88	2,777.78
गैर–कटौती योग्य व्यय का प्रभाव	8.78	53.26
आस्थगित कर दर में परिवर्तन के कारण प्रभाव	1,082.60	(66.06)
पूर्व के वर्ष के संबंध में कराधान (स्थायी अंतर के कारण)	(46.91)	202.87
कर व्यय	**2,661.35**	**2,967.85**
वास्तविक कर व्यय	**2,661.35**	**2,967.85**
प्रभावी कर दर	**41.43%**	**37.34%**

नोट–32

(₹ लाख में)

अन्य व्यापक आय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:		
निर्धारित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन लाभ (हानि)	(50.21)	-
उपर्युक्त का आय कर प्रभाव	12.64	-
कुल	**(37.57)**	**-**

नोट–33

प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना "प्रति शेयर आय" पर भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस–33) के अनुसार की जाती है

(₹ लाख में)

प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल/कम की गई आय के लिए इक्विटी धारक को दिए जाने वाला लाभ (जारी प्रचालन)	3,763.00	4,981.37
बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या :		
वर्ष के आरंभ में (संख्या)	180,014	180,014
वर्ष के समापन पर (संख्या)	180,014	180,014
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	180,014	180,014
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹)	100.00	100.00
प्रति इक्विटी शेयर आयः		
(1) मूल (₹ में)	2,090.39	2,767.21
(2) कम की गई (₹ में)	2,090.39	2,767.21

नोट – 34

I. आकस्मिक देयताएँ, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक उनका प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

क.

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
ईएसआई – निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर की ओर से ईएसआई अधिनियम के तहत 01.01.1997 से 31.07.2004 के बीच की अवधि के लिए किए गए दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।	1.83	1.83
बैंक गारंटी – बैंकों द्वारा कंपनी की ओर से निर्माण परियोजनाओं के लिए जारी की गई लंबित कार्य निष्पादन बैंक गारंटियाँ।	1,606.82	1,835.50

कंपनी द्वारा करों के संबंध में स्वीकार नहीं की गई माँग		
सेवा कर		
i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 और धारा 66 और सेवा कर नियम 1994 के नियम 6(1) और 6(2) के उल्लंघन के लिए जनवरी 2004 की अवधि के लिए धारा 73 के तहत माँग और अधिनियम की धारा 76 के तहत जुर्माना। अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, आर के पुरम, दिल्ली के समक्ष 29.12.2017 से लंबित है। 2.64 लाख रुपये की माँग के सामने 0.46 लाख रुपये की राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी है। एचएससीसी ने 29.12.2017 को अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है। अब कंपनी ने सबका विश्वास (पुराने विवादों का निपटान) स्कीम, 2019 का विकल्प चुना है और इसके अंतर्गत आवेदन किया है। कंपनी ने इस स्कीम के अनुसार अपेक्षित राशि का भुगतान कर दिया है।	-	2.64
ii) अक्तूबर 2009 से सितंबर 2010 तक की अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट को स्वीकार नहीं किया गया। अपील केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष 28.11.2017 को की गई थी। 0.40 लाख रुपये की राशि, 5.29 लाख रुपये का जुर्माना जमा किया जा चुका है, अब आयुक्त ने राशि कम करके 1.45 लाख रुपये कर दी है जिसके लिए सीईएसटीएटी, इलाहाबाद के समक्ष 31.01.2019 को अपील दायर की गई है। सीईएसटीएटी का आदेश कंपनी के पक्ष में आया है।	-	1.45
iii) अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट को स्वीकार नहीं किया गया। अपील 28.02.2018 से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है। 3.18 लाख रुपये की राशि जमा की जा चुकी है। 10.05 लाख रुपये का जुर्माना जमा किया जा चुका है। सुनवाई की अंतिम तारीख 30.08.2018 थी और अधिकरण से अभी आदेश प्राप्त होना शेष है। इस मामले का निर्णय कंपनी के पक्ष हुआ है।	-	10.05
भविष्य निधि		
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा 2004–05 से 2008–09 के दौरान कंपनी द्वारा नियुक्त संविदाकारों के माध्यम से संविदा कर्मचारियों के संबंध में माँग रखी गई है। अपील पीएफ अधिकरण के समक्ष लंबित है। 5.15 लाख रुपये की राशि जमा की जा चुकी है। तथापि मामला अभी भी लॉकडाउन के कारण लंबित है, हालांकि सुनवाई की अंतिम तारीख 16.04.2020 थी।	6.86	6.86
आय कर विभाग द्वारा रखी गई माँग:		
वर्ष 2014–15 के लिए आय कर माँग – सरकारी निधि पर टीडीएस को स्वीकृति नहीं देने के संबंध में 20.09.2018 को आईटीएटी के समक्ष दायर की गई अपील लंबित है। अब सितंबर 2018 के माह में आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई है और सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित की जानी है।	42.00	42.00
आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:		
कंपनी ने मध्यस्थ/न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों के समक्ष विभिन्न पक्षों के विरुद्ध मामले दायर किए हैं। इन मामलों को जीतने की अत्यधिक संभावना है और यह संभव है कि कथित लाभ प्राप्त हो सकते हैं।	479.56	446.56

ख. कंपनी उन कर्मचारियों के संबंध में अनिश्चित रूप से उत्तरदायी है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और अनुशासनिक जाँच के निर्णय के बाद होने वाली देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि अनिश्चित है।

ग. **पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ**

कंपनी ने भवन के लिए स्थान खरीदा है जिसका रजिस्ट्रेशन होना शेष है और रजिस्ट्रेशन की लागत लगभग 500 लाख रुपये होगी।

II. अनिश्चित देयताएँ जिनका मंत्रालयों/क्लाइंट के लिए प्रावधान नहीं किया गया है

क. विभिन्न क्लाइंट्स के विरुद्ध सामग्री की आपूर्ति और कार्यों के करारों के लिए आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों द्वारा कुल 15812.98 लाख रुपये के दावे (31 मार्च 2019 तक 8073.74 लाख रुपये) न्यायालयों/मध्यस्थता में हैं और उपर्युक्त राशि पर 31 मार्च, 2020 तक ब्याज 5617.14 लाख रुपये है, जहाँ एचएससीसी सह–प्रतिवादी है। तथापि प्रबंधन का इन मामलों में कंपनी की ओर से किसी देयता का पूर्वानुमान नहीं है।

ख. 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयों/क्लाइंट्स के लिए और उनकी ओर से आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में 516.94 लाख रुपये की विदेशी साख पत्र की राशि बकाया है (31 मार्च 2019 को 811.64 लाख रुपये)। तथापि प्रबंधन का इन मामलों में कंपनी की ओर से किसी देयता का पूर्वानुमान नहीं है।

नोट–35

लाभांश और आरक्षित निधि

(रुपये लाख में)

किया गया, घोषित और प्रस्तावित वितरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रदत्त इक्विटी शेयर पर नकद लाभांश		
वित्तीय वर्ष 2019–20 का अंतरिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	3,014.36	-
वित्तीय वर्ष 2018–19 का अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	3,603.19	-

भारतीय लेखा मानक 37 के तहत "प्रावधानों, देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर प्रकटीकरण:

नोट–36

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी (मौजूदा और गैर–मौजूदा) में परिवर्तन नीचे दर्शाए गए हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	अवकाश यात्रा रियायत	पीआरपी के लिए प्रावधान	अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	अनुसंधान एवं विकास निधि	सतत विकास निधि	कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी निधि
1 अप्रैल, 2018 को	**288.03**	**937.30**	-	**367.81**	**3,076.07**	**16.77**	**12.91**	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	35.76	49.18	1.95	369.61	-	-	-	134.16
घटाएँ: वर्ष के दौरान की गई वापसी	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त	(287.59)	27.20	-	(120.46)	-	-	-	(134.16)
31 मार्च, 2019 को	**36.20**	**1,013.68**	**1.95**	**616.95**	**3,076.07**	**16.77**	**12.91**	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	52.41	339.59	1.35	212.11	-	-	-	129.25
घटाएँ: वर्ष के दौरान की गई वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त	(36.20)	(320.57)	(0.85)	-	-	-	-	(129.25)
31 मार्च, 2020 को	**52.41**	**1,032.70**	**2.46**	**829.05**	**3,076.07**	**16.77**	**12.91**	**-**

नोट – 37

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एमएसएमईडी अधिनियम, 2006") के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

जिन आपूर्तिकर्ताओं ने स्वयं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत पंजीकृत करवाया है उनसे प्राप्त हुई पुष्टि के आधार पर और समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	वर्ष के अंत में भुगतान करने के लिए शेष मूलधन	479.39	760.04
(ii)	उपर्युक्त मूलधन पर देय ब्याज और वर्ष के अंत में भुगतान के लिए अन्य शेष राशि	-	-
(iii)	क्रेता द्वारा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसरण में भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-	-
(iv)	भुगतान (जिनका भुगतान किया गया है परंतु वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के बाद) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ब्याज जोड़े बिना।	-	-
(v)	उपार्जित ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में भुगतान करने के लिए शेष राशि; और	-	-
(vi)	आगामी वर्षों में भी और ब्याज की राशि जो देय और भुगतान योग्य है, उस तारीख तक जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से लघु उद्यम को उपर्युक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान किया जाए	-	-

नोट – 38

भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) – 19 के अंतर्गत कर्मचारियों के लाभ संबंधी प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

ग्रेच्युटी

कंपनी की एक निर्धारित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है वह ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति, पदत्याग, सेवा समाप्ति, अशक्तता या मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र है। इस स्कीम का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट "एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट" द्वारा किया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समूह ग्रेच्युटी–सह–जीवन बीमा पॉलिसी ली है। इसकी देयता का निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर की गई गणना के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है और तदनुसार ग्रेच्युटी ट्रस्ट में अंतरित की जाती है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 52.41 लाख ₹ का प्रावधान किया गया है {31 मार्च, 2019: 36.20 लाख ₹}।

अर्जित अवकाश

कंपनी की अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए दीर्घावधि लाभ योजना है। वर्ष के अंत में अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का प्रावधान है और इसे लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2019–20 के लिए देयता की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है। 31 मार्च, 2020 तक अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए संचयी देयता 668.04 लाख ₹ है {31 मार्च, 2019: 722.11 लाख ₹}।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अर्जित अवकाश के नकदीकरण के नियम परिवर्तित कर दिए हैं। अब नकदीकरण योग्य अर्जित अवकाश और उपलब्ध अर्जित अवकाश को एक ही अर्जित अवकाश खाते में आमेलित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब खाते में न्यूनतम 30 दिन के अर्जित अवकाश के साथ बिना किसी ऊपरी सीमा के अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। पूर्व में केवल 30 दिन तक के अर्जित अवकाश का ही नकदीकरण किया जा सकता था।

नियम में उपर्युक्त परिवर्तनों के कारण कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले लाभों में कोई वृद्धि नहीं हुई। तथापि बीमांकिक अनुमानों में इन परिवर्तनों के कारण अवकाश लेने की दर बढ़ कर 25% हो गई है (पूर्व में 5%)। अवकाश नकदीकरण प्रावधान के वर्तमान हिस्से की पिछले वर्ष की राशि की तुलना में चालू वर्ष में अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के वर्तमान हिस्से का बैलेंस शीट पर प्रभाव काफी अधिक है।

चिकित्सा अवकाश

चिकित्सा अवकाश नकदीकरण के लिए कंपनी की दीर्घावधि लाभ योजना है। सेवानिवृत्ति पर 300 दिन की समग्र ऊपरी सीमा के शर्ताधीन अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अतिरिक्त अर्द्ध वेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा अवकाश के लिए देय सममूल्य नकद राशि अर्द्ध वेतन और महंगाई भत्ते के लिए और अर्जित अवकाश में कमी को पूरा करने के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के समान होगी। वर्ष 2019–20 के लिए देयता की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है। 31 मार्च, 2020 को चिकित्सा अवकाश के नकदीकरण के लिए संचयी देयता 364.66 लाख ₹ है {31 मार्च, 2019: 291.58 लाख ₹}।

यात्रा भत्ता

31 मार्च, 2020 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले यात्रा भत्ते की संचयी देयता 2.46 लाख ₹ है {31 मार्च, 2019: 1.95 लाख ₹}।

क) बैलेंस शीट में स्वीकृत राशि निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	2019-20	904.62	668.04	364.66	2.46
	2018-19	-	722.11	291.58	1.95
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	852.21	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
बैलेंस शीट में स्वीकृत निवल (परिसंपत्तियाँ)/देयता	2019-20	52.41	668.04	364.66	2.46
	2018-19	-	722.11	291.58	1.95

ख) लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
वर्तमान सेवा लागत	2019-20	2.23	67.17	28.62	0.55
	2018-19	-	64.34	22.67	1.95
निर्धारित लाभ देयता की ब्याज लागत	2019-20	58.69	55.82	22.60	0.15
	2018-19	-	47.92	24.54	-
योजना परिसंपत्तियों से ब्याज आय	2019-20	(63.08)	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
निधि प्रबंधन शुल्क	2019-20	4.35	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
अवधि में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2019-20	-	143.52	21.86	0.65
	2018-19	-	116.92	(72.24)	-
लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	2019-20	2.20	266.51	73.08	1.35
	2018-19	-	229.18	(25.04)	1.95

*लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय के लिए नोट 47 देखें। लाभ और हानि के विवरण में ग्रेच्युटी व्यय में ट्रस्ट को देय 2.46 लाख रुपये का ग्रेच्युटी बीमा शामिल है {31 मार्च, 2019: 2.62 लाख ₹}

ग) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत व्यय निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी
निर्धारित लाभ देयता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2019-20	50.21
परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2019-20	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि)	**2019-20**	**50.21**

घ) निर्धारित लाभ देयता के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
वर्ष के आरंभ में वर्तमान मूल्य पर देयताएँ	2019-20	828.44	722.11	291.58	1.95
	2018-19	-	619.90	317.40	-
अधिग्रहण समायोजन	2019-20	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
ब्याज की लागत	2019-20	58.69	55.82	22.60	0.15
	2018-19	-	47.92	24.54	-
वर्तमान सेवा लागत	2019-20	2.23	67.17	28.62	0.55
	2018-19	-	64.34	22.67	1.95

निम्न से बीमांकिक (लाभ)/हानि					
जनसांख्यिक अनुमानों में परिवर्तन	2019-20	-	0.08	0.04	0.00
	2018-19	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन					
अनुभवों में समायोजन	2019-20	-	50.49	23.80	0.16
	2018-19	-	89.43	32.65	-
	2019-20	50.21	92.95	(1.98)	0.49
	2018-19	-	27.49	(104.89)	-
पूर्व सेवा लागत	2019-20	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	2019-20	(34.96)	(320.57)	-	(0.85)
	2018-19	-	(126.98)	(0.78)	-
वर्ष के समापन पर देयताओं का वर्तमान मूल्य	2019-20*	**904.62**	**668.04**	**364.66**	**2.46**
	2018-19	**-**	**722.11**	**291.58**	**1.95**

*पदत्याग करने वाले कर्मचारियों की 4.28 लाख रुपये की अप्रदत्त देयता अर्जित अवकाश की देयताओं के कुल वर्तमान मूल्य में जोड़ी गई है।

ड.) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी
वर्ष के आरंभ में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	828.44
ब्याज से आय	2019-20	63.08
पुनः आकलन लाभ/(हानि) – निवल ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़ कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	2019-20	-
नियोक्ता की ओर से अंशदान	2019-20	-
निधि प्रबंधन शुल्क	2019-20	(4.35)
प्रदत्त लाभ	2019-20	(34.96)
वर्ष के समापन पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2019-20**	**852.21**

च) **बीमांकिक अनुमान निम्नानुसार हैं:**

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
छूट की दर	2019-20	7.25%	6.91%	6.91%	6.91%
	2018-19	-	7.75%	7.75%	7.75%
भविष्य में वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	2019-20	7.00%	7.00%	7.00%	लागू नहीं
	2018-19	-	7.00%	7.00%	लागू नहीं
सेवानिवृत्ति की आयु	2019-20	60	60	60	60
	2018-19	-	60	60	60
प्रति कर्मचारी लागत (₹ में)	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14,110
	2018-19		लागू नहीं	लागू नहीं	14,604
		निकासी की दर	**निकासी की दर**	**निकासी की दर**	**निकासी की दर**
आयु	2019-20		3.00%	3.00%	3.00%
30 वर्ष तक	2018-19	1% से 3%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष	2019-20	आयु के आधार पर	2.00%	2.00%	2.00%
	2018-19		2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	2019-20		1.00%	1.00%	1.00%
	2018-19		1.00%	1.00%	1.00%
अवकाश					
छुट्टी लेने की दर	2019-20	लागू नहीं	2.50%	2.50%	लागू नहीं
	2018-19	-	2.50%	2.50%	लागू नहीं
सेवा में रहते हुए छुट्टियाँ लैप्स होने की दर	2019-20	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	2018-19	-	शून्य	शून्य	लागू नहीं
सेवा से बाहर होने पर छुट्टियाँ लैप्स होने की दर	2019-20	लागू नहीं	शून्य	60.00%	लागू नहीं
	2018-19	-	शून्य	60.00%	लागू नहीं
सेवा में रहते हुए अवकाश नकदीकरण की दर	2019-20	लागू नहीं	25.00%	शून्य	लागू नहीं
	2018-19	-	5.00%	शून्य	लागू नहीं
अशक्तता के प्रावधान के साथ मृत्यु दर:	2019-20	आईएएलएम का 100% (2006-08)	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
	2018-19	-	आईएएलएम का 100% (2006-08)	आईएएलएम का 100% (2006-08)	आईएएलएम का 100% (2006-08)

योजना के प्रावधानों से संबंधित जोखिम

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होते हैं जो परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं और समय के अनुसार इनमें भिन्नता होती है। इस प्रकार कंपनी के समक्ष निम्नानुसार विभिन्न जोखिम होते हैं।

वेतन वृद्धि	वेतन में वास्तविक वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन में वृद्धि और भविष्य के मूल्यांकन में वृद्धि दर के अनुमान से देयता भी बढ़ेगी।
निवेश जोखिम	यदि योजना का वित्तपोषण किया जाता है तो परिसंपत्तियों और देयताओं में मिलान नहीं होगा और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल मूल्यांकन की अंतिम तारीख पर अनुमानित छूट दर से कम होगा जो देयता को प्रभावित कर सकता है।
छूट की दर	बाद के मूल्यांकनों में छूट की दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।
मृत्यु और अशक्तता	मृत्यु तथा अशक्तता के वास्तविक मामले, मूल्यांकन में अनुमानित मामलों से कम या अधिक होने पर देयताएँ प्रभावित हो सकती हैं।
निकासी	वास्तविक निकासी, अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने पर और बाद के मूल्यांकनों में निकासी की दरों में परिवर्तन से योजना की देयता प्रभावित हो सकती है।

छ) मार्च 2020 के वर्ष के लिए निर्धारित लाभ देयता का परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
निर्धारित लाभ देयता की अवधि अवधि (वर्ष)					
1	2020-21	211.99	128.42	17.05	1.06
2	2021-22	76.94	31.09	43.87	0.56
3	2022-23	84.06	27.94	47.65	0.46
4	2023-24	38.04	24.84	24.06	0.38
5	2024-25	18.25	20.99	31.81	-
5 से अधिक	2025-26 से आगे	475.35	434.77	200.21	-
कुल		**904.62**	**668.04**	**364.66**	**2.46**

ज) सदस्यता आंकड़ों का सार:

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
कर्मचारियों की संख्या	2019-20	189	188	188	184
	2018-19	-	176	176	176
कुल मासिक वेतन (₹ लाख में)	2019-20	132.68	131.29	131.29	लागू नहीं
	2018-19	-	117.23	117.23	लागू नहीं
औसत पूर्व सेवा (वर्ष)	2019-20	10.44	10.43	10.43	10.37
	2018-19	-	10.62	10.62	10.62
औसत आयु (वर्ष)	2019-20	39.16	39.11	39.11	38.86
	2018-19	-	39.68	39.68	39.68
औसत शेष कार्य जीवन (वर्ष)	2019-20	19.38	20.89	20.89	21.14
	2018-19	-	20.32	20.32	20.32

झ) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	2019-20	100%	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-

ञ) संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है:

छूट की दर में परिवर्तन का प्रभाव (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2019-20	(28.77)	(30.92)	(14.51)	(0.11)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2019-20	30.94	33.88	15.67	0.12

वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव (₹ लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	यात्रा भत्ता
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2019-20	19.61	33.68	(14.51)	लागू नहीं
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2019-20	(20.20)	(31.04)	15.67	लागू नहीं

*यदि सभी अन्य अनुमान समान रहते हैं तो मृत्यु दर और निकासी दर में 0.5% की वृद्धि/कमी के कारण निर्धारित लाभ देयता में परिवर्तन नगण्य होता है।

महंगाई दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की दर में वृद्धि और जीवन की अपेक्षा के संबंध में संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

नोट – 39

संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन्स

नियंत्रक कंपनी

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

1. **श्री पवन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष** (अपर निदेशक)
   (7 अक्तूबर, 2019 से अब तक)
2. **श्री शिवदास मीणा,** अध्यक्ष
   (05 अप्रैल, 2019 से 7 अक्तूबर, 2019 तक)
3. **श्री अनूप कुमार मित्तल,** अध्यक्ष
   (01 फरवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक)
4. **श्री ज्ञानेश पाण्डेय** (प्रबंध निदेशक)
5. **श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक** (इंजीनियरिंग)
   (15 जनवरी, 2020 से)
6. **श्री एस.के. जैन,** निदेशक (इंजीनियरिंग)
   (16 अप्रैल, 2018 तक)
7. **श्रीमती डी. थारा,** सरकार द्वारा नामित निदेशक
   (01 जनवरी, 2020 से)

8. **श्रीमती नंदिता गुप्ता**, सरकार द्वारा नामित निदेशक
(1 फरवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक)

9. **श्रीमती प्रीति पंत**, सरकार द्वारा नामित निदेशक
(23 अप्रैल, 2018 से 01 फरवरी, 2019 तक)

10. **श्रीमती विजया श्रीवास्तव**, सरकार द्वारा नामित निदेशक
(01 फरवरी, 2019 तक)

11. **श्री नवदीप रिणवा**, सरकार द्वारा नामित निदेशक
(23 अप्रैल, 2018 तक)

12. **श्रीमती विनोद पंथी**, स्वतंत्र निदेशक
(1 अगस्त, 2019 से अब तक)

13. **श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला**, स्वतंत्र निदेशक
(27 अप्रैल, 2020 से)

14. **श्री महेश चंद बंसल**, मुख्य वित्तीय अधिकारी
(07 अगस्त, 2019 से अब तक)

15. **श्री चंद्र शेखर गुप्ता**, मुख्य वित्तीय अधिकारी
(25 मई, 2019 से 06 अगस्त, 2019 तक)

16. **श्री सौरभ श्रीवास्तव**, मुख्य वित्तीय अधिकारी
(8 फरवरी, 2019 से 8 मई, 2019 तक)

17. **श्रीमती सोनिया सिंह**, कंपनी सचिव
(18 नवंबर, 2019 से अब तक)

(₹ लाख में)

ट्रांजेक्शन्स की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	नियंत्रक कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	नियंत्रक कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
बकाया शेष				
प्राप्य / (देय) राशि	(41.63)	-	11.58	-
प्रीपेड व्यय	221.25	-	276.56	-

(₹ लाख में)

ट्रांजेक्शन्स की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	नियंत्रक कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	नियंत्रक कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
भवन रखरखाव शुल्क	55.31	-	-	-
सेकंडमेंट शुल्क	80.43	-	18.82	-
स्थायी संपत्तियों की खरीद	-	-	6,834.99	-
प्रदत्त लाभांश	5,489.22	-	1,124.01	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	122.15	-	64.97
व्यय की प्रतिपूर्ति	35.50	-		
स्वतंत्र निदेशक को सिटिंग शुल्क	-	0.15	-	-

ऊपर उल्लिखित प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
		लघु अवधि कर्मचारी लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात के लाभ	दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	कुल
1.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय, प्रबंध निदेशक	66.98	6.71	6.91	80.60
2.	श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग)	7.23	1.05	1.28	9.56
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	2.69	0.53	0.35	3.57
4.	श्री चंद्र शेखर गुप्ता, मुख्य वित्तीय अधिकारी	4.73	-	-	4.73
5.	श्री महेश चंद बंसल, मुख्य वित्तीय अधिकारी	20.18	-	-	20.18
6.	श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	2.75	0.44	0.33	3.52
	कुल	**104.56**	**8.72**	**8.87**	**122.15**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			
		लघु अवधि कर्मचारी लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात के लाभ	दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	कुल
1.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय, प्रबंध निदेशक	47.86	6.07	3.75	57.68
2.	श्री एस.के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	1.64	0.24	0.56	2.44
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	4.11	0.64	0.10	4.85
	कुल	**53.61**	**6.95**	**4.41**	**64.97**

नोट – 40

भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 108 सेगमेंट के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार कंपनी के प्रमुख निर्णयकर्ता होने के नाते निदेशक मंडल ने परियोजना प्रबंधन सेवा को अपना एकमात्र व्यवसाय सेगमेंट निर्धारित किया है।

चूंकि कंपनी का व्यवसाय परियोजना प्रबंधन सेवाओं से है और कोई अन्य चिह्नित किए जाने योग्य एवं रिपोर्ट किए जाने योग्य सेगमेंट नहीं हैं। इस प्रकार सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट परिणाम, सेगमेंट परिसंपत्तियों की कुल रखाव राशि, सेगमेंट देयताओं की कुल रखाव राशि, सेगमेंट परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति में व्यय की गई कुल लागत, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास के लिए प्रभार की कुल राशि वित्तीय विवरण में दर्शाए गए अनुसार है।

भौगोलिक सेगमेंट

कंपनी के प्रचालन देश के अंदर प्रचालित किए जाते हैं और इसलिए भौगोलिक सेगमेंट प्रकट नहीं किए गए हैं।

ग्राहकों के अनुसार राजस्व (राजस्व के 10% से अधिक) :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान लगभग 54.50% का राजस्व परियोजना प्रबंधन परामर्श सेगमेंट में एकल बाह्य ग्राहक से प्राप्त हुआ है (पिछले वर्ष में: 69.24%)।

नोट–41

कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी से संबंधित प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक सीएसआर आवंटन	**129.25**	**134.16**
वास्तव में व्यय की गई राशि	129.25	134.16
I. किन्हीं परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
II. ऊपर (i) के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से		
कोविड–19 के पीएम केयर्स (प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत) निधि में दान।	129.25	-
स्वच्छ कुंभ कोष, प्रयागराज मेला प्राधिकरण में दान	-	84.16
एम्स में गौचर बीमारी के उपचार के लिए दान (एम्स मरीज उपचार खाता)	-	50.00
कुल	**129.25**	**134.16**

नोट–42

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

उचित मूल्य प्रकटीकरण

(i) उचित मूल्य अनुक्रम

बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर आँकी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य अनुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। ये तीन स्तर मापन के उल्लेखनीय इनपुट्स की प्रेक्षण के लिए योग्यता के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई कीमतें (असमायोजित)।
- स्तर 2: जिन वित्तीय साधनों का सक्रिय बाजार में उचित मूल्य पर व्यापार नहीं किया जाता उनका निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है जो प्रेक्षण योग्य बाजार आंकड़ों का अधिकतम प्रयोग करती हैं और इकाई विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर करती हैं।
- स्तर 3: यदि एक या अधिक उल्लेखनीय इनपुट प्रेक्षण योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है.

(ii) उचित मूल्य पर आँकी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य मापन

कंपनी के पास ऐसे कोई वित्तीय साधन नहीं हैं जिनका मापन लाभ एवं हानि के विवरण के माध्यम से या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता हो।

(iii) ऋणमुक्त लागत पर आकलित साधनों का उचित मूल्य

ऋणमुक्त लागत पर आकलित साधनों का उचित मूल्य जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है वह निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
		ऋणमुक्त लागत	उचित मूल्य	ऋणमुक्त लागत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
व्यापार प्राप्तियाँ	**नोट –9**	8,120.94	8,120.94	8,534.19	8,534.19
नकद और नकद	**नोट –10**	8,057.49	8,057.49	19,663.88	19,663.88
समतुल्य	**नोट –11**	276,497.92	276,497.92	258,419.63	258,419.63
अन्य बैंक बैलेंस					
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ;					
मौजूदा	**नोट –12**	14,298.72	14,298.72	24,923.94	24,923.94
गैर–मौजूदा	**नोट –6**	42.70	42.70	32.73	32.73
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**307,017.77**	**307,017.77**	**311,574.38**	**311,574.38**

(₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		एफवीटीपीएल	ऋणमुक्त लागत	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	ऋणमुक्त लागत	उचित मूल्य
वित्तीय देयताएँ							
व्यापार देय	**नोट –18**	-	73,595.68	73,595.68	-	68,779.69	68,779.69
अन्य वित्तीय देयताएँ	**नोट –19**	-	36,262.83	36,262.83	-	43,570.74	43,570.74
लीज देयताएँ;	**टिप्पणी –16**						
मौजूदा		-	1.26	1.26	-	-	-
गैर–मौजूदा		-	6.28	6.28	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएँ		**-**	**109,866.05**	**109,866.05**	**-**	**112,350.42**	**112,350.42**

प्रबंधन ने आकलन किया कि नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्तियाँ, अन्य प्राप्तियाँ, व्यापार देय और अन्य मौजूदा वित्तीय देयताएँ प्रमुख रूप से इन साधनों की अल्पावधि परिपक्वताओं के कारण अपनी रखाव राशि पर हैं।

नोट–43

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलाप इसे क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम में डालते हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढाँचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र ज़िम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। इस टिप्पणी में उस जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिस जोखिम में इकाई है और कैसे इकाई जोखिम का प्रबंधन करती है और वित्तीय विवरणों पर इसका क्या प्रभाव होता है।

(क) क्रेडिट जोखिम

कोई कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्तियों) से और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य वित्तीय साधनों में जमा राशि सहित निवेश क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम में होती है।

संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों

(i) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी अनुमानों, जानकारियों और वित्तीय परिसंपत्तियों की श्रेणी विशेष से संबंधित घटकों के आधार पर निर्धारित निम्नलिखित श्रेणियों पर आधारित वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क: वित्तीय रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि का प्रावधान करती है:

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान
निम्न क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक बैलेंस और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12 माह की अनुमानित क्रेडिट हानि
मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्तियाँ	जीवनपर्यंत अनुमानित क्रेडिट हानि
उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्तियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	जीवनपर्यंत अनुमानित क्रेडिट हानि या पूर्ण प्रावधान किया गया

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में कंपनी जीवनपर्यंत अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान को मान्यता देती है।

जिस व्यवसाय वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर जब कोई काउंटर पार्टी करार के अनुसार सहमत या मामला दर मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्धारित समयावधि के अंदर भुगतान करने में विफल रहती है तो वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट माना जाता है। डिफॉल्ट दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक क्रेडिट हानि अनुभव पर आधारित होती हैं और इनमें वर्तमान एवं पूर्व आर्थिक स्थितियों के बीच अंतरों को ध्यान में रखा जाता है।

जब रिकवरी की कोई तर्कसंगत अपेक्षा नहीं होती है तब परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जैसे किसी कर्जदार द्वारा स्वयं को दिवालिया घोषित करना या किसी वाद में कंपनी के विरुद्ध निर्णय आना। कंपनी उन पक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहती है जिनके बैलेंस बट्टे खाते में डाले जाते हैं और उनसे भुगतान करवाने के प्रयास करती है। की गई रिकवरी को लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

(₹ लाख में)

क्रेडिट रेटिंग	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क: निम्न क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, अन्य बैंक बैलेंस और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	298,896.83	303,040.19
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्तियाँ	9,633.76	9,460.44
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्तियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	524.85	541.56

अधिकतर व्यापार प्राप्तियों के स्रोत

व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी का अधिकतर क्रेडिट जोखिम विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों से है।

क्रेडिट जोखिम का स्तर

अनुमानित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की और जीवन भर की अनुमानित क्रेडिट हानि के आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि का प्रावधान किया जाता है –

क: निम्न क्रेडिट जोखिम

31 मार्च, 2020 को (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	रखाव राशि	क्षति	क्षति के प्रावधान के निवल के रूप में रखाव राशि
नकद और नकद समतुल्य	**नोट –10**	8,057.49	-	8,057.49
अन्य बैंक बैलेंस	**नोट –11**	276,497.92	-	276,497.92
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**नोट –6,12**	14,341.42	-	14,341.42

31 मार्च, 2019 को (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	रखाव राशि	क्षति	क्षति के प्रावधान के निवल के रूप में रखाव राशि
नकद और नकद समतुल्य	**नोट –10**	19,663.88	-	19,663.88
अन्य बैंक बैलेंस	**नोट –11**	258,419.63	-	258,419.63
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**नोट –6,12**	24,956.67	-	24,956.67

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

31 मार्च, 2020 को (₹ लाख में)

पुराना होना	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक	कुल
सकल रखाव राशि	**नोट–9**	4,824.50	2,126.73	1,597.45	1,085.07	9,633.75
अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि की अनुमति देने का प्रावधान)		-	305.90	437.47	769.45	1,512.82
व्यापार प्राप्तियों की रखाव राशि (क्षति का निवल)		**4,824.50**	**1,820.82**	**1,159.98**	**315.62**	**8,120.93**

31 मार्च, 2019 को (₹ लाख में)

पुराना होना	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक	कुल
सकल रखाव राशि	**नोट–9**	6,018.58	2,115.00	933.74	393.12	9,460.44
अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि की अनुमति देने का प्रावधान)		-	390.05	313.91	222.28	926.25
व्यापार प्राप्तियों की रखाव राशि (क्षति का निवल)		**6,018.58**	**1,724.95**	**619.83**	**170.83**	**8,534.19**

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

31 मार्च, 2020 को (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	रखाव राशि	क्षति	क्षति के प्रावधान के निवल के रूप में रखाव राशि
व्यापार प्राप्तियाँ	नोट –9	496.62	496.62	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	नोट –6,12	28.23	28.23	-

31 मार्च, 2019 को (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	रखाव राशि	क्षति	क्षति के प्रावधान के निवल के रूप में रखाव राशि
व्यापार प्राप्तियाँ	**नोट –9**	513.33	513.33	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**नोट –6,12**	28.23	28.23	-

हानि के प्रावधान – व्यापार प्राप्तियों का मिलान (उच्च एवं मध्यम जोखिम) (₹ लाख में)

हानि की अनुमति का मिलान	हानि की अनुमति
31 मार्च, 2018 को हानि की अनुमति	**2,729.48**
स्वीकृत क्षति हानि	-
वापसी	(1,289.90)
31 मार्च, 2019 को हानि की अनुमति	**1,439.58**
स्वीकृत क्षति हानि	569.87
वापसी	-
31 मार्च, 2020 को हानि की अनुमति	**2,009.44**

(ख) तरलता जोखिम

कंपनी के तरलता के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं जिनका सृजन प्रचालनों से होने वाले नकद प्रवाह से किया जाता है। कंपनी पर बैंक से कोई उधार बकाया नहीं है। कंपनी का मानना है कि प्रचालनों से नकद प्रवाह इसकी वर्तमान तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर संबंधित परिपक्वता समूह में उनका विश्लेषण किया गया है। इस तालिका में दर्शाई गई राशि संविदात्मक और बिना छूट वाले नकद प्रवाह हैं। 12 माह के अंदर देय बैलेंस उनके रखाव बैलेंस के बराबर हैं क्योंकि छूट का प्रभाव बहुत कम है। (₹ लाख में)

31 मार्च, 2020 को	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
लीज देयताएँ*	**टिप्पणी –16**	1.26	6.28	7.54
व्यापार देय	**नोट –18**	73,595.68	-	73,595.68
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	**नोट –19**	20,336.96	-	20,336.96
नियंत्रक कंपनी को देय राशि	**नोट –19**	41.63	-	41.63
बुक ओवरड्राफ्ट	**नोट –19**	8,744.03	-	8,744.03
अन्य देय राशि	**नोट –19**	7,140.21	-	7,140.21
कुल		**109,859.77**	**6.28**	**109,866.05**

* लीज देयता के विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल के लिए नोट 46 देखें

31 मार्च, 2019 को	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय	नोट –18	68,779.69	-	68,779.69
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	नोट –19	17,728.11	-	17,728.11
देय लाभांश	नोट –19	1,124.01	-	1,124.01
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट –19	5,971.70	-	5,971.70
अन्य देय राशि	नोट –19	18,746.91	-	18,746.91
कुल		**112,350.42**	**-**	**112,350.42**

विदेशी मुद्रा जोखिम

असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

रिपोर्टिंग की तारीख को असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा
अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन	666.42	USD 884,721	747.51	USD 1,076,376

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है कि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवतन होने पर किसी निवेश के उचित मूल्य और भविष्य में नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव आएंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के संबंध में कंपनी का जोखिम प्रमुख रूप से कंपनी के प्रचालन क्रियाकलापों से संबंधित है (जब राजस्व या व्यय को किसी विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है)। विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण लाभ या हानि में बदलाव प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा में दर्शाए जाने वाले वित्तीय साधनों से होता है।

अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
भारतीय रुपया/यूएस डॉलर – वृद्धि : (31 मार्च 2020 5%) (31 मार्च 2019 5%)	33.32	37.38
भारतीय रुपया/यूएस डॉलर – गिरावट: (31 मार्च 2020 5%) (31 मार्च 2019 5%)	(33.32)	(37.38)

*सभी अन्य चरों को समान रखते हुए

(ग) बाजार जोखिम

कंपनी के समक्ष कोई बाजार जोखिम नहीं है।

नोट–44

पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते हुए कंपनी के उद्देश्य होते हैं:

– उनकी लाभकारी कारोबार के रूप में जारी रखने की क्षमता को सुरक्षित करना, ताकि वे शेयरधारकों को प्रतिफल प्रदान करना और अन्य दावाधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और

– पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पूंजी संरचना को बनाए रखना।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए समूह शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश की राशि में समायोजन कर सकता है, पूंजी शेयरधारकों को वापस लौटा सकता है, ऋण को कम करने के लिए नए शेयर जारी कर सकता है या संपत्तियों को बेच सकता है (निवल ऋण उधार में से नकद और नकद समकक्ष को घटाने से प्राप्त राशि के समान होता है)। उद्योग में अन्य इकाइयों के अनुरूप कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
इक्विटी शेयर पूंजी	180.01	180.01
अन्य इक्विटी	10,798.07	13,690.19
कुल इक्विटी	**10,978.08**	**13,870.20**

संबंधित वर्षों की समाप्ति पर कंपनी पर कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार कंपनी का 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को शून्य पूंजी गियरिंग अनुपात है।

नोट–45

भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व को चिह्नित करने पर टिप्पणी

1. राजस्व का पृथक्कीकरण

चिह्नित किए गए राजस्व में प्रमुख रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श के माध्यम से सेवा की बिक्री शामिल होती है। नीचे ग्राहकों के साथ करारों से कंपनी के राजस्व का पृथक्कीकरण दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) सेवा की बिक्री		
(क) परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा	212,509.19	204,946.25
(ख) अन्य सहायक राजस्व		
(क) निविदा दस्तावेजों की बिक्री	31.86	26.58
कुल राजस्व	**212,541.05**	**204,972.84**

*कंपनी एकल सेगमेंट में प्रचालन करती है अर्थात सेवा की बिक्री – परियोजना प्रबंधन परामर्श

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकृति, राशि और समय के आधार पर ग्राहकों के साथ करारों से पृथक्कीकृत राजस्व का विवरण प्रस्तुत किया गया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकृति के अनुसार सेवाओं के प्रकार	करार के प्रकार के अनुसार सेवाओं के प्रकार	समय के अनुसार सेवाओं के प्रकार	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परियोजना प्रबंधन परामर्श	लागत और करार	निश्चित समयावधि में	212,509.19	204,946.25
				212,509.19	**204,946.25**

2. करारों और ग्राहकों से संबंधित परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

निम्नलिखित तालिका में ग्राहकों के साथ करार से प्राप्तियों, करार परिसंपत्तियों और करार देयताओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	मौजूदा	मौजूदा
सेवा की बिक्री से संबंधित करार बाध्यताएँ		
ग्राहकों से अग्रिम	207,746.19	203,525.04
अग्रिम प्राप्त राजस्व	7,117.88	8,116.78
	214,864.07	**211,641.82**
सेवा की बिक्री से संबंधित करार परिसंपत्तियाँ		
व्यापार प्राप्तियाँ	10,130.38	9,973.77
घटाएँ: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए अनुमति	(2,009.44)	(1,439.58)
निवल प्राप्तियाँ	8,120.94	8,534.19
बिल नहीं किया गया राजस्व	9,415.82	17,471.05
	17,536.76	**26,005.25**

कोई प्राप्ति प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार होती है जो समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होती। करारों से राजस्व को प्रदर्शन की बाध्यता को संतोषजनक तरीके से पूरा करने पर ही शामिल किया जाता है।

क्लाइंट्स को इनवॉयस करार में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर ही दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व का समय ग्राहकों को बिल जारी करने के समय से अलग होगा। बिल से अधिक राजस्व को बिल नहीं किए गए राजस्व के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और इसे एक करार संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्व में करार संपत्ति के रूप में किसी राशि को संलग्न शर्त अर्थात बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भविष्य की सेवा को पूरा करने पर व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

इनवॉयस में दर्शाई गई स्वीकृत राजस्व से अधिक राशि को अग्रिम प्राप्त राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्व में अग्रिम प्राप्त राजस्व के रूप में स्वीकृत किसी राशि को निर्माण अवधि के दौरान प्रदर्शन की बाध्यता को पूरा करने पर राजस्व के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

3. करार की बाध्यताओं के संबंध में स्वीकृत राजस्व

निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है कि वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकृत राजस्व में से कितना पूर्व की आगे ले जाई गई करार बाध्यताओं से संबंधित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व स्वीकृत किया गया जिसे वर्ष के आरंभ में करार की देयताओं में शामिल किया गया था	96,213.91	182,202.02
पिछले वर्षों में कार्य निष्पादन बाध्यताएँ पूरी की गई	-	-
कुल	**96,213.91**	**182,202.02**

4. करार की परिसंपत्तियों और देयताओं में उल्लेखनीय परिवर्तन

(₹ लाख में)

करार देयताएँ – ग्राहकों से अग्रिम	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
करार देयताओं का प्रारंभिक शेष – ग्राहकों से अग्रिम	203,525.04	179,166.30
घटाएँ: प्रारंभिक करार देयताओं के विरुद्ध स्वीकृत राजस्व की राशि	(93,498.87)	(194,858.94)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए करार देयताओं के बैलेंस में निवल वृद्धि	97,720.02	219,217.68
करार देयताओं का समापन शेष – ग्राहकों से अग्रिम	207,746.19	203,525.04

करार देयताएँ – अग्रिम प्राप्त राजस्व	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
करार देयताओं का प्रारंभिक शेष – अग्रिम प्राप्त राजस्व	8,116.78	10,515.75
घटाएँ: प्रारंभिक करार देयताओं के विरुद्ध स्वीकृत राजस्व की राशि	(2,715.04)	(3,035.72)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए करार देयताओं के बैलेंस में निवल वृद्धि	1,716.14	636.75
करार देयताओं का समापन शेष – अग्रिम प्राप्त राजस्व	**7,117.88**	**8,116.78**

करार परिसंपत्तियाँ – बिल नहीं किया गया राजस्व	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
करार देयताओं का प्रारंभिक शेष – बिल नहीं किया गया राजस्व	17,471.05	35,355.42
घटाएँ: प्रारंभिक करार देयताओं के विरुद्ध स्वीकृत राजस्व की राशि	(11,910.81)	(35,355.42)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए करार देयताओं के बैलेंस में निवल वृद्धि	3,855.58	17,471.05
करार देयताओं का समापन शेष – बिल नहीं किया गया राजस्व	**9,415.82**	**17,471.05**

5. शेष कार्य निष्पादन बाध्यता

भारतीय लेखा मानक 115 में दिए गए अनुसार व्यावहारिक उपाय अपनाते हुए कंपनी ने करारों के लिए शेष कार्य निष्पादन बाध्यता संबंधी प्रकटीकरण प्रकट नहीं किए हैं क्योंकि स्वीकृत राजस्व अब तक इकाई द्वारा पूरे किए गए कार्य निष्पादन से ग्राहक को प्राप्त मूल्य के अनुरूप होता है। शेष कार्य निष्पादन बाध्यताओं के अनुमान परिवर्तित हो सकते हैं और ये विभिन्न घटकों से प्रभावित होते हैं जैसे करारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, आवधिक पुनःवैधीकरण, करार समाप्ति और उस राजस्व के लिए समायोजन जो वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट–46

भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत लीज पर टिप्पणी

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों की प्रकृति

क. लीजहोल्ड भूमि में 90 वर्ष के लिए 1996 से लीज डीड शुरू करते हुए 57.49 लाख रुपये मूल्य के और 2006 से लीज डीड शुरू करते हुए 389.16 लाख रुपये के मूल्य के एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को आवंटित सेक्टर–1, नोएडा स्थित क्रमशः प्लॉट संख्या ई–6ए, ई–13 और ई–14 शामिल हैं।

ख. कंपनी कार्यालय स्थल लीज पर लेती है जिनका प्रयोग कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। लीज की अवधि 3 वर्ष की है जिसे लीजदाता और लीजधारी की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आधारभूत परिसंपत्ति की श्रेणी द्वारा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क	6.41
लीज देयताओं पर ब्याज	0.70
लघु अवधि लीज से संबंधित व्यय*	24.37
कुल व्यय	**31.48**

*लघु अवधि की लीज के व्यय में 12 माह से कम या बराबर की अवधि के लिए विभिन्न स्थल कार्यालयों की लीज शामिल है। ये लीज व्यवस्थाएँ, जो निरस्त की जा सकती हैं, सामान्यतः आपसी सहमति से नवीकरण योग्य होती हैं।

लीज के लिए कुल नकद व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इन देयताओं के विरुद्ध नकद व्यय	1.86
लघु–अवधि लीज के लिए नकद व्यय	24.37
कुल नकद व्यय	**26.23**

लीज देयता में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
31 मार्च, 2019 को शेष	8.71
जोड़े गए	-
ब्याज में वृद्धि	0.70
हटाए गए	-
लीज देयता का भुगतान	(1.86)
31 मार्च, 2020 को शेष	***7.55***
गैर–मौजूदा	6.28
मौजूदा	1.26
31 मार्च, 2020 को शेष	***7.55***

लीज देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ

विवरण	31 मार्च, 2020 को
1 वर्ष के अंदर	1.26
1–3 वर्ष	2.87
3 वर्ष से अधिक	3.41
31 मार्च, 2020 को शेष	7.55

कंपनी को अपनी लीज देयताओं के संबंध में कोई उल्लेखनीय तरलता जोखिम नहीं है क्योंकि वर्तमान संपत्तियाँ लीज देयताएँ देय होने पर उनसे संबंधित देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

विस्तार का विकल्प

जैसा कि कार्यालय परिसरों की संपत्तियों के उपयोग के अधिकार की प्रकृति में उल्लिखित है, लीज की अवधि 3 वर्ष है और इसके साथ लीजदाता और लीजधारी की आपसी सहमति से इसे बढ़ाने का विकल्प है। कंपनी का आकलन है कि यह ऐसे परिसरों का प्रयोग वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति (अर्थात 31 मार्च, 2020) से पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी क्योंकि कार्यालय परिसरों का प्रयोग कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। इसलिए विस्तार विकल्प की एक तर्कसंगत निश्चितता है जिसे लीज देयता में शामिल किया गया है जिसका नकद खर्च 4.81 लाख रुपये है। इस विस्तार विकल्प का आगे भी प्रयोग किया गया है जिसका नकद खर्च लीज समझौते की वर्तमान दर के अनुसार 1.86 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा।

परिवर्तन काल संबंधी प्रावधान

इस टिप्पणी में लीज के संबंध में भारतीय लेखा मानक 16 को अपनाने के कंपनी के वित्तीय विवरण पर प्रभाव को स्पष्ट किया गया है: कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 को भारतीय लेखा मानक 116, लीज को अपनाया है, और इसे 1 अप्रैल, 2019 को लंबित सभी करारों पर लागू किया है। यह परिवर्तन संशोधित पूर्वप्रभावी परिवर्तन पद्धति का प्रयोग करके किया गया। तदनुसार तुलनात्मक घटक पुनः नहीं बताए गए हैं।

उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्तियों का मापन और लीज देयता

भारतीय लेखा मानक 116 अपनाने के बाद कंपनी उस लीज के संबंध में लीज देयताएँ स्वीकृत की हैं जिन्हें पूर्व में भारतीय लेखा मानक 17 लीज के सिद्धांतों के तहत 'प्रचालन लीज' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन देयताओं का मापन शेष

लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया गया था, और इन्हें 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार लीजधारी की वृद्धिशील उधार दर का प्रयोग करके रियायत प्रदान की गई। 1 अप्रैल, 2019 को लीज देयताओं पर लागू लीजधारी की वृद्धिशील उधार दर 8.55% थी। कंपनी ने प्रारंभिक तौर पर इसे लागू करने के बाद 8.71 लाख रुपये की लीज देयता स्वीकृत की है।

कंपनी ने जिन लीज को पूर्व में भारतीय लेखा मानक 17 लीज के सिद्धांतों के तहत 'प्रचालन लीज' के रूप में वर्गीकृत किया था उन लीज के संबंध में प्रारंभिक आवेदन की तारीख को स्वीकृत लीज देयता के समान उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्ति स्वीकृत की है। इस प्रकार कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख को 8.71 लाख रुपये की उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्ति स्वीकृत की है।

जिन लीज को पूर्व में वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था उनके लिए इकाई ने लीज संपत्ति की रखाव राशि और परिवर्तन से ठीक पहले लीज देयता को प्रारंभिक आवेदन की तारीख को उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्ति की रखाव राशि और लीज देयता के रूप में स्वीकृत किया। भारतीय लेखा मानक 116 "लीज" को अपनाने के बाद कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख को बिना किसी संगत लीज देयता के संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के रूप में प्रस्तुत उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्तियों के रखाव मूल्य 373.55 लाख रुपये स्वीकृत किया है क्योंकि उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्ति में आवेदन की प्रारंभिक तारीख से पहले पूर्व भुगतान करना होता है।

कंपनी उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्ति को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों" में प्रस्तुत करती है और लीज देयता को "अन्य वित्तीय देयताओं" के तहत प्रस्तुत करती है।

लीज देयताओं के मापन का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को
31 मार्च, 2019 को भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार लीज प्रतिबद्धताएँ (भवन का भविष्य में लीज किराया)	35.53
घटाएँ: देयता के रूप में स्वीकृत नहीं की गई अल्पकालीन लीज	(24.37)
घटाएँ: कुल ब्याज व्यय	(2.45)
1 अप्रैल, 2019 को लीज देयता	**8.71**
जिनमें से:	
गैर–मौजूदा	7.55
मौजूदा	1.16
1 अप्रैल, 2019 को लीज देयता	**8.71**

निम्नलिखित प्रारंभिक आवेदन पर चयनित व्यावहारिक उपायों का सार है:

1. प्रारंभिक आवेदन की तारीख को 12 माह से कम की लीज अवधि के साथ लीज के लिए उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्तियों और देयताओं को स्वीकृत नहीं करने के लिए छूट लागू की गई।
2. प्रारंभिक आवेदन की तारीख को उपयोग के अधिकार संबंधी संपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा गया।
3. जिन आकलनों के ट्रांजेक्शन्स लीज से संबंधित हैं उन्हें शामिल करने के लिए व्यावहारिक उपाय लागू किए गए। तदनुसार भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन करारों पर लागू किया गया जिन्हें पूर्व में भारतीय लेखा मानक 17 के तहत लीज के रूप में स्वीकृत किया गया था।

नोट–47

ग्रेच्युटी व्यय में त्रुटि सुधार

कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्टों की गलत व्याख्या के कारण ग्रेच्युटी व्यय की बुकिंग में त्रुटि पाई है। निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन से लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय के बजाय लाभ या हानि के विवरण में बुक किया गया। पूरी सूचना उपलब्ध न होने के कारण बीमांकिक लाभ/हानि के संबंध में किसी त्रुटि की संचयी राशि का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए कंपनी ने भविष्यलक्षी प्रभाव से त्रुटि में सुधार किया है और इसके परिणामस्वरूप तुलनात्मक सूचना का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है।

कंपनी ने अग्रिम भुगतान की गई ग्रेच्युटी की वर्तमान सेवा लागत को भी पूर्व–भुगतान किए गए व्यय के बजाय कर्मचारी लाभ व्यय में अग्रिम में बुक किया था जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय का अधिक उल्लेख हुआ। वास्तविकता की संकल्पना के संदर्भ में कंपनी ने भविष्यलक्षी प्रभाव से त्रुटि में सुधार किया है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में कर्मचारी लाभ व्यय के तहत "ग्रेच्युटी निधि अंशदान" के चालू वर्ष के व्यय को कम करके बुक किया है।

नोट–48

I. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, नोएडा में कंपनी के खाते में ट्रांजेक्शन्स की जाँच के दौरान 2926 लाख रुपये के बड़े ट्रांजेक्शन्स देखे गए जिन्हें "संदिग्ध विश्वसनीयता वाले ट्रांजेक्शन्स" कहा जा सकता है। 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार आरक्षित निधि में से 2926 लाख रुपये का प्रावधान किया गया क्योंकि ट्रांजेक्शन्स वित्तीय वर्ष 2016–17 से पहले की अवधि के हैं।

ट्रांजेक्शन्स का विवरण निम्नानुसार है :

(i) वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में फर्जी ट्रांसफर दिखाते हुए 301 लाख रुपये (242 लाख रुपये और 59 लाख रुपये) की राशि पाई गई। तथापि यह धोखाधड़ी क्रमशः वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 में हुई थी।

(ii) अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत 'ब्याज प्राप्तियों' में 352.00 लाख रुपये की राशि शामिल की गई थी, जबकि यह अक्तूबर 2014 में प्राप्त की गई थी।

(iii) कंपनी द्वारा 2013–14 के दौरान अपने क्लाइंट की ओर से बिक्री कर के रूप में जमा की गई 11.00 लाख रुपये की राशि को क्लाइंट से रिकवर किए जाने योग्य राशि में शामिल किया गया था।

(iv) अप्रैल, 2014 में 197.00 लाख रुपये की एक सावधि जमा खोली गई थी और जुलाई, 2014 में इसका नकदीकरण करवाया गया, और इस पर 6.00 लाख रुपये का ब्याज अर्जित किया गया। यह पाया गया कि कंपनी के बैंक लेजर में 197.00 लाख रुपये एक ही नकदीकरण के सामने दो बार डेबिट किया गया (प्राप्त किया गया)।

(v) 12 अप्रैल, 2014 को एक क्लाइंट द्वारा बैंक खाते में 783.00 लाख रुपये की राशि क्रेडिट की गई थी और इसे कंपनी के खातों में क्लाइंट्स से जमा के शीर्ष में दर्शाया गया था। इसके बाद वर्ष 2014–15 के दौरान सुधारों तथा वापसी दर्शाते हुए क्लाइंट लेजर में इस राशि की एकाधिक डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियाँ की गईं। क्लाइंट लेजर, जो देयता प्रकृति का है, में 31 मार्च, 2018 को कंपनी की लेखा बही में 712.00 लाख रुपये का डेबिट बैलेंस दिखाया गया।

(vi) अगस्त 2013 में यूको बैंक में कंपनी के खाते में 1282.00 लाख रुपये की एक सावधि जमा (एफडी) 110 लाख रुपये के ब्याज के साथ नकद में भुनाई गई थी। 31 मार्च, 2014 को कंपनी के इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते में नकदीकरण की कार्यवाही की रसीद के लिए एक प्रविष्टि की गई थी, तथापि उसी वाउचर में एफडी के नकदीकरण से प्राप्त राशि को लौटा दिया गया था। इस प्रकार एफडी के नकदीकरण की रसीद को अमान्य कर दिया गया।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 से संबंधित सभी बैंक भुगतानों की जाँच करने और बैंक की सावधि जमा रसीदों के सत्यापन के लिए अप्रैल 2017 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म की सेवाएँ ली थीं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म ने सौंपे गए कार्य को पूरा नहीं किया है और बाद में स्वयं को इस कार्य से हटा लिया।

इसके अतिरिक्त एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान फोरेंसिक/प्रबंधन लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। फोरेंसिक/प्रबंधन लेखापरीक्षक ने अब तक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कंपनी को 59.55 लाख रुपये का भुगतान किया है जो अज्ञात ट्रांजेक्शन्स से संबंधित है। तथापि 2926 लाख रुपये की राशि का प्रावधान बरकरार रखा गया है और यह फोरेंसिक/प्रबंधन लेखापरीक्षा के अंतिम परिणामों के शर्ताधीन है।

II. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखों के विभिन्न शीर्षों के मिलान की प्रक्रिया में चार अज्ञात ट्रांजेक्शन्स नोटिस किए गए जिनकी नीचे दिए गए अनुसार बैंकों के साथ पुष्टि की गई:

क्र. सं.	प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान की तिथि	राशि (रुपये लाख में)
1	मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज़	16–सितंबर–2016	22.97
2	मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज़	16–सितंबर–2016	26.98
3	मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज़	20–सितंबर–2016	68.87
4	मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज़	20–सितंबर–2016	70.25
	कुल		**189.07**

एसएसपी, गौतम बुद्ध नगर के पास 13 मई, 2019 को एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बाद में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त 189.07 लाख रुपये की राशि का भुगतान बैंक द्वारा कंपनी को किया गया है। यह राशि अभी भी समायोजित नहीं की गई है।

नोट–49

ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी की जा चुकी हैं और मंत्रालय/क्लाइंट्स को सौंपी जा चुकी हैं लेकिन कंपनी के खातों में इन परियोजनाओं का वित्तीय क्लोज़र नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी की जा चुकी हैं लेकिन इन्हें सौंपे जाने और इनका कार्य अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसका लाभ या हानि पर प्रभाव, यदि कोई हो, उस वर्ष में शामिल किया जाएगा जिसमें वित्तीय क्लोज़र होगा।

नोट–50

बैंकों से प्राप्ति योग्य ब्याज में उपलब्ध राशि, प्रतिधारण राशि, क्लाइंट जमा निधियों, व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं, ईएमडी, प्रतिभूति जमा (प्राप्ति योग्य और देय दोनों), मंत्रालयों के बैलेंस, प्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों और अन्य राज्य करों के संबंध में क्लाइंट्स और सरकार की देयताओं की पुष्टि और मिलान नहीं किया गया है। मिलान नहीं किए गए बैलेंस, यदि कोई हो, का कंपनी के लाभ तथा हानि और बैलेंस शीट पर प्रभाव हो सकता है। इन्हें उस वर्ष में शामिल किया जाएगा जिसमें उपर्युक्त सभी मदों का वित्तीय मिलान होगा।

नोट–51

मिलान नहीं किए गए बैंक बैलेंस

बैंक के मिलान में मेल नहीं खाने वाली और ट्रेस नहीं होने वाली प्रविष्टियाँ शामिल नहीं होतीं, इसलिए मेल नहीं खाने वाली और ट्रेस नहीं होने वाली प्रविष्टियाँ कंपनी के लाभ तथा हानि और बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकती हैं और इन्हें उस वर्ष में शामिल किया जाएगा जिसमें मिलान नहीं किए गए ट्रांजेक्शन चिह्नित किए जाएंगे। निम्नलिखित बैंक बैलेंस का बैंक मिलान अभी भी लंबित है।

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखा	परियोजना का नाम	खाता संख्या
1	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	आयुष, नई दिल्ली	172502000000644
2	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	एचएससीसी बैंक खाता	172502000000151

नोट–52

कोविड–19 की वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताएँ

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी कोविड–19 के रूप में एक वैश्विक चुनौती उभरी है। यह वैश्विक महामारी भविष्य में विविध आकस्मिकताएँ उत्पन्न कर सकती है और साथ ही स्वास्थ्य सेवा और इससे संबंधित सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को अवसर प्रदान करती है। कंपनी भारत में स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण क्रियाकलापों के लिए परामर्श तथा कार्यकारी एजेंसी के रूप में व्यापक पेशेवर सेवाएँ प्रदान करती है। यह कंपनी शून्य ऋण वाली कंपनी भी है और केवल गैर–निधि आधारित सुविधाएं ली जाती हैं। कंपनी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार कंपनी के व्यवसाय पर कोविड–19 का कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

नोट–53

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की ग्रुपिंग और/या वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यकतानुसार दूसरे समूह में लाया गया है और/या पुनः वर्गीकृत किया गया है। नेगेटिव आंकड़े ब्रेकेट में दर्शाए गए हैं।

संलग्न की गई हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

दत्ता सिंगला एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फार्म रजि. सं.: 006185N)

हस्ताक्षर
संदीप दत्ता
पार्टनर
सदस्यता सं. 092413

स्थान: नोएडा
तारीख: 24.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(ज्ञानेश पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03555957)

हस्ताक्षर
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 08684289)

हस्ताक्षर
(महेश चंद बंसल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षर
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.: एसीएस–24442)

हस्ताक्षर
(रवि कुमार जैन)
एजीएम (एफ एंड ए)

हस्ताक्षर
(अजय सूरी)
डीजीएम (एफ एंड ए)

हस्ताक्षर
(तेजपाल गर्ग)
डीजीएम (एफ एंड ए)

हिन्दी पखवाड़ा – 16.09.2019 से 30.09.2019

स्वतन्त्रता दिवस – 15.08.2019

संसदीय समिति का दौरा – 12.03.2019

योग दिवस – 21.06.2019

पिकनिक – पारिवारिक मिलन समारोह – 15–16 जून 2019

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019

एचएससीसी कार्यालय

पंजीकृत कार्यालयः

205 (द्वितीय तल), ईएट एंड प्लाजा,

प्लॉट नंबर 4, डीडीए एलएससी–सेंटर–II,

वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली–110096

कॉर्पोरेट कार्यालयः

ई–6(ए), सेक्टर–1,

नोएडा–201301 (यूपी)

परियोजना–सह–स्थल कार्यालयः

असम

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई

रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ,

प्रथम तल, एक्स–पुलिस लाइन, काली मंदिर के पास,

पी.ओ.: तेजपुर, जिलाः सोनितपुर (असम)

पिन – 784001

छत्तीसगढ़

हाउस नंबर बी–19/7, पानी की टंकी के पास,

राजेन्द्र नगर के पास,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

पिन – 492001

प्रमुख स्थल कार्यालयः

नेशनल केंसर इंस्टीट्यूट, एम्स झज्जर, हरियाणा

कोचीन कैंसर एंड रिसर्च सेंटर, एर्णाकुलम, केरल

100 बिस्तर वाला अस्पताल, ईएसआईसी, सिलीगुड़ी

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का पुनरुद्धार, नई दिल्ली

नर्सिंग कॉलेज का उन्नयन – आरएके, दिल्ली

एम्स, नई दिल्ली में नया सभुगतान वार्ड

एम्स, नई दिल्ली में हॉस्टल ब्लॉक

एम्स, रायबरेली में आवासन कार्य

एम्स, नई दिल्ली में सर्जिकल ब्लॉक

एम्स, नई दिल्ली में माता एवं शिशु ब्लॉक

एम्स, नई दिल्ली में नया ओपीडी ब्लॉक

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एज्यूकेशनल रिसर्च, संगरूर में सेटेलाइट यूनिट

एनआरएचएम – उत्तर प्रदेश, एनआरएचएम – केरल और एनआरएचएम – हिमाचल प्रदेश

न्यूरो साइनसेज, एनआईएमएचएएनएस, बंगलुरु में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलोजी, हैदराबाद

इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स, पुणे के लिए वैक्सीन संसाधन सुविधाएं

750 बिस्तर का अस्पताल (चरण– I – 400 बिस्तर), आईआईटी, खड़गपुर

नए एम्स, भुवनेशवर के लिए आवासीय एवं हॉस्टल कॉम्प्लेक्स

कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, ओपीडी और एकेडमिक ब्लॉक

नहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल का उन्नयन

नाहन, हमीरपुर और चंबा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज

रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक एंड नर्सिंग साइनसेज (आरआईपीएएनएस), आइज़ोल

आरआईएमएस, इम्फाल के लिए यूजी सीटों को बढ़ा कर 100 से 150 करना

पीएमएसएसवाई उन्नयन चरण III परियोजनाएं

– रीवा	– बरहामपुर	– उदयपुर	– ग्वालियर	– पटियाला
– बीकानेर	– जबलपुर	– बुरला	– औरंगाबाद	– विजयवाड़ा
– डिब्रूगढ	– झांसी	– कोटा	– गुवाहाटी	– शिमला
– इलाहाबाद	– लातूर	– पणजी (गोवा)	– दार्जिलिंग	

नागपूर, कल्याणी और गुंटूर में नया एम्स

मिजोरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च, फाल्कोन, मिजोरम

100 सीट वाला मेडिकल कॉलेज, पाली, राजस्थान

डॉ. आर.पी. मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा के लिए आवास और हॉस्टल

ह. स. कं. क.
HSCC
एक मिनीरत्न कंपनी

कॉर्पोरेट कार्यालय :
ई–6(ए), सेक्टर–1, नोएडा–203 301 (उ.प्र.)
दूरभाष : 91–120–2542436–40
फैक्स : 91–120–2542447
ईमेल : hsccltd@hsccltd.co.in

पंजीकृत पता :
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा,
प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेंटर–II,
वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096 (भारत)

Designed & Printed by Paromita Advertising Agency Pvt. Ltd.